# राजभाषा भारती

वर्ष: 40 अंक 156 (जुलाई-सितंबर) 2018

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी का साक्षात्कार

प्रश्नः- भारतीय परिदृश्य में भाषाओं की स्थिति को किस प्रकार देखते हैं?

उत्तरः- हिंदी दुनिया की पांच सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है ।

प्रश्नः- वर्तमान समय में हिंदी भाषा की भूमिका कितनी अहम है?

उत्तरः- हिंदी भारत की राजभाषा है और देश के बड़े भू-भाग पर हिंदी को बोला या समझा जाता है । इसलिए जनता तक सरकार के विचारों और क्रियाकलापों को पहुंचाने में हिंदी की बहुत अहम भूमिका है ।

प्रश्नः- क्या आप सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संतुष्ट हैं?

उत्तरः- सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग और अधिक सरल और आसानी से समझ में आने लायक बनाया जा सकता है और साथ ही हिंदी के प्रयोग को दैनिक क्रियाकलापों में बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।

प्रश्नः- आप स्वयं हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, क्या आपको राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में कार्य करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा हैं?

उत्तरः- मैं न सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं बल्कि समसामयिक हिंदी साहित्य को पढ़ने में भी मेरी विशेष रूची है इसलिए हिंदी में कार्य करने में परेशानी का तो कोई सवाल ही नहीं होता है । भौतिक हिंदी में काम करना मुझे अच्छा लगता है ।

प्रश्नः- अपने लंबे कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए भाषा के महत्व पर क्या कहना चाहेंगे?

उत्तरः- भाषा संवाद का सबसे प्रमुख माध्यम होता है । अपने लंबे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में मैंने देश के सभी राज्यों का दौरा किया है और कई राज्यों की राजनीतिक जिम्मेदारियां भी निभाई है । एक विविधता से भरे हुए देश में भाषा की विविधता भी भारत की एक विशेषता है ।

प्रश्नः- न्याय व्यवस्था में भाषा का महत्व कितना है तथा हिंदी भाषा में न्याय पालिका का अधिकतम कार्य कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?

उत्तरः- न्याय व्यवस्था को जनता के लिए सरल, सुगम एवं कार्य कुशल बनाना नरेन्द्र मोदी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है । इसके लिए न्याय व्यवस्था जनता की भाषा में भी उपलब्ध हो सके ऐसा प्रयास करना जरूरी है । विभागीय प्रयासों के अलावा न्याय व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी घटक भी इस दिशा में मिलकर प्रयास करें तो हिंदी भाषा में न्यायपालिका के काम को बढ़ावा दिया जा सकता है ।

प्रश्नः- न्यायालयों में ज्यादातर बहस हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में होती है पर निर्णय अंग्रेजी में दिए जाते हैं क्या इस दिशा में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं?

उत्तरः- न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रयोग एक विरासत का प्रश्न है । समय के साथ हिंदी भाषा में सभी कानूनों का रूपानंतरण और हिंदी भाषा में कानून की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इन प्रयासों के कारण हिंदी में भी न्यायालयों के निर्णय उपलब्ध हो सकेंगे ।

प्रश्नः- उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है । चार उच्च न्यायालयों को छोड़कर शेष उच्च न्यायालयों की भाषा भी अंग्रेजी ही है । इन न्यायालयों की भाषा हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएं किए जाने के विषय में अपनी निजी राय क्या है?

उत्तरः- भाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता हम सभी को है । मेरी निजी राय है कि हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं को न्यायालयों के भाषा के रूप में प्रयोग करने का प्रयास न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी घटकों के द्वारा किया जाना चाहिए । सरकार द्वारा किसी भी भाषा के प्रयोग को थोपने का प्रयास नहीं होना चाहिए ।

प्रश्नः- हिंदी में कंटेंट (ज्ञान-विज्ञान सामग्री) की काफी कमी है, इसे दूर करने हेतु किस प्रकार के प्रयास अपेक्षित है?

उत्तरः- भारत सरकार के द्वारा हिंदी एवं अन्य भाषाओं में कानूनों का रूपानंतरण नियमित रूप से किया जाता है और इसके प्रति जनता के प्रयोग के लिए वेबसाइट पर भी रखी जाती है । लेकिन सरकारी प्रयास के अलावा विभिन्न शोध संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को हिंदी में न्याय व्यवस्था से जुड़ी सामग्री को लिखने एवं प्रकाशित करने की आवश्यकता है ।

प्रश्नः- सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा हिंदी हो, इसके लिए किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है?

उत्तरः- सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में भाषा ने बहुत योगदान दिया है । आज ऐसे उपकरण उपलब्ध है जिनसे विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना सरल हो गया है । गूगल, फेसबुक, स्मार्टफोन आदि सभी महत्वपूर्ण जन उपयोगी सुविधाएं विभिन्न भाषाओं में भी उपलब्ध हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए कड़े प्रयास किए हैं ।

प्रश्नः- भारतीय परिदृश्य में तकनीकी लेखन तथा पाठन के संदर्भ में हिंदी भाषा के महत्वव को किस प्रकार देखते हैं?

उत्तरः- धीरे-धीरे तकनीकी लेखन तथा पाठन में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है । इंटरनेट के माध्यम से हिंदी भाषा में उपलब्ध तकनीकी  लेख और पाठन सामग्री जनता तक सरलता से पहुंच रही है ।

प्रश्नः- देश में सूचना प्रौद्योगिकी पहले से बेहतर हुई है, क्या भाषाई एकरूपता से इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है?

उत्तरः- सूचना प्रौद्योगिकी ने आज भाषागत अवरोधों को समाप्त करने में कड़ी भूमिका निभाई है । एक भाषा-भाषी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से दूसरी भाषा में उपलब्ध पठन-पाठन सामग्री का अपनी भाषा में सरलता से अनुवाद कर सकता है । इंटरनेट के द्वारा विभिन्न भाषा में उपलब्ध सामग्री की उपलब्धता आज विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकी है । इसलिए मेरा मानना है कि भविष्य में भाषा की विविधता आपसी संवाद में बाधक नहीं होगी ।

प्रश्नः- हम सभी जानते हैं कि हिंदी देश के अधिकांश भू-भाग पर बोली व समझी जाती है, इसमें रोजगार की उपलब्धता को किस प्रकार देखते हैं?

उत्तरः- हिंदी को अच्छी तरह से समझने वाले और हिंदी में सरलता से अपनी बात को कहने वाले योग्य लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर सामने आ रहे हैं । आज हिंदी में तरह-तरह के ऑनलाइन पत्रिकाएं समाचारपत्र ब्लॉग आदि उपलब्ध हैं । जिसके कारण हिंदी के योग्य जानकारों को सरलता से अपनी बात पाठकों तक पहुंचाने में कोई परेशानी नहीं होती है ।

प्रश्नः- क्या आपको लगता है कि हिंदी-भाषियों को रोजगार मिलने में किसी प्रकार की परेशानी होती है?

उत्तरः मैं नहीं मानता हूं कि हिंदी भाषी को रोजगार मिलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है । हम हर वर्ष देखते हैं कि हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में और अन्य प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में बहुत से योग्य लोगों का चयन होता है । अतः भाषा आज रोजगार प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है ।

प्रश्नः- वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे?

उत्तरः- जैसा कि मैंने कहा वैश्विक परिवेश में हिंदी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली पांच भाषाओं में से है और हिंदी के प्रयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है । इसलिए मेरा मानना है कि हिंदी विश्व की एक प्रगतिशील और समावेशी भाषा है ।

**मुनव्वर राणा जी का साक्षात्कार**

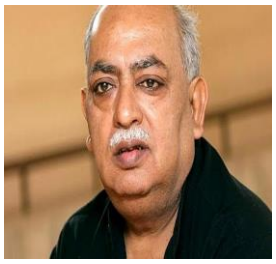

प्रश्नः- आपको साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई ?

उत्तरः- मैं रायबरेली का रहने वाला हूं और जब आंखे खोलीं तो मलिक मोहम्मद जायसी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुल्ला दाउद जैसे लोगों को देखा तो नहीं लेकिन यह सच है कि उनलोगों की वजह से ही ये शहर था । वो साहित्य का एक केंद्र था । आज भी वहां सांप्रदायिक सौहार्द का ये नमूना है कि हिंदुस्तान का हर शहर जलाया गया लेकिन हमारे शहर में कभी ये सब हुआ नहीं तो ये उसकी एक अजीबो-गरीब खूबी है । वहां शायरी का बड़ा चलन था, कविता का, गजल का, सभी तरह के ड्रामे का, नौटंकी का सभी तरह के प्रोग्राम का बड़ा शौक था । उसमें हमलोगों को बहुत मजा आता था । हमारे दादा-परदादा वहां पढ़ाते थे, वहां लोग ये कहते थे कि साहब 'र' से 'राम' कहना हमारे परिवार ने मौलवी साहब के घर में सीखा है। हमारे दादा सिखाते थे, उस जमाने में जो मुहल्ले के बच्चे होते थे सभी तरह के, सब आते थे और हिंदी, ऊर्दू, तमिल मदरसे में सिखाई जाती थी ।

दो-तीन चीजें थी, एक तो यह कि जो सेक्यूलिरिज्म कह रहें हैं जिसको सियासत ने सेक्यूलिरिज्म नाम दे दिया है, लेकिन उसका नाम सिर्फ मुहब्बत

कह दीजिए । तो इतनी मुहब्बतें थीं, कि एक स्कूल था-सब पढ़ते थे, एक हांडी थी-सब खा लेते थे, एक घर होता था-सब रह लेते थे तो उसी तरह से हम उसमें जन्में तो, उसकी वजह से हमें अपनी शायरी में, अपने जीवन में, अपनी सोच में कहीं से ये लाना नहीं पड़ा कि हम कैसे ढूंढे, क्या करें, सब कुछ मौजूद हैं । इसी वजह से बचपन से जब बहुत छोटे बंदे यानि सात-आठ वर्ष से हमारे दादा हमको ले जाते थे, शायरी में, वो सिखाते थे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है । इस तरह से होते-होते मैं शेर-वेर तो उतना नहीं कहता लेकिन तुकबंदी कर लेता था । मैं तुकबंदी आज भी करता हूं लेकिन दुनिया कम पढ़ी-लिखी है इसलिए उसको शायरी समझने लगी । इसके बाद बुरा वक्त ये आया कि सब मेरे बाकी खानदान के लोगों ने पाकिस्तान के लिए हिज्जत (माइग्रेट) किया तो उसमें हमारी सब बुआयें गयीं, चाचा गये, बड़े बाप गये, उन सबके इश्क में हमारी दादा-दादी तक चले गये । मैंने कहीं किताब में लिखा भी है कि जब वो दादी जो मुझे सबसे ज्यादा चाहती थीं, मुझे वो भी छोड़कर चली गयी तो मुझे ये मुहावरा गलत मालूम हुआ कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, अगर ऐसा होता तो मेरी दादी मुझे छोड़कर पाकिस्तान नहीं जातीं। लेकिन मेरे वालिद बहुत जिद्दी थें उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगें। बाकि सब लोगों ने पूछा भी अवधिया जबान में, कि यहां का करियो-तो कहलें कि कौनो काम ना मिलिहें, तो हम सब्र के बैठे रहिबे । जो पूर्वज की सब्रें हैं, वहीं ताकेंगे यहां बैठ के हम । तो वो नहीं गये इसी जिद में तो यहीं रहते थे, जो थोड़ी बहुत जमीनें थी वो बिक गयीं । अपना-अपना हिस्सा ये जाना वो जाना सब खत्म हो गया । मेरे वालिद ने पेट पालने के लिए ट्रक चलाया । करीब 25-30 साल जी.टी.रोड पर, फिर कलकत्ते में उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया । थोड़े हालात ठीक हुए तो हमलोगों को उन्होंने वहां बुला लिया । मेरी पढ़ाई तीन साल तक लखनऊ में मेरी दादी की एक छोटी बहन के यहां हुई थी । सेंट जॉन्स से हाईस्कूल, बाकि फिर 1968 में हम कलकत्ता चले गये । इस तरह हालात ने हमें प्रेरणा दी ।

प्रश्नः- आपका पारिवारिक कार्य तो व्यापार का रहा है?

उत्तरः- जी, जब हम कलकत्ता आ गये, 1968 से 2002 तक तो हम वहीं थे मुस्तिकल । आजकल ज्यादातर लखनऊ रहना होता है लेकिन मेरा पोस्टल एड्रेस आज भी कोलकाता ही है । इसलिए कि हमारा जो कारोबार ट्रांसपोर्ट का है उसका बेस ऑफिस कोलकाता है । आसानी से ऐड्रेस चेंज किया नहीं जा सकता है तो मेरी पढ़ाई-लिखाई भी वहीं हुई । वहीं हमने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, हालांकि हम आर्टस लाइन के आदमी थे , मेरे वालिद को शायद किसी ने बता दिया कि लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा । लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं । बारहवें खिलाड़ी की तरह मैं नाउम्मीद ही रह गया । कहीं मेरा नंबर नहीं आया । मुझे शौक था कि कहीं मैं प्रोफेसर हो जाऊं या कहीं वकील हो जाऊं, वकील बनने का शौक था, बड़ा वकील बन जाऊं । टीचिंग लाइन का शौक था या वकालत का शौक था तो वो सब सपना पूरा नहीं हुआ । फिर उन्हीं दिनों बंगाल में नक्सलिज्म का दौर था मैं उसमें उठने-बैठने लगा तो घर से निकाल दिया गया । डेढ़ साल मैं इधर-उधर ट्रक पर घूमता रहा । घर में घुसने की इजाजत नहीं थी क्योंकि पुलिस का ये ऑर्डर हो गया था कि देखते ही गोली मार दी जाए । बहरहाल मजे की बात ये है कि पुलिस रिकॉर्ड में आज तक हमारा नाम तो है ही । अच्छे काम के रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं लेकिन हमारी हुकूमतें बुरे काम के रिकॉर्ड रखती है । कोलकाता एक इंकलाबी शहर है । कोलकाता एक सोचता हुआ शहर है । किसी अंग्रेज ने लिखा था कि आज जो कोलकाता सोच रहा है कल सारा हिंदुस्तान सोचेगा । वहां कि जब सोच हमारी रायबरेली की सोच में मिली क्योंकि ये भी राम-बेनीमाधव का शहर था, बड़ा बगावती शहर था और यह मिट्टी जब वो इंकलाब की मिट्टी से मिली तो शायद मेरे अंदर बहुत ज्यादा इख्तियाज (Revolution) की ताकत हो गयी कि किसी काम को करने के लिए आदमी कई रात सोचता है हम शायद कई मिनट भी नहीं सोच पाते होंगे, कर देते हैं । नुकसान भी होता है लेकिन ठीक है नुकसान फायदे तो बनिये देखते हैं, साहित्यकार नहीं देखता है ।

प्रश्नः- पूरी तरह से लिखना आपने फिर कब शुरू किया ?

उत्तरः- जब मैं कोलकाता आ गया तो फिर मैं शायरी-वायरी करने लगा । फिर मैं कहानियां लिखता रहा और ड्रामों में भी काम किया । ड्रामे लिखे भी । मेरा पहला ड्रामा था जो कोलकाता नेशनल होमियोपैथिक कॉलेज में था और जिसमें मैं सेकेंड आया था ।

प्रश्नः- उसकी थीम क्या थी?

उत्तरः- बाग्लादेश नया-नया बना था । 'जय बंग्लादेश' उसका नाम ही था । तो थीम वही थी । शेख मुजीबुर्रहमान और बांग्लादेश । बहरहाल ये है कि ड्रामों में काम करने का शौक हुआ और मैं ड्रामों में काम करता रहा । उस जमाने में बाबू रामनिसार एक फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे जिन्होंने फिल्म चेतना, जरूरत, दो राहें बनाई थी । वे बड़े आशिक हुए, मुझे कोलकाता व मुंबई ले जाने के लिए । लेकिन मेरे वालिद ने इजाजत नहीं दिया और हम नहीं गये । घर की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी । मेरे वालिद ने बाबू राम-निसार से कह दिया कि भाई देखिए यही लड़का है, हमारी तबियत ठीक नहीं रहती है और यही सबसे बड़ा है अगर हम नहीं रहेंगे तो कम से कम ये घर संभाल लेगा । मुझे और लोगों ने भी समझाया तो मैं नहीं गया, छोड़ दिया मैंने । अच्छा ये आदत बहुत ज्यादा है कि कुछ समझ नहीं आया तो छोड़ दो । मेरे वालिद बहुत बीमार हुए तो एक दिन मैं गया उन्हें देखने के लिए तो देखा कि उनके आंसू बह रहे थे । मैंने पूछा कि अब्बू हुआ क्या ? उन्होंने कहा कुछ नहीं । तो मैंने कहा बताइए अब्बू । तो कहने लगे कि बेटा हम ये सोचते हैं कि अगर अस्पताल से मेरी वापसी नहीं हुई तो तुम अपनी अम्मा को और भाई - बहनों को पाल लोगे । क्योंकि सबसे बड़े तुम हो । तब मैंने कहा और दिलासा दिया उनको कि कैसी बात कर रहे हैं अब्बू, आपको रहना है इंशा-अल्लाह । फिर मैंने उसी दिन से ड्रामा और एक्टिंग, फेक्टिंग ये सब और एजुकेशन भी छोड़ दिया । ग्रेजुएट भी पूरा नहीं कर पाए । हमारे यहां तीन साल का कोर्स था, कॉमर्स का

। हमारे यहां हायर सेकेंड्री से जाते थे हमलोग, सेकेंड ईयर करने के बाद फिर भाग आए फिर नहीं गए । फिर ट्रांसपोर्ट में बैठ गए आके । एक मुहब्बत थी वो नाकाम हो गयी जैसे होती है । जो छोटी सी मुहब्बत की दुकान थी, वो भी जो इन कॉल्ड फिरकापरस्तों ने लूट ली । मैं सीधी-सादी शायरी-वायरी करने लगा । तो मेरे उस्ताद थे वालिया जी । एकाध मुशायरा में उन्होंने मुझे बुला लिया । स्टेज का मुझे बेपनाह तजुर्बा था । दूसरे शायर को सीखना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है या कॉन्फिडेंस तलाश करना पड़ता है, हमलोगों में इतना सब सिखा दिया जाता है कि कैसे पीठ की जाती है कैसे बोला जाता है । कुछ नसीब भी ऐसा था कि मशहूर होते चले गए । फिर हमारी जिंदगी में सोमवंशी हिंदुस्तान अखबार वाले का काफी योगदान है । उन दिनों हम इलाहाबाद बराबर आते थे वहीं मेरी मुलाकात प्रताप सोमवंशी से हुई । उस जमाने तक ऊर्दू में तो हम मशहूर थे अच्छे खासे लोग पहचानते थे और ज्यादातर लोग कलकते में पहचानते थे क्योंकि हमारा काम इतना बड़ा था । माशाअल्लाह कि हमें कोई जरूरत नहीं थी ये सब । उस जमाने में हालांकि इतने पैसे भी नहीं मिलते थे और फुरसत भी नहीं मिलती थी । मैंने कहीं लिखा भी है कि ट्रांसपोर्ट का काम, बैंक की नौकरी और बुढ़ापे की शादी इसमें आदमी को सोते में जागना पड़ता है । मुश्किल जिन्दगी थी उससे निकल नहीं सकते थे । बड़े-बड़े मुशायरे आये हैं । एक दिन मैं अपना पासपोर्ट चेक कर रहा था तो पहली बार अमेरिका का मुशायरा 21 वर्ष पहले आया था और मैं गया हूं । 16 वर्ष के बाद क्योंकि हम सोचते थे मैं जब छोटा था और हमने जिस आदमी ने अपने बाप को 150 रू में ट्रक चलाते देखा हो वो एक छोटे से कारोबार को बचाने की कोशिश में लगा हो, अगर वो अमेरिका जाता है तो फिर मुमकिन है कि बच्चे यहां खराब हो जाए और आईना हुस्न देखने के लिए होता है आईना बीमारी देखने के लिए नहीं होता है । मैंने कहा नहीं-नहीं अम्मा पहले हमें इसको ठीक कर लेने दो । अच्छा इत्तफाक हुआ यह कि लाइन से लड़किया पैदा हो गई । अब और एक जिम्मेदारी कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो कौन इनको पालेगा । ये वजह

है कि पिक्चर में हमने नस्ल लिखी तो लोग यही कहते हैं कि ठीक ही कहते हैं मुनन्वर राणा का जो कद है उनके पद से अच्छा है ।

प्रश्नः- उर्दू भाषा से हिंदी की ओर लिखना किस प्रकार प्रारंभ हुआ ?

उत्तरः- हां तो प्रताप सोमवंशी ने हमारे ऊपर कई लेख लिखे । अपने अखबार में मेरा इंटरव्यू छापा । इस तरह से हिंदी वालों को तब जाकर मालूम हुआ कि कोई मुन्नवर राणा नामक शायर है । लोग बहुत दावा करते हैं कि पाकिस्तान में ये शायरी है, वो शायरी है, वो हमारे मुल्क का शायर है जो पाकिस्तानी शायरी से आंख मिलाकर खड़ा हुआ है वगैरह-वगैरह । हम ऊर्दू के पहले आदमी हैं, हमने अपनी पहली किताब हिंदी में छापी गजलगांव । दूसरी किताब हिंदी में छापी पीपलछांव । तीन किताबें हमने लगातार हिंदी में छापी । उन दिनों हम कहते थे कि साहब हम तो इसमें मारे गये कि ऊर्दू वाले कहते है कि ये हिंदी में लिखते है इनका ऊर्दू से कोई लेना-देना नहीं है । तो हम हरिनाम से और शोहरत से महरूम और हिंदी वाले कहते थे कि ये ऊर्दू के आदमी हैं इनका हमारे यहां कहां गुजर होगा । हमने कहा हम दोनों तरफ से चटाई बाहर हो गए । लेकिन ये इमानदारी से कहता हूं कि बाद में हिंदी वालों ने अपना हाथ बड़ा कर दिया । उन्होंने जिस तरह से मुझे अपने कंधों पर बिठाए रखा उसका शुक्रगुजार हूं और हिंदी वालों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा ।

प्रश्नः- अपने लेखन में आपने दोनों भाषाओं को महसूस किया है । इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ?

उत्तरः- देखिए बेसिक भाषा तो मेरी हिंदी ही थी । यहां रायबरेली में जो हमने पढ़ा, शोएब विद्यालय में जो पढ़ा, या गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ दिन पढ़ा, संत जॉन केजी हाईस्कूल में पढ़ा, वह सब तो हिंदी ही थी, ऊर्दू तो थी नहीं । और मेरा कहना है कि साहित्य को भाषा नहीं बांधती । भाषा तो बहनों की तरह है । भाषाएं अलग नहीं है । इसे राजनीति अलग करती है । नफरतें अलग करती है । भाषाएं तो बिल्कुल जुड़ी हुई है आपस में । वजह क्या है कि जिस तरह से

भगवान ने सबका खून एक नहीं रखा है ए,बी,सी,डी अलग-अलग ग्रुप के हैं उसी तरह से जबानें भी सबकी हैं लेकिन इसमें खून सबका मिलाया जा सकता है । उसका पूरा फार्मूला मौजूद है । जबान का फार्मूला भी बहुत सुंदर है । लेकिन जबान को हम नहीं मिलने देते । हम एक बात ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी जबान है जो, वो है हिंदुस्तानी । लोग कहते हैं कि मैंने शेक्सपीयर को पढ़ा, मैंने शैल को पढ़ा, वड्सवर्थ को पढ़ा, लोग दुनिया भर के नाम गिना देते हैं । हम कहते हैं कि आपने पूरा हिंदुस्तान को पढ़ा क्या ? आपने कन्नड़ नहीं पढ़ा, आपने तमिल नहीं पढ़ा, आपने केरल की जबान नहीं पढ़ी, आपने उड़िया नहीं पढ़ी । आपने बांग्ला नहीं पढ़ी । आपने कुछ पढ़ा नहीं । आपने इतने बड़े हिंदी के कुनबे को पढ़ा और आप कह रहे हैं कि यही सब कुछ है। आपने एक कुनबा ऊर्दू में झाकां और कहा कि मैं बहुत बड़ा शायर हो गया ।

प्रश्नः- इस समस्या का निदान क्या हो सकता है ?

उत्तरः- महीने में एक कहानी किसी दूसरे जबान की इसमें आपको डाल देनी चाहिए बढ़िया-सी । बांग्ला से, कन्नड़ से, फारसी से, यहां से, वहां से, कहीं से भी । तो आपको मालूम होगा कि भाषाओं का आपसी तालमेल कितना बेहतर होगा । एक बार कोई हिंदी की किताब रखी थी किसी कन्नड़ साहित्य के किसी लेखक की । मैंने देखा वो साहित्य एकेडमी अवार्ड प्राप्त पुस्तक थी । मैंने किताब पढ़ी और जैसे-जैसे कहानियां पढ़ीं तो ये मालूम हुआ कि हम तो बिल्कुल इतने-इतने पानी में खड़े हैं और उसको समंदर बोल रहे हैं । इतने कम पानी में एक कहानी आती है, उसी के नाम बदलकर, कहानी बदलकर, जगह बदलकर, हीरो बदलकर, विलेन बदलकर, ड्रेस बदलकर, एक्ट बदलकर, रिएक्ट बदलकर, 20 कहानियां आ जाती हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि अन्य भाषाओं का साहित्य अनूदित होना चाहिए ।

हमारे यहां साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वालों को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है । बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं और

बुकर सम्मान प्राप्त हो जाता है । लेकिन हिंदी साहित्य में नोबेल और बुकर सम्मान की पहुंच नहीं है । मेरा कहना यही है कि दुनिया को सबसे अच्छा साहित्य होने के बाद भी हमें सम्मान नहीं मिलता । दुनिया के किसी भी मुल्क में 40 गांव पार करने के बाद मिट्टी नहीं बदलती है । 40 गांव पार करने के बाद धर्म या मजहब नहीं बदलता है, बोली नहीं बदलती है । इस सूरत में हिंदी जबान को बड़ा बनाने में हमारी भूमिका बड़ी होनी चाहिए । लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। अगर हम दूसरे प्रांतों से साहित्य को लाएं उसे पकाएं और इत्र के रूप में बनाने के बाद उसको प्रस्तुत करें तो उसका मजा ही कुछ और होगा । लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं । क्योंकि अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हमें यह गुरूर है कि हम सदी के सबसे बड़े विद्वान है । अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो हमें महसूस होता है कि गालिब के बाद हम ही सबसे बड़े उर्दू जबान है ।

प्रश्नः- हिंदी भाषा के विकास के लिए दूसरी भाषाओं के साथ मिलकर काम करने में किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है ?

उत्तरः- यह मान लेना चाहिए कि हिंदी के अलावा भी अन्य भाषाएं हमारी भाषा है । जैसे खाने के मेज पर कई चीजें सजी होने के बाद उसका निखार बढ़ जाता है उसी प्रकार हिंदी के साथ अन्य भाषाओं के सजे होने से हिंदी भाषा का भी सम्मान बढ़ता है । आजकल पढ़ने का चलन बहुत कम हो गया है । इसलिए हमें चाहिए कि अब बुके की जगह बुक देने का प्रचलन शुरू करना चाहिए और हमने लखनऊ में यह शुरू भी किया है ।

प्रश्नः- प्रकाशक तो कहते हैं कि अब पुस्तक को पढ़ने वालों की बहुत कमी हो गयी है .

उत्तरः- यह सही है कि कमी है लेकिन अभी भी हम उस जमाने में जिंदा है कि किसी के कान में कह दिया जाए कि हमें एक कार लेनी है फिर आप पायेंगे कि एक से एक नई-नई कारें प्रस्तुत करने के लिए कार वालों की भीड़ जमा हो जाएगी और वो उस कार के साथ तमाम तरह के ऑफर भी हमें

प्रस्तुत करेंगे । यहीं हाल साहित्य में भी है कि मान लीजिए पब्लिकेशन से किताब छपी और बैठे हुए हैं तो किताब कहां से बिकेगी । लेकिन जो पब्लिक चाहती है किताब वैसी ही छपी तो किताब बहुत बिकती है । किताबों के क्षेत्र में भी वही होना चाहिए कि प्रकाशक पढ़ने वालों तक पहुंचे । दोनों ही तरह से किताबों की बिक्री बढ़ायी जा सकती है । दूसरी ओर कई बार पाठक सोचते हैं कि किताब वाला उसके घर पर किताब देने आयें लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना हमारी आवश्यकता है । मैं आपको लाहौर का एक उदाहरण देता हूं । मेरे मिलनेवाले एक शायर है जो बहुत ही रंगीनियत के साथ शायरी लिखते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आप की किताब तो खूब बिकती होगी । उन्होंने हमें अपने पुस्तकालय में ले जाकर दिखाया कि किस प्रकार वहां किताबें बेची जाती हैं । उन्होंने हमें दिखाया कि उनके पास ऐसा डाटाबेस है, बहुत सारे लोगों का डिटेल है जैसे मिस्टर एक्स क्या पढ़ते हैं । दूसरे शायरी पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं । ये लोग कहां रहते हैं आदि-आदि । जैसे ही उनकी शायरी की किताब छपी उन्होंने डाटा बैंक से उनलोगों के नाम पता निकाले और एक-एक पुस्तक उनके पते पर भिजवा दी । थोड़े दिनों के बाद उनको पुस्तकों का मूल्य प्राप्त हो गया । इस प्रकार शायद एक पुस्तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है ।

प्रश्नः- आपकी मनपसंद विधा कौन सी है ।

उत्तरः- मैं भाषा की बात करूं तो आसानी से मैं उर्दू में लिख पाता हूं लेकिन विधा की बात करूं तो मैंने शायरी समझने की कोशिश की पर कई बार उसको गजल में बांधना मुश्किल होता है तो मैं जैसा समझ आता हूं वैसा लिख देता हूं बाकी विधा तय करना पाठकों का काम है ।

प्रश्नः- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय हिंदी के विकास में और किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?

उत्तरः- देखिए राजभाषा विभाग का कार्य सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ाना है लेकिन अभी भी कार्य हिंदी में कितना हो रहा है यह हम सभी जानते हैं । आपके विभाग को हिंदी के साथ-साथ दूसरी भाषाओं पर भी कार्य करना चाहिए क्योंकि हिंदी के साथ दूसरी भाषाएं यदि बढ़ेंगी तो हिंदी में कार्य करने की रूचि भी जागेगी । इस प्रकार हिंदी भाषा का जन-जन तक विकास हो सकता है ।

## राजभाषा हिंदी के प्रयोग की व्यवहारिक समस्याएः एक पुनर्विचार

**शालिनी श्रीवास्तव**

आजादी की लड़ाई में हमारे बहुभाषा-भाषी देश को एकजुट करने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान था । हिंदी ने लोगों के आपसी भेदभाव और तमाम गतिरोधों को दूर कर देश के जन-जन को राष्ट्रप्रेम के एकसूत्र में बांधने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की इसी ऐतिहासिक भूमिका और इसकी भविष्योन्मिखी संभावनाओं को लक्ष्य करके देश की संविधान सभा ने इसे राजभाषा के गरिमामय पद पर बिठाया और देश की समन्वयपरक और समावेशी संस्कृति के संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी । भारतीय भाषाओं के हक में यह एक बड़ी दूरदर्शी एवं उद्देश्यपूर्ण पहल थी लेकिन राजभाषा के प्रश्न पर सभी की राय का सम्मान और समावेश करने के फेर में एक अनहोनी ये हो गई कि जिस अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आजादी के बाद उसी अंग्रेजी शासन-प्रशासन की भाषा सह राजभाषा के तमगे के साथ अगले 15 साल का पट्टा लेकर सरकारी दफ्तरों में फिर से काबिज हो गई । नतीजा जो हुआ उसे हम-आप बार-बार अफसोस के साथ दोहराते हैं कि अंग्रेज तो गए लेकिन अंग्रेजी छोड गए ।

मैकाले ने अपनी एकेडमिक प्रयोगशाला में भारत की पीढ़ियों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कमाल दिखाया था, उसे आजादी के बाद शायद सुधारा जा सकता था पर एक अंग्रेजी चाल ने अपनी भाषाओं को अपने ही गलियारों में बेगाना और बेमानी बना दिया । आज स्थिति ये है कि तमाम निगम-दफ्तर अपने साइनबोर्डों पर तो हिंदी का स्वागत करते हैं, पर ऊपर से

नीचे तक सबके सब विदेशी अक्षरों के बोझ से दबे हुए हैं । जिस भाषा को मेज के उस ओर कुर्सी पर बैठा और इस ओर दो पैरों पर खड़ा आदमी आसानी से समझ सकता है उसे इस्तेमाल करने की संवैधानिक आजादी होने पर भी प्रैक्टिकल इजाजत नहीं है । देश के विकास के पहियों के साथ जिस भाषा ने अपनी रफ्तार को भी बरकरार रखा हो उसे पूरे मन से और पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करने के भाव का आज अभाव क्यों है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के तराने गाने वाले इस मुल्क के तमाम दफ्तर हिंदी हैं हम कहने से क्यों कतराते हैं? आजादी की लड़ाई में सोई और निराश जनता के मन में ओज और स्फूर्ति भर देने वाली भाषा की अपनी रोशनाई आज हरे-हरे सरकारी कागजों में क्यों सूखती जा रही है?- ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब का आज तक इंतजार है ।

14 सितंबर, 1949 को जब हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया तो बहुभाषा-भाषी देश में उसकी जिम्मेदारियों और उसके स्वरूप के विकास की अपेक्षाओं को देखते हुए अनुच्छेद 351 के आलोक में समय-समय पर कुछ नियमों, संवैधानिक उपबंधों, आदेशों का प्रावधान किया गया और उम्मीद की गई कि देश के विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में इनका पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करते हुए आगामी 15 वर्षों में प्रयोग और व्यवहार से इन्हें इतना समृद्ध कर दिया जाएगा कि अपने देश में अपना हर काम, अपनी भाषा में किया जा सकेगा, अपनी बात अपनी भाषा में कही और सुनी जा सकेगी । हिंदी और तमाम भारतीय भाषाएं व्यापक संवाद के एक सर्वसामान्य धरातल पर खड़ी होंगी और इनके बीच कोई भी, कैसी भी बाधा नहीं होगी । यही था हिंद स्वराज का सपना जो कभी गांधी जी ने देखा था । लेकिन उनका यह सपना आज कहीं खो गया है । समय-रेखा पर हमारा गणतंत्र तो आगे बढ़ा पर गण और तंत्र की भाषाएं एक-दूसरे से विमुख होती गईं । हिंदी जो हमारी आजादी की पहचान है, अस्मिता है, गौरव है, उसके इस्तेमाल के लिए कोई सहज कर्तव्यबोध न होकर नियमों की मजबूरी हो तो यह स्थिति निश्चित रूप से नीति या नियत के उन छलावों की ओर संकेत करती है जो इस शासन-व्यवस्था में जड़ जमाते चले गए हैं ।

कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग और व्यवहार की दयनीय स्थिति के पीछे कारणों और तर्कों की लंबी सूची है । कहीं शब्दकोश और अभिव्यक्तियों के अपर्याप्त होने की मजबूरी है तो कहीं उनकी कठिनाई, जटिलता और संदिग्धता का हवाला । अपनी भाषा के कुछ शब्द कभी हमें असहज लगते हैं तो कभी अटपटे । फिर कहा जाता है कि छोडिए साहब जैसा चलता है चलने दीजिए । इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि देश के संविधान ने जिस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया उसे संविधान के संरक्षक न्यायालय ही अपने काम-काज की भाषा के रूप में अपनाने को तैयार नहीं । आज भी देश के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है । हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे दस्तावेजों, आरोप पत्रों, प्रार्थना पत्रों और सबूतों पर सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाती । न्यायालय तमाम सूचनाओं को वर्नाकुलर्स से पहले अंग्रेजी में प्रोसेक करते है, फिर सारी बहस, दलीलें अंग्रेजी में सुनते हैं और अंततः फैसले भी अंग्रेजी में ही सुनाते हैं । हिंदी के प्रयोग को लेकर हीनता और उदासीनता का ऐसा भाव यदि देश के न्याय मंदिरों में भी पैर पसारे हुए हो तो फिर मातृभाषा के न्याय की गुहार और कहां लगाई जाएगी ?

राजभाषा हिंदी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए । कई विभागों की स्थापना की गई । उन विभागों के तहत सरकारी कार्यालयों के उपयोग हेतु तरह-तरह की सामग्री और प्रादर्श तैयार किए गए । कर्मचारियों के शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई लेकिन इस दिशा में अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिली । हो सकता है कि राजभाषा के कार्यान्वयन की नियोजित प्रक्रिया के तहत निर्मित या उत्पादित सामग्री कुछ मात्रा में बनावटी, दुरूह या अपूर्ण हो जिसकी वजह से कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण-आलेखन के बजाए अंग्रजी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग करना ज्यादा सुविधाजनक लगता है लेकिन सारी सामग्री बेकार है सारी प्रक्रियाएं निरर्थक हैं, और सारे नियम जबरदस्ती हैं- यह मानकर बैठ रहना भी अतिवादिता ही कही जाएगी ।

कोई भी काम कठिन लगने के दो कारण होते हैं । पहला यह कि तमाम प्रयास करने के बावजूद वह काम सचमुच कठिन है । दूसरा यह कि उसको पूर्वधारणा के तौर पर ही कठिन मान लिया गया और उसे आसान बनाने

की कोशिश नहीं की गई । सरकारी दफ्तरों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को लेकर यदि गहराई से विचार करें तो दूसरा कारण ही ज्यादा सही जान पड़ता है । आज कार्यालयी हिंदी में कामकाज इसलिए कठिन है क्योंकि इसको वास्तविक व्यवहार में नहीं लाया जाता है । इसका प्रयोग केवल राजभाषा-नियमों के डंडे से बचने के लिए या फिर राजभाषा-पुरस्कार पाने के लिए ही किया जाता है ।

यह तथ्य सर्वविदित और स्वतःप्रमाणित है कि भाषा व्यवहार से सीखी जाती है और वास्तविक व्यवहार के जरिए ही चलती और बढ़ती है । राजधानी दिल्ली में मैट्रो ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय केंद्रीय सचिवालय आदर्श नगर जैसे तमाम शब्द एक बार फिर से व्यवहार में आकर उसकी रफ्तार से कदम मिलाते हुए दौड़ रहे हैं । इसके पीछे मूल कारण रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला इनका वास्तविक व्यवहार है । इनको देखने, सुनने, पढ़ने की फ्रीक्वेंसी में हुई बढ़ोत्तरी है । यही बात राजभाषा हिंदी के संदर्भ में भी लागू होती है ।

राजभाषा हिंदी और जनभाषा हिंदी में आपस में तालमेल और बोधगम्यता होना एक गुणात्मक स्थिति अवश्य है लेकिन हमेशा और हर जगह ये एकरूप हो जाएं, ऐसा हो पाना न तो सिद्धांत रूप में अनिवार्य है और न व्यवहारिक तौर पर संभव । राज-काज और शासन-संचालन में व्यवस्था और प्रयोक्ता दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों की कुछ भाषागत अपेक्षाएं एवं मर्यादाएं रहती हैं । राजभाषा हिंदी के विशिष्ट स्वरूप को भी इसी संदर्भ में देखना और पहचानना चाहिए । सुस्पष्टता, संक्षिप्तता, संप्रेषणीयता आदि बातों का ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार की शैली का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है वह निश्चित तौर पर कुछ प्रशिक्षण पर समान रूप से लागू होती है । राजभाषा हिंदी के प्रयोग में दक्षता हासिल करने के लिए कुछ हद तक आरंभिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है पर उसके आगे का रास्ता तो वास्तविक स्थितियों में किए गए प्रयोग और व्यवहार से ही खुलता है । इसलिए कर्मचारियों का यह तर्क बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता कि सरकारी कामकाज हिंदी में करना बहुत कठिन है क्योंकि इसकी शब्दावली, शैली, विन्यास आदि कठिन हैं । वास्तव में इस कठिनाई का बड़ा कारण भाषा की कठिनाई न होकर उसका प्रयोग न किया जाना ही है ।

एक सबसे बड़ी समस्या सत्ता और प्रशासन के प्रतिष्ठानों में बैठे अधिकारियों और कार्मिकों की पद-प्रतिष्ठा और इससे जुड़ी मनो-सामाजिक दृष्टि की है । अनेक अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय या समाज में हिंदी प्रयोग करने पर अपने अंग्रेजी ज्ञान पर प्रश्नचिह्न सा लगता नजर आता है और यह स्थिति उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं । उन्हें लगता है कि हिंदी के प्रयोग करने से लोगों को यह लगेगा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती । अच्छी हिंदी जानते हुए भी अनभिज्ञ दिखाई पड़ना और अच्छी अंग्रेजी न जानते हुए भी अंग्रेजीदां दिखाई देते रहने की यह मानसिकता हमारे सत्ता-समाज में बहुत गहराई से लोगों के दिलों दिमाग पर हावी है । यह अंग्रजों द्वारा दी गई एक प्रकार की मानसिक गुलामी है और यह एक बहुत बड़ा सच है कि मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति सफल दिख तो सकता है लेकिन सफल हो नहीं सकता । इसलिए हेहिचक कहा जा सकता है कि अपनी भाषा और राजभाषा की उपेक्षा करके हम सफल होते नहीं होते, केवल सफलता का ढोंग ही करते हैं ।

सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के नाम पर केवल कुछ चीजें ही दिखाई पड़ती है जैसे कार्यालयों ने अपने यहां द्विभाषी नामपट्ट, रबर की मुहरें, कुछ हिंदी सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं और दीवारों पर यहां-वहां हिंदी भाषा प्रेम दर्शाते महापुरुषों के उद्धरण चिपकाकर हिंदी के प्रयोग का निर्धारित कोटा पूरा कर लिया जाता है । कार्यालयी हिंदी का न तो उनको ज्ञान होता है और न ही उसका इस्तेमाल करने की इच्छा रखते हैं ।

यह सच है कि कार्यालयी हिंदी का मौजूदा स्वरूप जिस रूप में अब विकसित हो गया है, वह हमें उसके प्रयोग और व्यवहार के प्रति आश्वस्त होने का मौका नहीं देता । लेकिन यह भी सच है कि राजभाषा हिंदी का यह रूप उसकी मौलिक प्रकृति में बहुत रचा-बसा नहीं है । पहले कामकाज की भाषा अंग्रेजी थी लेकिन जब हिंदी के प्रयोग की बात आई तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया में बहुत से शब्दों, पदों, अभिव्यक्तियों के ऐसे जटिल हिंदी समतुल्य शब्द निर्धारित कर दिए गए जो या तो हिंदी की प्रकृति के अनुकूल

नहीं थे या अंग्रेजी भाषा से लिटरली अनूदित होने के कारण अटपटे और असामान्य लगते थे ।

उदाहरण के लिए, कुछ पद जैसेः हस्ताक्षरार्थ, अनुमोदनार्थ प्रति अग्रेषित करें के बजाए हस्ताक्षर के लिए अनुमोदन के लिए प्रति आगे भेजें जैसे सामान्य विकल्पों के चयन से इस तरह की भाषागत कठिनाई से निपटा जा सकता है । इसके लिए न तो तकनीकी शब्दावली आयोग का कोई दुराग्रह होता न राजभाषा की बाध्यता, बल्कि सच तो यह है कि हिंदी के लिए विविध क्षेत्रों में कार्य कर रही कई संस्थाओं ऐर स्वयंसेतवी विद्वानों द्वारा इस तरह के प्रयोग पहले भी किए गए हैं । पुराने शब्दकोशों और शब्दावलियों में सुधार और संवर्धन के काम किए गए हैं और समयानुकूल नए सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं ।

भारत सरकार के राजभाषा के विभाग के मौजूरा निर्देशों के तहत जहां तक संभव हो हिंदी के सरल शब्दों और अभिव्यक्तियों को अपनाने की सलाह दी गई है । हिंदीतर एवं विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में घुल-मिल गए हैं उन्हें शामिल करते हुए व्यवहारिक हगिंदी के प्रयोग पर बल दिया गया है लेकिन अगर अब भी हिंदी के प्रयोग को लेकर कोई अभाव-कुभाव दिखाई पड़ता है तो यह राजभाषा हिंदी की कठिनाई या मजबूरी  नहीं बल्कि उसके प्रति हमारी बेवफाई ही होगी ।

अंत में सवाल यही है कि क्या हम राजभाषा की जहां है -जैसी है वाली अब तक चली आ रही नियति और अपनी नीयत को चुपचाप स्वीकार कर दिन काटने और नौकरी गुजारने के लिए तैयार हैं या अपने छोटे-छोटे प्रयासों से इन हालात को बदलने की कोशिश करना चाहेंगे!..

**प्रवक्ता- अनुवाद विज्ञान,**
**अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग,**
**केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा**

**हिंदी और भारत की राष्ट्रीय एकता**

डॉ. सतीश शर्मा जाफरावादी डी.लिट्.

'हिंदी' शब्द प्राचीन समय में हिंद देश के स्थान, व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयुक्त होता था। आज इसका आशय भारत के सर्वाधिक नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के नाम के रूप में होता है। प्राचीन काल से आज तक भारत को दुनियाभर में 'विविधता में एकता' के प्रतीक के रूप में, गुरूदेश एवं धर्मगुरु आदि अनेक नामों से विशिष्ट संस्कृतियों की धरोहर के रूप में समूचे ब्रह्मांड में जाना जाता है। यहां की भाषा, संस्कृति, धर्म आदि क्षेत्रों में अनेकताओं के बावजूद एकता की विशिष्टता परिलक्षित होती है। यही विशिष्टता युगों से भारत और यहां की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए है।

भाषा ही नहीं 'हिंदी' शब्द से ही एकत्व का भाव परिलक्षित होता है। 'हिंदी' शब्द फारसी और संस्कृत दो भाषाओं के योग से बना है। फारसी के प्रभाव से निर्मित 'हिंद' शब्द में संस्कृत के 'इक'; (ई) प्रत्यय के योग से 'हिंदी' शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाषा के रूप में हिंदी की उत्पत्ति छठी-सातवीं शताब्दी में मौखिक रूप से तथा लिखिति रूप में 1000 ईं. के आस-पास हुई। हिंदी भाषा की उत्पति का स्रोत प्राच्य भाषा संस्कृत है। संस्कृत विश्व की एकमात्र सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा सिद्ध हो चुकी है। संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो और डोगरी भाषा की भी लिपि है। इसका विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से 500 ईसा पूर्व हुआ माना जाता है।

संस्कृत- पालि- प्राकृत- अपभ्रंश- खड़ी बोली और अब 'नई हिंदी' का लगभग 1400 वर्षों का सफर हिंदी भाषा ने तय किया है। समूचे विश्व में वर्तमान में लगभग 6 हजार भाषाएं चलन में हैं। भारत में 179 भाषाएं और 544 उपभाषाएं प्रयुक्त होती हैं। संसार की कुल 16 भाषाओं के परिवार में हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय कुल के अंतर्गत हिंदी, असमिया, बांग्ला, ओडिआ, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी भाषाएं आती हैं। भारतीय भाषाओं के अन्य परिवारों मसलन द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयायम, आस्ट्रो एशियाटिक परिवार में संताली और चीनी तिब्बती परिवार में बोडो तथा मणिपुरी भाषाएं आती हैं।

आम बोलचाल और साहित्य की भाषा के रूप में हिंदी का उद्भव और विकास भले ही सैंकडों वर्षों पूर्व हो चुका हो पर हिंदी को अनेक आंदोलनों, सम्मेलनों और बहस-मुबाहिसों के परिणामस्वरूप आजादी के भी दो साल बाद

14 सितंबर 1949 को राजभाषा का सम्मान मिला। आजादी से पूर्व देश में अंग्रेजी और इससे पूर्व मुगल शासन का लंबे समय तक साम्राज्य रहा। इस दृष्टि से शासक वर्ग के प्रभाव से भारत में संस्कृत के बाद अरबी-फारसी और अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व रहा। 1192 ई. में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज को हराकर मुहम्मद गौरी ने उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित किया। उक्त कालावधि में प्रथम बार मुगल प्रशासन की भाषा फारसी बनाई गई। हालांकि अकबर के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों को तरजीह मिली पर शासन की भाषा और कामकाज के लिए फारसी को ही बढ़ावा मिला। मुगलों के बाद देश की बागडोर अंग्रेजों के हाथ में आने के बाद सन 1800 ई. में देश के प्रथम कालेज के रूप में कलकत्ता में लार्ड वैलेजली ने 'फोर्ट विलियम' कालेज की नींव रखी। कालेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रमुख डॉ. गिलक्राइस्त ने पहली बार मजहब के आधार पर भाषा का विभाजन किया। इसके बाद अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने की नीति के फलस्वरूप लार्ड मैकाले के प्रस्ताव पर लार्ड विलियम बैंटिक ने 1837 में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया।

संस्कृत महज विद्वानों, प्रकांड पंडितों, ऋषियों और आचार्यों की ही भाषा होने के कारण उसका प्रसार क्षेत्र सीमित था। संस्कृत के बाद प्राकृत, अपभ्रंश में ंसाहित्य सृजन होने के बावजूद राजकाज और शासन व्यवस्था में हिंदी भाषा के इस रूप का चलन नहीं हो पाया। आम लोगों को शासक वर्ग के प्रभाव और दरबार और दफ्तरी भाषा होने के कारण अरबी फारसी और तत्पश्चात अंग्रेजी का ही चलन रहा। इसके प्रयोग के कारण ही काफी दिनों तक 'हिंदुस्तानी' यानी उर्दू और हिंदी के मिश्रित रूप को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की वकालत होती रही।

भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा मध्यकाल से मानी जाती है। पश्चिमी विद्वान भारत में राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेजी शासन से मानते हैं लेकिन यह उचित नहीं है। भारत में राष्ट्रवाद की अवधारण उतनी ही प्राचीन है जितना भारत का इतिहास। यह देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक वह एक सत्ता के अधीन नहीं रह सका। कभी देश के एकमात्र सम्राट रहे समुद्रगुप्त ने ही अपने समय में देश में एकसत्ता की स्थापना कर राष्ट्र की एकता का संकेत दिया। तत्पश्चात देश में अनेक मुस्लिम शासकों अलाउद्दीन खिलजी, अकबर,

और औरंगजेब सरीखे शासकों ने राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास तो किया लेकिन भाषायी एकता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देश में बार बार सत्ता परिवर्तन और शासकों द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं को प्रश्रय देने के कारण देश में किसी एक भाषा का प्रभुत्व भी स्थापित नहीं हो पाया।

आजादी के बाद संविधान की अष्टम सूची में देश की 15 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्तमान में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का यह सम्मान प्राप्त है। ये भारतीय भाषाएं है-असमी, ओडिआ, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मराठी, मलयायम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी हैं। पिछले कुल वर्षों से भोजपुरी को भी अष्टम सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग हो रही है। इन 22 भाषाओं में 7 भाषाओं- संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी की पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से 4 भाषाओं- गुजराती, सिंधी, संताली और मैथिली की लिपि देवनागरी है। इस दृष्टि से भारत की कुल 22 राष्ट्रीय भाषाओं में से 11 भाषाओं को लिखित रूप प्रदान करने में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। उर्दू, कश्मीरी और सिंधी भाषा में ही अरबी लिपि प्रयुक्त होती है। अपनी हिंदी आज 5 उपभाषाओं और 22 बोलियों का समुच्चय है। हिंदी की ये 5 उपभाषाएं और 22 बोलियां इस प्रकार हैं- पश्चिमी हिंदी ;खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजीद्ध पूर्वी हिंदी ;अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ीद्ध, राजस्थानी हिंदीं ;मारवाडी, जयपुरी, मेवाती और मालवीद्ध, पहाडी हिंदी ;पश्चिमी पहाडी और मध्यवर्ती पहाड़ीद्ध और बिहारी हिंदी ;भोजपुरी, मगही और मैथिलीद्ध हैं।

1971 की जनगणना के अनुसार भारत की पूरी आबादी 548,195,652 थी। हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकार करने वालों की संख्या 208,514005 थी। हिंदी कम से कम 6 राज्यों और 2 संघीय प्रदेशों की प्रमुख भाषा थी यथा- राजस्थान (91.73 प्रतिशत), हरियाणा (89.42 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (88.54 प्रतिशत), बिहार (79.77), दिल्ली (75.97 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (55.96 प्रतिशत), पंजाब (20.01 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (6.13 प्रतिशत), अंडमान निकोबार (16.07 प्रतिशत) में दूसरी प्रमुख भाषा के रूप में है। देश के कम से कम पांच प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है। यथा जम्मू-कश्मीर (15.07 प्रतिशत),

असम (5.34 प्रतिशत), महाराष्ट्र (5.02 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (2.28 प्रतिशत) एवं त्रिपुरा (1.48 प्रतिशत)। पचास साल पूर्व का हिन्दी भाषा का यह स्वरूप देखें तो पाते हैं कि हिंदी राष्ट्रभर के लोगों की पसंदीदा भाषा है। द्वितीय भाषा के रूप में इसको अपनाने वालों की संख्या 26.8 प्रतिशत है।

वर्ष 1999 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी 916936830 थी। देशभर में हिंदी जानने वालों की संख्या 672241910 थी। हिंदी भाषा जानने वालों का प्रतिशत 73.31 था। हिंदी भाषी राज्यों 'क' क्षेत्रों दिल्ली, उ.प्र. राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार, और हरियाणा के लोग 100 प्रतिशत हिंदी जानने वाले थे वहीं अहिंदी प्रांत 'ख' क्षेत्रों गुजरात, महराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ में 80 प्रतिशत लोग हिंदी जानने वाले थे। वहीं 'ग' क्षेत्रों में तमिलनाडु और पांडिचेरी में ही 20 प्रतिशत लोग हिंदी जानने वाले थें बाकी अन्य 'ग' क्षेत्रों आंध्र प्रदेश् में 40 प्रतिशत, अरुणाचल में 30 प्रतिशत, असम में 50 प्रतिशत, गोवा में 70 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 90 प्रतिशत, कर्नाटक में 45 प्रतिशत, केरल में 35 प्रतिशत, मणिपुर में 30 प्रतिशत, मेघालय में 30 प्रतिशत, मिजोरम में 35 प्रतिशत, नागालैंड में 25 प्रतिशत, उड़ीसा में 60 प्रतिशत, सिक्किम में 60 प्रतिशत, त्रिपुरा में 25 प्रतिशत, प. बंगाल में 60 प्रतिशत, दादर एवं नगर हवेली में 65 प्रतिशत, दीव एवं दमन में 65 प्रतिशत और लक्ष्यद्वीप में 25 प्रतिशत तक लोग हिंदी जानने वाले थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी के जानने वाले और प्रयोक्ता लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान में देश में आंकड़ों के अनुसार 90 प्रतिशत आबादी देश में हिंदी जानने वालों की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश में राष्ट्रभाषा का बढ़ता प्रसार राष्ट्रीय एकता को द्विगुणित कर रहा है।

देश में आजादी के बाद से ही हिंदी का क्षेत्र और दायरा बढ़ा है। इसके प्रयोक्ताओं की संख्या भी देश और दुनिया में लगातार बढ़ रही है। देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रयोक्ता दूसरी भाषा के रूप में भी सबसे ज्यादा हैं। सरल, सरस, सीधी, स्पष्ट, मधुर, कर्णप्रिय भाषा के रूप में हिंदी जन-जन की मातृभाषा, जनभाषा, लोकभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संचार भाषा और अघोषित अंतरराष्टीय भाषा के रूप में ग्लोबल हो रही है। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी में बमुश्किल पांच-छह हजार पारिभाषिक शब्द थे जो आज तीन लाख तक पहुंच गए हैं।

मध्यकालीन कवि कबीर ने भी कहा था कि- ''संस्कृत खारी कूप जल भाषा बहता नीर'' अर्थात् भाषा बहते नीर के समान है। भाषाविदों के अनुसार एक ही रूप में बने रहना किसी भी भाषा के विकास के लिए उचित नहीं है। क्लिष्टता से सरलता की ओर प्रवाह भाषा की प्रकृति होती है। समयानुसार भाषाओं के शब्दों, रूपों, अर्थों और वाक्य प्रयोगों में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। भाषा विज्ञान की दृष्टि में वह भाषा का विकास है। हिंदी भाषा में भी वर्षों से लेकर आज तक परिवर्तनों का दौर जारी है।

आज सूचना और तकनीक का युग है। इस आधुनिक युग में दुनिया की अनेक भाषाओं की तरह हिंदी भाषा भी अपना रूप-स्वरूप बदल रही है। वह देश और दुनिया की विभिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर रही है। अन्य भाषाएं भी हिंदी की शब्दावली को ग्रहण कर अपने आप को समृद्ध कर रही हैं। जो भाषा जितनी अधिक अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर अपने आप को तकनीकी माध्यमों के अनुरूप ढाल सकेगी वही भाषा आगामी लंबे समय तक जीवित रह सकेगी। अन्यथा की स्थिति में मृतप्रायः हो जाएगी। दुनियाभर में पिछले 50 सालों में लगभग 4 हजार भाषाओं का अस्तित्व समाप्त हुआ है। विश्व में कभी 10 हजार भाषाएं अस्तित्व में थीं, जिनकी संख्या प्रयोक्ताओं के नहीं होने के कारण महज 6 हजार रह गई। भाषाओं के संबंध में किए गए सर्वे 'वाइटल साइन रिपोर्ट' और भाषाविदों के अनुसार आगामी 50 वर्षों में दुनियाभर में महज 2500 भाषाएं ही जीवित रह पाएंगी।

सन 2000 के बाद हिंदी भाषा ने नए अवतार के रूप में जन्म लिया है। हिंदी के इस नए अवतार को हंग्रेजी, हिंग्लिश, नई हिंदी, मिश्रित हिंदी, खिचड़ी भाषा और अच्छी हिंदी और सहज सरल हिंदी का नाम दिया गया। इस नए रूप में हिंदी ने देशभर के विभिन्न प्रांतों की भाषाओं के ही नहीं अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं मसलन-अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, रूसी, चीनी आदि भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर अपने शब्दकोश को निरंतर बढ़ाया है। जो भाषा जितनी अधिक भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर लेगी उसके प्रयोक्ताओं और शब्दकोश की संख्या उतनी ही बढ़ जाएगी और भाषा भी समृद्ध हो जाएगी।

किसी भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी एक राजभाषा का होना अनिवार्य होता है। वह भाषा जिसमें राजकाज होता हो, देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती हो, राजभाषा कहलाती है। राजभाषा से प्रत्येक मनुष्य, समाज और राष्ट्र एकता के सूत्र में आबद्ध रहते हैं। इसके द्वारा ही सभी देशवासियों के मनोमस्तिष्क में सहकारिता की भावना का उदय होता है।

हिंदी भाषा के भिन्न-भिन्न रूपों में अनेक मुस्लिम कवि लेखकों ने साम्द्रयायिक एकता का संदेश देकर राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। ऐसे साहित्यकारों में मुख्यतः अमीर खुसरो, कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, उसमान, शेख नवी, अब्दुर्रहीम खानखाना, रसखान, आलम, रसलीन, मुल्ला दाउद, मुंशी अजमेरी, इंशा अल्ला खां और कासिम अली हुए। इन साहित्यकारों की हिंदी सेवा और राष्ट्र सेवा के अभिभूत होकर आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने कहा था कि-"इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिए।"

देश के सभी प्रांतों के समाज-सुधारकों, संत और राजनीतिज्ञों ने हिंदी भाषा के महत्व को समझ लिया था। महाराष्ट्र में जहां ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दी में मराठी के आदि-कवि मुकुंदराज और संत ज्ञानेश्वर ने इसके महत्व को समझा था वहां कालांतर में गोपाल नरहरि देशपांडे तथा केशव वामन पेठे नामक महानुभावों ने क्रमशः सन् 1875 तथा 1876 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने का अभिनंदनीय प्रयास किया था। महादेव गोविंद रानाडे तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया। गुजरात के कच्छ प्रदेश के राजा लखपति महाराज ने अठारहवीं शती में भुज में ब्रजभाषा की एक पाठशाला खोलकर हिंदी के प्रचार की जो नींव डाली थी। इसके परिणाम यह रहे कि वहां धीरे-धीरे इतनी सफलता प्राप्त हुई कि महात्मा गांधी तथा स्वामी दयानंद- जैसे सुधारकों को हिंदी के महत्व को समझकर उसके प्रचार में लगना पड़ा। जहां ये सुधारक तथा राजनेता हिंदी की महत्ता को समझकर उसके प्रचार में लगे हुए थे वहां नरसी मेहता, मालण, दयाराम तथा दलपतराय जैसे गुजराती कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी की महत्ता को स्वीकार कर राष्ट्रीय एकता के स्वर का कारवां आगे बढ़ाया।

राजभाषा का दर्जा मिलने पूर्व भी हिंदी को देश के कोने-कोने में जानने, समझने और बोलने वाले थे तभी तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग सर्वप्रथम दक्षिण भारत के सी. राजगोपालार्च ने उठाई। भले ही देश के सभी लोग हिंदी न जानते हों, व्याकरण को भूला करते हों, अशुद्ध हिंदी बोलते हों परंतु बोलते फिर भी हिंदी ही हैं और उसी में अपने भाव व्यक्त करते एवं दूसरों की बात समझते हैं। हिंदी बोलने, पढ़ने, लिखने में असमर्थ अहिंदी भाषी प्रांतों के लोग हिंदी में टीवी सीरियल, फिल्म, गीत संगीत के दीवाने हैं। वास्तव में यह सर्वग्राह्यता ही हिंदी की एकता की परिचायक है। सहज और सरल हिंदी की इस प्रकृति ने ही उसे इतना व्यापक रूप दिया है। वह देश के विशेष वर्ग या प्रांत के लोगों की ही भाषा न होकर कोटि-कोटि कंठों का स्वर और गले का हार है। हिंदी के सूत्र के सहारे कोई भी व्यक्ति देश के एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक जाकर किसी भी जन से संवाद स्थापित कर सकता है। देश में फैली हुई अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के बीच यदि भारतीय जीवन की उदात्तता एवं एकात्मकता किसी एक भाषा में दिखाई देती है तो वह राष्ट्रभाषा हिंदी में ही है।

स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के ही माध्यम से भारत के अनेक संतों, सुधारकों, मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों का प्रसार एवं प्रचार किया था। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ऐसी ही भाषा को अपनी भाव-धारा के प्रचार का साधन बनाया था, जो देश के सभी भूभागों के अधिकांश जन-समुदाय को एकता के सूत्र में पिरो सकती थी, और वह भाषा हिन्दी थी। यही कारण था कि जहां उत्तर प्रदेश के कबीर, पंजाब के नानक, सिंध के सचल, कश्मीर के लल्लद्यद, बंगाल के बाउल, असम के शंकरदेव आदि संतों ने जिस सांस्कृतिक एकता तो आधार बनाकर अपने काव्य की रचना की थी, वहां दक्षिण के नैनमार और आलवार आदि संतों की कविता की मूल भावभूमि भी वही थी। इनके संदेश में कहीं भी भाषागत विघटन का स्वर नहीं उभरा था, बल्कि सभी की रचनाएं उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक समान रूप से समादृत होती थीं। भाषा वही महत्वपूर्ण होती है जो लोगों को 'तोड़ने' के बजाय 'जोड़ने' का संदेश दे और जिसके माध्यम से प्रेम का मार्ग प्रशस्त हो। इसी पावन भावन से प्रेरित होकर महाकवि जायसी ने यह कहा था- ''तुरकी, अरबी, हिंदुई, भाषा जेती आहि, जेहि मंह मारग प्रेम का, सबै सराहे ताहि।''

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अखंड भारत में एकता और प्रेम का मार्ग केवल हिंदी के माध्यम से ही ज्यादा सशक्त और प्रशस्त हो सकता है तभी तो बंगाल के सुधारक राजा राममोहन राय और केशवचंद्र सेन जैसे मनीषियों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए इसे अपनाया। आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजराती होते हुए भी राष्ट्रीयता और समाज-सुधार की अपनी भाव-धारा को हिंदी के द्वारा ही समूचे देश में फैलाया। 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' के जन्मदाता लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने महाराष्ट्रीय होते हुए भी 1920 में बनारस में हिंदी में भाषण दिया था। उनके यह विचार वास्तव में हिंदी भाषा की व्यापकता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

हिंदी के सार्वजनिक उपयोगिता और महत्ता का इस बात से भी पता चलता है कि इसे दूसरे प्रदेशों के निवासी नेताओं और विचारकों ने अपने विचारों के प्रकट करने का माध्यम बनाया था। आज दक्षिण के चारों राज्यों में हिंदी का जो सफल लेखन, पठन और अध्यापन हो रहा है उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' और 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा' जैसी अनेक संस्थाओं का अत्यधिक योगदान है। इसी प्रकार उड़ीसा, असम तथा मेघालय में भी हिंदी भाषा प्रचार सभाओं के द्वारा लोग हिंदी से जुड़ रहे हैं। सुप्रसिद्ध मनीषी आचार्य क्षितिमोहन सेन ने भाषा को किसी भी देश की एकता का प्रधान साधन मानते हुए हिन्दी की प्रतिष्ठापना की थी।

यहां यह भी स्मरण रहे कि अतीत काल में बंगाल ने हिंदी के संवर्धन और पल्लवन में विशेष योगदान दिया था। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत सर्वप्रथम बंगभूमि कलकत्ता से ही हुई। वहीं से राजा राममोहन राय ने 'अग्रदूत' नामक पत्र हिन्दी में सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। 'बंदेमातरम' राष्ट्र-गान के अमर गायक बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपने 'बंग-दर्शन' नामक ग्रंथ के पांचवे खंड में स्पष्ट रूप से यह लिखा था- '"हिन्दी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में बिखरे हुए लोग जो ऐक्य-बंधन स्थापित कर सकेंगे, वास्तव में वे ही सच्चे भारतीय कहलाने योग्य हैं।" केवल यही नहीं, बांग्ला 'वसुमति' के संपादक सुरेशचंद्र समाजपति और 'संध्या' के संपादक पं. ब्रह्मबांधव उपाध्याय आदि ने भी अपने पत्रों में हिंदी की राष्ट्रभाषा संबंधी क्षमता को मुक्त कंठ से

स्वीकार किया था। सुप्रसिद्ध तत्व-चिंतक श्री अरविंद घोष ने भी अपने 'कर्मयोगी' और 'धर्म' नामक पत्रों के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयन में अपना अनन्य सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य किया था।

जब बंग देश में उक्त सुधारक, विचारक और चिंतक हिंदी-संबंधी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे वहां भूदेव मुखर्जी बिहार में तथा नवीनचंद्र राय पंजाब में हिंदी-प्रचार का कार्य कर रहे थे। प्रकाशन और मुद्रण के क्षेत्र में भी बंगभाषियों की सेवाएं अविस्मरणीय हैं। श्री रामानंद चटर्जी ने अपने प्रवासी प्रेस से जहां 'विशाल भारत' जैसा उच्चकोटि का मासिक पत्र निकाला, वहां श्री चिंतामणि घोष के इंडियन प्रेस ने 'सरस्वती' का प्रकाशन करके हिंदी-भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि में अभूतपूर्व योगदान दिया। यह बंगाल के ही सपूत श्री नागेंद्रनाथ बसु को श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने 25 खंडों में विश्वकोश प्रकाशित करके हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि की थी। अनेक बंग-नेताओं द्वारा जहां राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार में योगदान की दिशा में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहे थे, वहां जस्टिस शारदाचरण मित्र ने 'एक लिपि विस्तार परिषद्' की स्थापना करके उसके द्वारा 'देवनगर' नामक ऐसा पत्र प्रकाशित किया था कि जिसका उद्देश्य देवनागरी लिपि के माध्यम से समस्त भारतीय भाषाओं की कृतियों को प्रकाशित करके उनमें समन्वय स्थापित करता था। उनका यह भी अभिमत था कि यदि भाषाओं में से लिपि की दीवार को हटा दिया जाए और सब भाषाओं को 'देवनागरी' लिपि में ही लिखने की परंपरा चल पड़े, तो भारत की एकता अखंड रह सकेगी। वास्तव में यदि लिपि की बाधा को दूर कर दिया जाए और सारे देश की भाषाएं 'देवनागरी' को अपना लें तो हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक चेतना को बड़ा बल मिल सकेगा और एक लिपि के माध्यम से हमारी एकता सर्वथा के लिए अक्षुण्ण रह सकेगी।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ साथ वर्षों से भारत के अंतस की भाषा रही है। उसमें सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की अनूठी शक्ति है। राष्ट्रीय एकता के सूत्र के लिए जिस भाषा के सूत्र में बंधकर भारत को अंग्रेजी दासता से आजादी मिली वह हिंदी थी। महात्मा गांधी राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती सरीखे महापुरुषों ने दक्षिण भारत में आजादी के लिए जो जनजागरण की लहर फैलाई उस जनजागरण और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम हिंदी थी।

इसके महत्व को स्वीकार कर महात्मा गांधी ने भी कहा था कि-''राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।'' आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने कहा था-''हिंदी के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजभाषा के पद पर आसीन हिंदी हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इनसे पूर्व देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत की प्रमुख राजनीतिज्ञ रहीं स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी हिंदी के महत्व को श्वीकारते हुए कहा था कि- ''हिंदी ही वह कड़ी है जो देश को एक सूत्र में जोड़े रख सकती है।''

उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर इकबाल ने भी हिंदू मुस्लिम सम्प्रदायों की एकता के संबंध में कहा था कि- ''हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा।'' मध्यकाल ही नहीं आधुनिक काल में भी हिंदी के बढ़ते प्रभाव और महत्व के चलते अनेक मुस्लिम साहित्यकारों ने हिंदी की साहित्यिक संपदा को आगे बढ़ाया है। इनमें प्रमुख हैं-डॉ. राही मासूम रजा, बदी उज्जमां, आलमशाह खान, मेहरून्निसा परवेज, असगर वजाहत, नासिरा शर्मा, अब्दुल बिस्मिल्लाह और मंजूद एहतेशाम आदि। अब वह समय आ गया है कि जब समस्त भारतीय भाषाएं मुक्त स्वर से राष्ट्रभाषा का उद्घोष करेंगी। हिंदी भाषा के उद्देश्य और महत्व को राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त की यह भावना देश की एकता के लिए निम्न प्रकार संदेश दे रही है-

''हिन्दी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य।
यों तो रूस और अमेरीका, जितना है उसका जन-राज्य।।''

हिंदी के अतीत की तरह उसका वर्तमान भी सुखद है भविष्य और भी बेहतर होगा। संचार माध्यमों के द्वारा भी हिंदी के प्रचार प्रसार से देश के कोने-कोने में प्रत्येक वर्ग और सम्प्रदाय की एकता को बल मिला है। इसके दिनोंदिन बढ़ रहे प्रसार से हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आदि धर्मों के प्रयोक्ता जुड़ रहे हैं। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित हो रहे हैं। 31 मार्च 2013 तक आरएनआई रिकार्ड के अनुसार देश में कुल पंजीकृत 82222 पत्र-पत्रिकाओं में से सर्वाधिक 32793 पत्र पत्रिका हिंदी भाषा के थे। सर्वाधिक प्रसार भी हिंदीभाषी समाचार पत्र पत्रिकाओं का है। रेडियो और टेलीविजन के सर्वाधिक कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित हो रहे हैं जो देश के कोने-कोने में देखे जाते हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रमों, टीवी सीरियलों मसलन-

रामायण और महाभारत ने अहिंदीभाषी प्रांतों में खासी लोकप्रियता हासिल कर हिंदी को अहिंदीभाषी प्रांतों में और भी लोकप्रिय बनाया। देश में बनने वाली 3 हजार से अधिक फिल्मों में सर्वाधिक फिल्में भी हिंदी भाषा में बनती हैं। इनके गीत संगीत से देशभर के श्रोताओं और दर्शकों को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिज्ञ और सांस्कृतिक एकता से जोड़ा है। अत्याधुनिक संचार माध्यम मोबाइल के एंड्राइड एप 'गूगल इंडिक कीबोर्ड' की मदद से मात्र बोलने से ही हिंदी टाइपिंग की सुविधा ने हिंदी के सार्वभौमिक फॉन्ट 'मंगल' में कामकाज को और भी सरल बना दिया है। इंटरनेट पर भी हिंदी के अनेक ब्लॉग, सर्चइंचन और वेबसाइटों पर बहुपयोगी सामग्री और साहित्य उपलब्ध है जो अहिंदी प्रांतों के पाठकों की संख्या को बढ़ा रहा है। अब हिंदी के सहज और सरल प्रयोगों से आम पाठक और व्यक्ति जुड़ रहा है। इससे राष्ट्रीय पहचान और एकता को निरंतर बल मिल रहा है।

डॉ. सतीश शर्मा 'जाफरावादी' डी. लिट्.

प्रेमसदन', जाफरावाद, जेवर
पिन- 203135,
गौतमबुद्धनगर, उ.प्र.

## वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की महत्ता

डॉ संतराम यादव

वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण व बाजारवाद में से किसी भी नाम से पुकारिए, भारत में यह प्रक्रिया उन्नीस सौ नब्बे के दशक में आरंभ हुई थी । इस युग में कोई सीमा, कोई सरहद या कोई दीवार नहीं हैं अपितु यह तो पूरे विश्व को एक ग्राम में तब्दील करने की ऐसी अवधारणा है जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी है । वैश्वीकरण की प्रक्रिया के आरंभिक दौर में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हिंदी की तुलना में अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ा अवश्य था परंतु धीरे-धीरे उसकी गति

धीमी होती चली गई । विश्व बाजार व्यवस्था की इस प्रकृति से भारत अछूता नहीं रह सकता था । उसे भी वैश्विक मंडी में देर सबेर खड़ा होना ही था । यह भी जग जाहिर है कि वैश्वीकरण ने जहां एक तरफ मुक्त बाजार की दलीलें पेश की वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एकक नई उपभोक्ता संस्कृति को भी जन्म दिया । आजकल संयुक्त राष्ट्र और विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी को शुमार करने की ठोस दलीलें दी जा रही हैं । विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन की आहट है ।

**परिभाषा**

प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक नोम चॉमस्की ने वैश्वीकरण का अर्थ अंतराष्ट्रीय एकीकरण माना है । इस एकीकरण में भाषा की अहम् भूमिका होगी और जो भाषा व्यापक रूप से प्रयोग में रहेगी, उसी का स्थान विश्व में सुनिश्चित होगा । नोम चॉमस्की के अनुसार जब विश्व एक बड़ा बाजार हो जाएगा तो बाजार में व्यापार करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होगा उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी और वही भाषा जीवित रहेगी । वेट्टे क्लेर रोस्सर ने कहा था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया अचानक ही बीसवीं सदी में नहीं उत्पन्न हुई अपितु दो हजार वर्ष पूर्व भी भारत ने उस समय विश्व के व्यापार क्षेत्र में अपना सिक्का जमाया था जब वह अपने जायकेदार मसालों, खुशबूदार इत्रों एवं रंग बिरंगे कपड़ों के लिए जाना जाता था । ऐसे समय भारत का व्यापार इतना व्यापक था कि रोम की संसद ने एक विधेयक के माध्यम से अपने लोगों के लिए भारतीय कपड़े का प्रयोग निषिद्ध करार दिया ताकि वहां के सोने के सिक्कों को भारत ले जाने से रोका जा सके । तभी से भारत की उक्ति वसुधैव कुटुंबकम प्रचलित हुई । हमारे लिए वैश्वीकरण का मुद्दा कोई नया नहीं है । विश्वस्तर पर सरकारी कामकाज हेतु अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी और अरबी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का स्थान प्राप्त है । हिंदी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं । अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक भाषा (ग्लोबल लेंग्वेज) के रूप में हिंदी की उपयोगिता को विश्व का व्यापारिक समुदाय अब भली-भांति समझ भी चुका है । आंकड़े दर्शाते हैं कि सवा सौ करोड़ की आबादी वाले इस राष्ट्र में चालीस करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है । पैंतीस करोड़ से अधिक लोग इस भाषा का प्रयोग दूसरी भाषा के रूप में करते हैं ।

लगभग तीस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा के साथ सरोकार जुड़ा हुआ है । कहने का आशय यह है कि देश की आबादी के लगभग तीन चौथाई से अधिक लोगों में हिंदी संपर्क का माध्यम है ।

**बाजारवाद और हिंदी**

वैश्वीकरण का अर्थ व्यापक तौर पर बाजारीकरण है । आज मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र बाजारवाद से प्रभावित है । मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण के युग में भारत में हिंदी भाषा संप्रेषण का एक बड़ा बाजार है । प्रसिद्ध समाज विज्ञानी प्रोफेसर आनंद कुमार से वैश्वीकरण के आधार तत्वों के रूप में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, मध्यम वर्ग, बाजार, संचार माध्यम, बहुउद्देशीय कंपनियां, आप्रवासन और संपन्नता नामक सात तत्वों को प्राथमिकता प्रदान की है । इनमें से एक देशी भाषाओं के अनुकूल बाजार और दूसरा संचार माध्यम प्रमुख हैं । बहुभाषिक समाज व्यवस्था वाले भारत में हिंदी को वैश्विक बाजार ने संपर्क व व्यवहार की भाषा के रूप में अपनाया । भारत दुनियाभर के उत्पाद निर्माताओं के लिए एक बड़ा खरीदार और उपभोक्ता बाजार है । दुनिया अब भली भांति इस बात को पहचान चुकी है कि यदि विशाल आबादी वाले भारतीय मध्यमवर्गीय बाजार तक उसे अपनी पहुंच बनानी है तो हिंदी को अपनाना ही होगा । आज बहुराट्रीय और देशी कंपनियों की लगभग सत्तर प्रतिशत से अधिक वस्तुएं हिंदी के माध्यम से जनमानस तक हुंच रही हैं । वैश्वीकरण में आर्थिक और सास्कृतिक दोनों दृष्टि से हिंदी की भूमिका बढ़ी है । नई बाजार संस्कृति अब तक स्वायत्त रहे समाजों और संस्कृतियों के रहन-सहन, आचार-विचार, भाषा-भूषा और मूल्यबोध सभी का अपने तरीके से अनुकूलन कर रही है । बाजारीकरण की व्यवस्था में हिंदी भाषा इसका माध्यम बनकर उभरी है ।

**<u>प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया और हिंदी</u>**

टेलिविजन पर प्रसारित कार्यक्रम चाहे किसी भी विषय से संबंधित हों उन्हें व्यावसायिकता की दृष्टि से हिंदी एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराती है । टेलीविजन ने इस तरह हिंदी के भाषा वैविध्य और संप्रेषण क्षमता को सर्वथा नई दिशाएं प्रदान की हैं । वैश्वीकरण के इस सघन और उत्कट समय में मीडिया को वर्चस्वशाली भाषा और उच्च तकनीकी विकास का स्त्रोत तथा आधुनिकता के मूल्यों का वाहक माना जा रहा है । विज्ञापनों की भाषा और प्रमोशन वीडियो की भाषा के रूप में सामने आने वाली हिंदी शुद्धतावादियों को

भले ही न पच रही हो, युवा वर्ग ने उसे देश भर में अपने सक्रिय भाषा कोष में शामिल कर लिया है । यह हिंदी का ही कमाल है कि आज राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को हम गांवों में प्राप्त कर सकते हैं । समाचार पत्रों टी वी की विज्ञापन संस्कृति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है । आजकल साबुन और टूथपेस्ट जैसी दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं से आगे चलकर अब मोटर साईकिल, कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े आदि के विज्ञापन हिंदी में प्रसारित किए जा रहे हैं । छोटे-छोटे कस्बों तक सौंदर्य प्रसाधन के ब्यूटी पार्लर खुल चुके हैं । सैलून जैसे अब गुजरे जमाने का शब्द लगने लगा है । बड़े-बड़े होर्डिंग्स पर हिंदी में लिखे लोक लुभावन विज्ञापनों और नारों ने शहरी सीमा को लांघकर कस्बों और गांवों में जगह बना ली है । टी वी और मोबाइल से शायद ही अब देश का कोई कोना अछूता बचा होगा । वैश्वीकरण बाजार के विकास और विस्तार में प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक माडिया पर प्रसारित विज्ञापनों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है । अभिव्यक्ति कौशल के विकास का अर्थ भाषा का विकास ही है । बाजारीकरण ने आर्थिक उदारीकरण, सूचनाक्रांति तथा जीवन शैली के वैश्वीकरण की जो स्थितियां भारत की जनता के सामने रखी, इसमें संदेह नहीं कि उनमें पड़कर हिंदी भाषा के अभिव्यक्ति कौशल का विकास ही हुआ । आज प्रचार माध्यमों की भाषा हिंदी होने के कारण वे भारतीय परिवार और सामाजिक संरचना की उपेक्षा नहीं कर सकते । विज्ञापनों से लेकर धारावाहिकों तक में हिंदी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है । आरंभ में मीडिया में छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर स्टार टी वी लाए तो उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेजी माध्यम से बढ़िया प्रोग्राम भी शहरी वर्ग के इलीट क्लास तक ही सीमित हैं । परंतु ज्योंहिं स्टार टीवी ने हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित करने आरंभ किए तो उसके दर्शकों में बेतहाशा वृद्धि हुई । भारत में अब डिस्कवरी, सोनी, कलर, आज तक, एनडीटीवी, जी टीवी आदि अनोकानेक चैनल हिंदी में अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं । आज की परिस्थितियों में समाचार विश्लेषण तक में कोड मिश्रित हिंदी का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है । पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, पारिवारिक, जासूसी, वैज्ञानिक और हास्य प्रधान अनेक प्रकार के धारावाहिकों का प्रदर्शन विभिन्न चैनलों पर जिस हिंदी में किया जा रहा 7है उसमें विषय संदर्भित व्याहारिक भाषा रूपों और कोडों का मिश्रण किया जाता है जिस सहज ही जनस्वीकृति मिल रही है ।

हिंदी पत्रकारिता में डिजिटल तकनीकी और बहुरंगे चित्रों के प्रकाशन की सुविधा ने बाजारी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है । आज हिंदी में विविध प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहा है तथा मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा और परस्पर व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में उसका विस्तार हो रहा है । इंटरनेट और वेबसाइट की सुविधा ने पत्र व पत्रिकाओं के ई संस्करणों तथा पूर्णरूप से ऑनलाइन पत्र व पत्रकाओं को उपबल्ध कराकर सर्वथा ई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं । यही कारण है कि आज हिंदी की अनेक पत्रिकाएं इस रूप में कहीं भी और कभी भी सुलभ हैं तथा इंटरनेट पर हिंदी में अब हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है ।

**कंप्यूटर युग में अनुवाद कार्य का विस्तार**

कंप्युटर युग में विश्व और सिकुड़ गया है । अब घर बैठे विश्व में कहीं भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है । वैश्वीकरण के इस दौर में अनुवाद के कार्य का विस्तार दिनौंदिन बढ़ता जा रहा है । वह दिन दूर नहीं जब तकनीक के आदान-प्रदान में अनुवाद अपनी विशेष भूमिका अदा कर पाएगा । इंटरनेट के माध्यम से हिंदी की विभिन्न वेबसाइट, चिट्ठाकार और अनेकानेक सामग्री उपलब्ध हो रही है । यूनिकोड के माध्यम से कंप्युटर पर अब किसी भी भाषा में कार्य करना न केवल सरल ही हो गया है अपितु जिस भाषा में हम अपने सिस्टम पर सामग्री तैयार करते हैं उसे विश्व के किसी भी कोने में न केवल यथावत पा ही सकते हैं अपितु इच्छानुसार परिवर्तित भी कर सकते हैं । आज हिंदी के स्वरूप, क्षेत्र एवं प्रकृति में बदलाव आया है । आज हिंदी समूचे भूमंडल की एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी है । आज की बदलती परिस्थितियों में हिंदी भाषियों और भारत की शक्ति के नाते ही सही अमेरीकी सरकार के साथ साथ कम्प्यूटरक किंग कहे जाने ववाले बिल गेट्स भी हिंदी के उपयोग में दिलचस्पी दिका रहे हैं । गूगल के मुख्य अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में स्पेनिश नहीं बल्कि अंग्रेजी और चीनी के साथ हिंदी ही इंटरनेट की प्रमुख भाषा होगी । आजकल गूगल के माध्यम से अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में स्पीच से सीधा अनुवाद भी उपलब्ध होने लग गया है । गूगल सॉफ्टवेयर से अंग्रेजी डाक्यूमेंट को हिंदी भाषा में तुरंत अनुदित करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है ।

**फिल्मों में हिंदी**

फिल्म के माध्यम से भी हिंदी को वैश्वक स्तर पर सम्मान प्राप्त हो रहा है । आज अनेक फिल्मकार भारत ही नहीं यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के अपने दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे हैं और हिंदी सिनेमा ऑस्कर तक पहुंच रहा है । सिनेमा ने हिंदी की लोकप्रियता और व्यावहारिकता दोनों ही बढ़ाई है । कहने को तो बड़े पर्दे पर अनेकाने फिल्में डब होती रहती हैं, परंतु जिस दिन से हालीवुड की फिल्मों को बालीवुड की भाषा में लाने की कोशिश शुरू हुई उसी दिन से एक नई चीज फिल्म इंटस्ट्री में देखने को मिल रही है । जब जुरासिक पार्क को हिंदी में डब किया गया तो देश के दूरदराज के गोव व कस्बों तक उसे खूब पसंद किया गया । उल्लेकनीय यह है कि इसके पहले किसी भी विदेशी फिल्म ने इतना मुनाफी नहीं कमाया था । ये तथ्य इस बात के संकेत है कि हिंदी में कितनी जबरदस्त क्षमता है ।

**संचार माध्यमों में हिंदी**

सूचनाओं का व्यापक संप्रेषण करने वाला संचार माध्यम समाज का दर्पण है । संचार माध्यमों का ताना और बाना अधिक जटिल और व्यापक है क्योंकि वे तुरंत और दूरगामी असर करते हैं । वैश्वीकरण ने उन्हें अनेक चैनल उपलब्ध कराए हैं । इंटरनेट और वेबसाइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीयता के नए अस्त्र और शस्त्र मुहैया कराए हैं । संचार माध्यमों की भाषा में नए शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्तियों और वाक्य संयोजन की विधियों का समावेश होता रहता है जिससे हिंदी भाषा के सामर्थ्य में वृद्धि हुई है । संचार माध्यम भाषा द्वारा ही आज के आदमी को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं । संचार माध्यम की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने पर हिंदी समस्त ज्ञान विज्ञान और आधुनिक विषयों से सहज ही जुड़ गई है । वह अदालतनुमा कार्यक्रमों के रूप में सरकार और प्रशासन से प्रश्न पूछती है, विश्व जनमत का निर्माण करने के लिए बुद्धिजीवियों और जनता के विचारों के प्रकटीकरण और प्रसारण का आधार बनती है, सच्चाई का बयान करके समाज को अफवाहों से बचाती है, विकास योजनाओं के संबंध में जन शिक्षण का दायित्व निभाती है, घटनाचक्र और समाचारों का गहन विश्लेषण करती है तथा वस्तु की प्रकृति के अनुकूल विज्ञापन की रचना करके उपभोक्ता को उसकी अपनी भाषा में बाजार से चुनाव की सुविधा मुहैया कराती है । व्यवहार क्षेत्र की व्यापकता के कारण संचार माध्यमों के सहारे हिंदी भाषा की संप्रेषण क्षमता का बहुमुखी विकास हो रहा है । राष्ट्रीय और विविध

अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में हिंदी आधुनिक संदर्भों के व्यक्त करने के अपने सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रमाणित कर रही है । आज संचार माध्यम की भाषा बनकर हिंदी ने जनभाषा का रूप धारण करके व्यापक जन स्वीकृति प्राप्त की है । संचार माध्यमों के कारण हिंदी भाषा का तेजी से सरलीकरण होने से वैश्विक स्तर पर भी उसे स्वीकृति प्राप्त हो रही है ।

अंत में कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा ने बाजार और कंप्यूटर दोनों की भाषा के रूप में अपना सामर्थ्य सिद्ध कर दिया है । भविष्य की विश्वभाषा की ये ही तो दो कसौटियां बताई जाती रही हैं । आजकल मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही प्रकार के जनसंचार माध्यम नए विकास के आयामों को छू रहे हैं । हिंदी भाषी भी बाधाओं को पार करते हुए नित नवीन ऊंचाइयां छू रही है । वैश्वीकरण के इस युग में भारतीय संस्कृति विश्व पर हावी हो रही है । आज के मानसिक तनाव को देखते हुए विश्व की बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए योग एवं ध्यान के प्रशिक्षण के उपाय कर रही हैं । हमारे योग गुरू बाबा रामदेव जी और अन्य गुरू आज देश विदेश में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं । विदेशी समुदाय इससे लाभान्वित हो रहा है । सूचना, समाचार और संवाद प्रेषण के लिए हिंदी को विकल्प के रूप में अपनाकर समृद्ध किया है । वैश्वीकरण के कारण जहां पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो चुका है । वैश्विक बाजार संस्कृति के लिए हिंदी सबसे अनुकूल भाषा के रूप में अपनाई जा रही है । इससे जहां एक ओर हिंदी का विकास व विस्तार हो रहा है वहीं दूसरी ओर संपूर्ण राष्ट्र में भाषिक संपन्नता का परिचय पाकर हिंदी की स्वीकृति का भी क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है । हिंदी भाषा विक्रेता और क्रेता के बीच सेतु का कार्य कर रही है । आज कंप्यूटर, मोबाइल, फेसबुक, ट्वीटर, ब्लॉक, वाट्सएप इत्यादि पर हिंदी के प्रयोग ने दुनिया को सचमुच मनुष्य की मुट्ठी में कर दिया है । वह दिन दूर नहीं जब हर जगह हिंदी भाषा का बोलबाला नजर आएगा । भारत की सदियों पुरानी उक्ति वसुधैव कुटुम्बकम् एक बार फिर से चरितार्थ होती जा रही है ।

**राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा हिंदी**

प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी

राष्ट्रभाषा को समझने से पहले राष्ट्र, देश और जाति शब्दों को समझना असमीचीन न होगा । वस्तुतः राष्ट्र को अंग्रेजी शब्द नेशन का हिंदी पर्याय माना जाता है, किंतु इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर है । अंग्रेजी में नेशन शब्द से अभिप्राय किसी विशेष भूमि-खंड में रहने वाले निवासियों से है जबकि राष्ट्र शब्द विशेष भूमि-खंड, उसमें रहने वाले निवासी और उनकी संस्कृति का बोध कराता है । राजनीतिक दृष्टि से और भौगोलिक रूप से एक विशेष भूमि-खंड को देश की संज्ञा दी जाती है, किंतु इसका संबंध मानव समाज से नहीं है । जाति से अभिप्राय उस मानव समुदाय से है जो सामाजिक विकास के क्रम में पहले जन या गण के रूप में गठित होती है । यह गण समाज अर्थात जन समुदाय आर्थिक आधार पर जुड़कर एक निश्चित जाति का रूप धारण कर लेता है । इस जाति का अपवा प्रदेश और अपनी भाषा होतू है । युनान में अनेक गण-राज्य थे जिनमें सामंती व्यवस्था वाली लघु जातियां थीं । भारत में भरत, कुरु, पांचाल आदि अनेक गण समाज थे । बौद्ध काल के जनपद या महाजनपद लघु जातियों के ही प्रदेश थे, जिनमें ब्रज, अवध, बुंदेलखंड आदि लघु जातियों वाले अनेक प्रदेश बने जिनकी अपनी-अपनी भाषा है । इन्हीं से हिंदी भाषी जाति का निर्माण हुआ है । हिंदी के साथ-साथ मराठी, बंगला, तमिल आदि भाषाएं बोलने वाली अनेक जातियां भी अस्तित्व में आई हैं । कुछ विद्वान जाति का अर्थ नेशन से भी जोड़ते हैं ।

राष्ट्र शब्द व्यापक अर्थ लिए हुए है । इसके अंतर्गत देश और जाति दोनों की संकल्पना निहित है । वैदिक काल से ही राष्ट्र शब्द का प्रयोग भूमि, जन और संस्कृति के अंतर्ग्रथित रूप में चला आ रहा है । दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्र शब्द में तीन संदर्भों का सम्मिलन होता रहा है- एक, वह भूखंड या भूमि जिसमें मानव समुदाय रहता है, दो, स्वयं मानव समुदाय और तीन, उस मानव समुदाय की संस्कृति । मनुस्मृति (10/61,7/73, 9/254) में राष्ट्र को जिला, मंडल, प्रदेश या राज्य, देश या साम्राज्य के साथ-साथ प्रजा, जनता या अधिवासी के अर्थ में परिभाषित किया गया है । इस प्रकार इसमें भूमि, जन और उनकी संस्कृति सभी कुछ समाहित है । अपनी जन्मभूमि के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति से भी राष्ट्र की भावना जन्म लेती है । इसी अभिव्यक्ति को रामायण के रचयिता बाल्मिकि ने राम के मुख से कहलाया है- जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

राष्ट्र से राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिस कुछ विद्वान व्यापारिक पूंजीवाद की देन मानते हैं । वस्तुतः राष्ट्रवाद किसी समुदाय की वह आस्था है जिसके अंतर्गत उस समुदाय का इतिहास, उसकी परंपरा, संस्कृति, भाषा और जातीयता आधार के रूप में समाहित होते हैं । यूरोप का नवजागरण और फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि देशों का राष्ट्रवाद व्यापारिक पूंजीवाद का परिणाम माना जाता है । भारत में राष्ट्रवाद का विकास बिट्रिश शासन काल में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होने से हुआ । राष्ट्रीयता से राष्ट्र में ऐक्य की भावना जन्म लेती है और राष्ट्रीय एकता के लिए आंतरिक सौहार्द्र एवं सद्भावना, राष्ट्र-भक्ति और संगठन की भावना की आवश्यकता होती है ।

विश्व में तीन प्रकार के जातीयता वाले राष्ट्र हैं । जापान, ईरान, पोलैंड, रूमानिया आदि देश एकजातीय राष्ट्र हैं । कनाडा, बेल्जियम आदि द्विजातीय राष्ट्र हैं और भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी आदि अनेक देश बहुजातीय राष्ट्र हैं । हर जाति की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपना साहित्य होता है जिनसे राष्ट्रीय संस्कृति का विकास होता है । भारत बहुजातीय राष्ट्र है जिसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगू, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी आदि कई जातियां हैं । इनके केंद्र में हिंदी जाति है जिसके कारण भारत को हिंदुस्तान या हिंदुस्तां या हिंदी कहा जाता है । ब्रिटेन में इंग्लिश जाति की प्रधानता के कारण ही उसे इंग्लैंड भी कहते हैं । इसी संदर्भ में एक महान शायर इकबाल ने अपने कौमी तराना में कहा है- हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तां हमारा । इस प्रकार बहुजातीय राष्ट्र से अभिप्राय उस देश से है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं और उनमें राष्ट्रीय चेतना होती है । ऐसी चेतना का विकास भारत में हुआ है ।

जब कोई भाषा जीवंत, स्वायत्त, मानक, उन्नत और समृद्ध होकर समूचे राष्ट्र अथवा देश में सार्वजनिक संप्रेषण-व्यवस्था और कार्य-व्यापार में प्रयुक्त होने लगती है, बहुभाषी राष्ट्र में अंतर-प्रांतीय मध्यवर्तिनी भाषा के रूप में विभिन्न भाषाभाषी समुदायों के बीच बृहत्तर स्तर पर संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकारों में सरकारी कार्यों और पत्रव्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में जन्म लेती है। अमेरिकन भाषाविज्ञानी जोशुआ फिशमैन ने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के संदर्भ में nationalism (राष्ट्रीयता) और nationalism (राष्ट्रता अथवा राष्ट्रिकता) की

संकल्पना प्रस्तुत की है । राजभाषा का संबंध राष्ट्रिकता (nationalism) से रहता है जो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, राजनैतिक एकता और प्रशासनिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए काम करती है । यह सरकारी कामकाज में प्रयुक्त हो कर जनता तथा शासन के बीच संपर्क पैदा करती है । राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीयता (nationalism) से रहता है, क्योंकि राष्ट्रीयता जातीय प्रमाणिकता एवं राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी होती है । राष्ट्रीय चेतना का संबंध सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना से होता है । इसका संबंध भूत और वर्तमान के साथ होता है तथा महान परंपरा के साथ जुड़ा रहता है । वस्तुतः राष्ट्रभाषा राष्ट्र के समाज और संस्कृति के साथ तादात्म्य स्थापित करती है तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती है । यह भाषा जनता की निजी, सहज और विश्वासमयी भाषा बन जाती है जिसका प्रयोग राष्ट्रपरक कार्यों में चलता रहता है । इसीलिए राष्ट्रभाषा का अपने देश की भाषा होना अनिवार्य है, किंतु राजभाषा के लिए अपने देश की भाषा होना आवश्यक नहीं । देश के बाहर की भाषा राजभाषा तो हो सकती है, किंतु राष्ट्रभाषा नहीं । इस प्रकार राष्ट्रभाषा वही होती है जिसमें राष्ट्रीय प्रवृतियां सन्निहित होती हैं, अपने देश की परंपरा के प्रति प्रेम होता है, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति लगाव होता है और राष्ट्र की एकता के प्रति भावनाएं होती हैं । अमेरिका के सुविख्यात विद्वान फग्युर्सन के मतानुसार देश का भाषा नियोजन करते हुए राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अस्मिता, आधुनिक समाज, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में से कम-से-कम तीन लक्ष्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है । ये विशेषताएं अपने देश की भाषाओं में ही मिल सकती हैं, विदेशी भाषा में नहीं । इसके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा के संदर्भ में यह कहना भी उचित होगा कि जिस भाषा में राष्ट्र-निष्ठा और राष्ट्रीय भावना नहीं होती, वह राष्ट्र भाषा कहलाने की अधिकारी नहीं होती।

प्रश्न उठता है कि हिंदी में ऐसी कौन-सी विशेषता है जिसके कारण उसे राष्ट्रभाषा माना जा सकता है । साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से हिंदी का साहित्य श्रेष्ठ है। विश्व के अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य की कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि विभिन्न विधाओं की कृतियों का न केवल अनुवाद किया है बल्कि उनपर शोध और आलोचनात्मक कार्य भी किया है । यद्यपि हिंदी संस्कृत, तमिल, बंगला और अंग्रेजी से अधिक समृद्ध नहीं है तो

मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया आदि अन्य भारतीय भाषाएं भी उससे कम नहीं हैं । हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के पद से सुशोभित किया गया, क्योंकि इसे बोलने और समझने वाले इन सभी भाषाओं से अधिक है । वास्तव में हिंदी न तो किसी क्षेत्र-विशेष की भाषा है और न ही किसी एक समुदाय की मातृभाषा । वह तो जन-जन की भाषा है, महाजनपद की भाषा है, पूरे राष्ट्र की भाषा है । यद्यपि समय-समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु यह अपने मानस में विभिन्न भाषाओं और बोलियों के तत्वों को संजोती रही है । यह एक ऐसी अजस्त्र प्रवाहिनी गंगा नदी के समान हे जो अन्य भाषाओं एवं बोली रूपी नदियों के सम्मिलन से एक विस्तृत, व्यापक और सुंदर स्तोतस्वनी का रूप धारण करती रही है । हिंदी मात्र एक भाषा नहीं, अपितु हमारी राष्ट्रीयता है । हमारे जातीय गौरव का प्रतीक है और भारत अर्थात हिंदुस्तान की पहचान है । इसने लोकभाषा खड़ीबोली का आधार ले कर और अन्य बोलियों से सिंचित होकर भाषा का रूप धारण किया और फिर भाषा से भारत की संपर्क भाषा बनी और फिर राजभाषा से गौरवान्वित हुई । राजभाषा से राष्ट्रभाषा का स्वरूप ग्रहण कर लिया और फिर अपने बढ़ते हुए विकास की यात्रा में यह राष्ट्रभाषा इतनी गतिशील हो गई है कि विश्व भाषा का स्थान लेने में अग्रसर हो गई । इसीलिए राष्ट्रीयता की भावना से अनुस्यूत राष्ट्रभाषा दो लक्षणों- आंतरिक एकता और बाह्य विशिष्टता से परस्पर गुंथी होती है । समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की प्रवृत्ति आंतरिक एकता होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाह्य रूप में विशिष्टता सिद्ध करने की प्रवृति होती है । बहुभाषी देश में आंतरिक एकता तभी संभव है जब मातृभाषा के साथ-साथ एक अन्य भाषा संपर्क भाषा के रूप में उभर कर आए और बाह्य विशिष्टता के लिए यह भी आवश्यक है कि संपर्क भाषा के रूप में राजभाषा की पदवी पाने वाली वह भाषा स्वदेशी ही हो । ये दोनों लक्षण हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बना देते हैं । इसी कारण हिंदी को स्वतंत्रता-संग्राम के समय से राष्ट्रभाषा का पद देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ।

समूचे देश की संपर्क भाषा होने के कारण स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान हिंदी की प्रासंगिकता को समझा गया और राष्ट्र भाषा की अवधारणा ने जन्म लिया । न केवल हिंदीभाषी संतों और आचार्यों ने जन-जन के हृदय तक हिंदी में अपना संदेश पहुंचाने का कार्य किया बल्कि दक्षिण और हिंदीतर-भाषी आचार्यों और

संतों का भी विशेष योगदान रहा है । दक्षिण के रामानुज, रामानंद, विट्ठल, वल्लभाचार्य, महाराष्ट्र के नामदेव एवं ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसी मेहता तथा स्वामी दयानंद, असम के शंकर देव, पंजाब के गुरु नानक देव आदि आचार्यों और संतों ने देश में जन-जन तक अपना संदेश पहुंचाने और अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए हिंदी को अपना माध्यम बनाया । हिंदी की इस सरलता, सहजता और सर्वदेशिकता के परिप्रेक्ष्य में काका कालेलकर ने कहा था कि हिंदी सिद्धों की भाषा है, संतों की भाषा है और साधारण जन की भाषा है जिसकी सरलता, सुगमता, सुघड़ता और अमरता स्वयं-सिद्ध है । हिंदी उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाली सब से बड़ी कड़ी है । एक विदेशी अनुसंधानकर्ता एच. डी. कोलबुक ने एक सौ वर्ष पूर्व एशियाटिक रिसर्च में लिखा था कि जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं जो पढ़े-लिखे और अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े-बहुत लोग समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है ।

एक शोध से जानकारी मिली है कि मुगल काल से पूर्व भी मुस्लिम राज्यों में शाही फरमानों में हिंदी का प्रयोग होता था । यद्यपि मुगल काल में फारसी राजभाषा हो गई थी किंतु यत्र-तत्र हिंदी का भी प्रयोग होता था । एक शोधकर्ता बुलाखमैन ने सन् 1871 में कलकता रिव्यू में लिखा था, मुगल बादशाहों में शासन काल में ही नहीं, इससे पहले भी सभी सरकारी कागजात हिंदी में लिखे जाते थे । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिण भारत आदि हिंदीतर भाषी राज्यों के नेताओं, राजनेताओं, साहित्यकारों और समाज सुधारकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की । इनमें राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद, सरदार वल्लभ पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुब्रह्मण्यम भारती आदि उल्लेखनीय है । सन् 1910 में हिंदीतर भाषी न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पं. मदन मोहन मालवीय को शुभ संदेश भेजते हुए लिखा था हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है । यद्यपि मैं बंगाली हूं तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन सारे भारतवासियों के साथ साथु हिंदी में वार्तालाप कर सकूं । भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक गुजराती भाषी महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदी के महत्व को समझ लिया था और समूचे देश के

जन-मानस में उसे राष्ट्रभाषा बनाने की भावना को देखते हुए हिंदीतर भाषी राज्यों में राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों का जाल बिछा दिया । वास्तव में यह एक मनोसमाजिक यथार्थ था ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनेताओं ने देश में बहुभाषिकता की वास्तविकता को समझा, उसे एकसूत्र में बांधने और राष्ट्रीय विकास में हिंदी की महता को पहचाना और फिर संविधान में राजभाषा का दर्जा दे कर उसे गौरवान्वित किया । मुंशी-आयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात संविधान का भाग 17 है जिसमें 343 से 351 तक अनुच्छेद हैं और साथ में संविधान के परिशिष्ट में अष्टम अनुसूची । इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बड़ी मार्मिकता से कहा था कि आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की इभाषा हो गयी । हमें समय के अनुसार अपने-आप को ढालना और विकसित करना होगा । हमने अपने देश का राजनैतिक एकीकरण किया है । राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी । अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चय ही और भी एक-दूसरे से नजदीक आएंगे ।

राजभाषा का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए हिंदी को सक्षम माना गया । अतः संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया । व्यापक अर्थ में हिंदी का संविधानीकरण करना हिंदी का राष्ट्रीयकरण करना है । इसमें हिंदी को अखिल भारतीय रूप में देखा गया है जिससे राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं में वृद्धि होती है । यह केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्रभाषा की भूमिका भी निभा रही है । कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने तो उन लोगों की इस बात से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, इंकार करते हुए कहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, यह तो पहले से ही राष्ट्रभाषा है । यह सांस्कृतिक जागरण और भारतीय एकता का आधार है । यदि राष्ट्र की संकल्पना समूचे भारतवर्ष पर लागू हो जाए तो हिंदी सामाजिक और भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का कार्य कर सकती है और यदि भारत राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों का संघ या समूह माना जाए तो अन्य भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य करेंगी । लेकिन यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि संविधान में स्पष्ट रूप से हिंदी

को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं मान लिया गया, जब कि प्रतीक के रूप में राष्ट्र का एक धवज, एक गान, एक पक्षी, एक पशु और एक पुष्प निर्धारित हो सकता है तो एक भाषा क्यों नहीं । यह सही है कि बहुभाषी देश में हर भाषा अपने समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक मनोगत अस्मिता से जुड़ी होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि देश की राष्ट्रीय अस्मिता, अखंडता और एकीकरण के साथ-साथ हिंदी के प्रति जन मानस की भावना को भी समझना होगा । हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करने का यह अभिप्राय नहीं है कि यह भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक समृद्ध है । इसे बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या न केवल देश में सबसे अधिक है, बल्कि विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली तीन भाषाओं में से एक है । इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि इसके राष्ट्र भाषा बन जाने से अन्य भारतीय भाषाओं का महत्व कम हो जाएगा । हिंदी अगर राष्ट्रभाषा बन जाती है तो अन्य भारतीय भाषाओं के सम्मान और भूमिका में भी वृद्धि होगी और ये भाषाएं हिंदी की सहयोगी भाषा के रूप में महत्वपूर्ण योगदान करती रहेंगी ।

संविधान में हिंदी संबंधी भाषायी अनुच्छेदों में अनुच्छेद 351 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपबंध है जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें । इस अनुच्छेद का लक्ष्य हिंदी को केवल संघ की राजभाषा के स्वरूप के नियोजन तक सीमितत नहीं रखना है, वरन् भाषा-व्यवहार क्षेत्र से जोड़ना है । हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप का विकास करने के लिए यह अनुच्छेद संविधान-निर्माताओं की आंतरिक आकांक्षा को व्यक्त करता है ताकि यह देश के सभी भाषायी वर्गों में स्वीकार्य हो सके । इसमें हिंदी को विकसित करने और समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी संघ सरकार को दी गई । इसका स्वरूप समन्वित और उदार हो । भारत की सभी संस्कृतियां मिली-जुली हों, उनमें पूर्ण समन्वय हो, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय भाषा-समूह यह अनुभव कर

सकें कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में यह विकसित भाषा उनकी अपनी भाषा के निकट हैं और इस भाषा के निर्माण में उनका योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । इस प्रकार संविधान-निर्माताओं ने भविष्य के लिए राष्ट्रीय हिंदी की कल्पना की थी । हिंदी का यह संविधानीकरण हिंदी के राष्ट्रीयकरण और उसके अखिल स्वरूप का तर्कपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है । इसीलिए हिंदी की परिभाषा सांगोपांग और उदार निर्धारित की गई है । यथा,

1. यह भारत की सामासिक संस्कृति अर्थात मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बने । दूसरे शब्दों में, किसी एक ही समुदाय की संस्कृति की वाहिका न बने ।
2. यह अपनी प्रकृति खोए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के रूप, शैली और पदों को आत्मसात करे अर्थात क्षेत्रीय भाषाएं राजभाषा हिंदी का पोषक बने ।
3. यदि आवश्यकता पड़ती है तो यह अपने विकास के लिए संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द ग्रहण कर सकती है ।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द, शैली आदि अपना कर विकसित होगी, अर्थात उसमें भारतीय भाषाओं का प्रभाव परिलक्षित होगा । वास्तव में सभी भारतीय भाषाओं के प्रभाव से विकसित हिंदी का स्वरूप कृत्रिम नहीं होगा बल्कि वह सार्वदेशिक रूप ग्रहण करेगा, क्योंकि भाषा समाज की सांस्कृतिक अवधारणाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होती है । इसके अतिरिक्त धर्म-निरपेक्ष होने के कारण हिंदी का सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना आवश्यक था, हालांकि भारतीय संस्कृति अपने-आप में ही सामासिक और मिली-जुली है । भारत की विभिन्न उपसंस्कृतियों के आपस में एक-दूसरे के बहुत निकट होने के कारण उन्हें अलग से पहचानना कुछ कठिन है । तथापि, उनमें पारस्परिक आदान-प्रदान होना आवश्यक है ताकि हिंदी अपनी समन्वयवादी भूमिका भली-भांति निभा सके । वस्तुतः हिंदी के इस राष्ट्रीय विकास से ही यह संभव हो पाएगा जब इसका व्यापक प्रयोग सभी क्षेत्रों में हो और समूचे देश के राष्ट्रीय जीवन में अधिक व्याप्त हो ।

संविधान के अनुच्छेद 343 खंड (3) के अधीन राजभाषा अधिनियम, 1963 को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल बहादुर

शास्त्री ने 13 अप्रैल, 1963 को प्रस्तुत किया था । इसका उद्देश्य था कि 15 वर्ष की अवधि (26 जनवरी, 1965) के बाद हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए । इस विधेयक पर अपना वक्तव्य देते हुए गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हम अंग्रेजी कि वर्तमान स्थिति कायम नहीं रख सकते और न ही रहनी चाहिए । कोई राष्ट्रीय औचित्य न हो तब तक अंग्रेजी के स्थान पर और देश की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को अपनाने में अनिश्चितता बनाए रखना भी उपयुक्त नहीं है । अनंत काल तक अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति चलने नहीं दी जा सकती । काफी लंबे वाद-विवाद के बाद यह विधेयक पारित हुआ और 10 मई, 1963 को उस पर हस्ताक्षर हुए ।

इस प्रकार भारत की बहुभाषिक स्थिति होते हुए भी हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं अधिक थी, किंतु भारत संघ की यह राजभाषा कार्यालयीन भाषा तक सीमित रह गई है । एक विडंबना और, न्यायपालिका में और वह भी हिंदी भाषी राज्यों में इसका प्रयोग आज भी अत्यल्प हो रहा है, उच्चतम न्यायालय में तो बिल्कुल ही नहीं । सभी कानूनी औपचारिकताएं अंग्रेजी में पूरी की जाती हैं जनता तक नहीं जातीं । शिक्षा, विशेषकर पब्लिक स्कूलों में और उच्च शिक्षा में, वाणिज्य-व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि अनेककक क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व है । वास्तव में संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देदे हुए हमारे भाषा नियोजन में कुछ कमी रह गई, जिसके कारण इसकी सामाजिक-सांस्कृतिक एकता की अवधारणा को प्रशासनिक प्रयोजनों तक सीमित कर दिया गया । दूसरा, शासन तंत्र की सुविधा के लिए अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक जारी रख देश में द्विभाषिक स्थिति पैदा कर दी गई है। उससे हिंदी की स्थिति नाजुक और जटिल बन गई है । तथापि, हिंदी अपनी सार्वदेशिक प्रकृति के कारण समूचे भारत की संपर्क भाषा की भूमिका निभाएगी और देश की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम होगी ।

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री गोपाल राव एकबोटे ने सन् 1980 में A Nation without a National Language के नाम से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया । बाद में उन्होंने इस पुस्तिका में और

सामग्री जोड़ी और आचार्य खंडेराव कुलकर्णी के सहयोग से इस परिवर्द्धित पुस्तक का हिंदी में अनुवाद कर राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र पुस्तक का प्रकाशन सन् 1987 में किया । बहुभाषी भारत में हिंदी को राष्ट्रीय एकात्मकता का निर्माण करने की शक्ति और महत्ता का विवेचन करते हुए कहा कि हिंदी एक समन्यवादी और उदार भाषा है । इसके विकास में इसकी अपनी बोलियों, भारतीय भाषाओं और अन्य वैश्विक भाषाओं का विशेष योगदान है । स्वतंत्रता-संग्राम से चली आ रही भावनात्मक पृष्ठभूमि है । एकबोटे जी ने यह भी उल्लेख किया है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में इसके स्वरूप का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि हिंदीभाषी क्षेत्रों की भाषा हिंदी से अलग हो गई है । इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना ही चाहिए । भारत का भाषिक भारतीयकरण का स्वावलंबन और भाषा नीति भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं और राजकीय प्रयोजनों के अनुरूप होना जरूरी है । यदि हिंदी को पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिला तो भारत के विकास और प्रगति की संभावना करना व्यर्थ हो जाएगा ।

भारत का स्वतंत्रता-संग्राम हमारे संघर्षों का इतिहास है । आजादी की लड़ाई में हिंदी की विशेष भूमिका रही है और इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए एक जनभाषा का होना आवश्यक है । यह भूमिका केवल हिंदी या हिंदुस्तानी ही निभा सकती है । गांधी जी हिंदी और हिंदुस्तानी में कोई अंतर नहीं मानते थे । इसीलिए हिंदी न केवल स्वतंत्रता-सेनानियों की राष्ट्र भाषा थी अपितु समस्त जनता ने अपने समूचे स्वतंत्रता-संग्राम में इसे राष्ट्रभाषा ही माना हुआ था । सच मानिए उस काल में हिंदी ही राष्ट्रभाषा थी । सन् 1906 से सन् 1947 तक अर्थात देश के स्वतंत्र होने तक भारत के हर देशवासी की अभिलाषा थी कि भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए एक राष्ट्र-ध्वज, एक राष्ट्रगीत और एक राष्ट्रभाषा का होना नितांत आवश्यक है । इसी संघर्ष, इन्हीं जन-आकांक्षाओं और भावनाओं का सुफल है संविधान का अनुच्छेद 351 । इस अनुच्छेद के पीछे अगर इस महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि को भूला दिया गया तो इसकी सार्थकता और प्रयोजनीयता समाप्त हो जाएगी । इस प्रकार अनुच्छेद 351 से यह

आशय निकलता है कि संविधान-निर्माता हिंदी को मात्र राजभाषा तक सीमित नहीं रखना चाहते थे बल्कि उनका लक्ष्य उसे भविष्य में राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाना था, क्योंकि उस समय संविधान सभा के कुछ सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में हिचकिचा रहे थे । इस अनुच्छेद में यह भाव भी निहित है कि हिंदी के विकास का उद्देश्य न केवल भाषायी दृष्टि से एकात्मकता स्थापिक करना है बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक तथा भावनात्मक दृष्टि से भी एकात्मकता स्थापित कर समन्वित संस्कृति का निर्माम भी करना है ताकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद मिलने में कोई बाधा न आए । इसके साथ-साथ संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं को देने का उद्देश्य यह था कि ये भारतीय भाषाएं अपना विकास करते हुए हिंदी भाषा के विकास में भी सहयोग देंगी । इसके संकेत अनुच्छेत 351 में मिल जाते हैं ।

राष्ट्रभाषा से अभिप्राय समूचे राष्ट्र या देश की भाषा से है । वह समूचे देश में बोली और समझी जाती हो और उसका यह स्वरूप सदैव अक्षुण्ण बना रहता है । यह न तो उत्तर की या दक्षिण की भाषा होती है और न ही पूर्व की या पश्चिम की भाषा होती है । यह तो समूचे देश की भाषा होती है । यह मात्र विद्वानों और शोधर्थियों की भाषा तक सीमित न रह कर जन-जन की भाषा होती है । विभिन्न भाषा-भाषियों और समुदायों के बीच का काम करती है और उनमें सौहार्द्र और सद्भावना का संबंध बनाए रखती है । समूचे राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक तथा भावनात्मक एकता का निर्माण करती है । इस भाषा की प्रकृति सार्वदेशिकता, सर्वसमावेशिकता, प्राचीन परंपरा, जीवंतता, स्वायत्तता, उदारतावादी दृष्टिकोण, अनेक स्रोतीय शब्द संवर्धन, मानकीकारण, संप्रेषणीयता एवं बोधगम्यता आदि विशिष्टताओं के कारण अखिल भारतीय हो गई है । इसकी प्रकृति में बिहारी हिंदी, पंजाबी हिंदी, हैदराबादी हिंदी, मुंबइया हिंदी, कोलकतिया हिंदी आदि अनेक रूप मिलते है । भाषा के ये रूप उसके व्यापक एवं विशाल प्रयोग के द्योतक हैं । वे सभी भारतीयों के लिए बोधगम्य रहेंगे, क्योंकि इन रूपों में उसकी आत्मा एक ही बसती है ।

भारत की यह राष्ट्रीय आवश्यकता है कि राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा हो, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही देश में राष्ट्रीय चेतना जगा सकती है, राष्ट्रभाषा ही

सांस्कृतिक चेतना पैदा कर सकती है, राष्ट्रभाषा ही जन-जन में राष्ट्रवाद की भावना प्रज्जवलित कर सकती है । यह भूमिका हिंदी ही निभा सकती है । इसने संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगू आदि सभी भारतीय भाषाओं और अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपना कर और आत्मसात् कर अपना सर्वसमावेशी रूप धारण कर लिया है । इस राष्ट्रभाषा को सभी भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी हिंदी के साथ आत्मसातीकरण एवं समन्वय हो गया है और यहसमृदिध एवं विकसित भाषा बन गई है । शब्द, भाव, रूप और शैली की दृष्टि से यह भाषा अखिल भारतीय हिंदी हो गई है । इसके व्यापक प्रयोग के कारण इसके कई रूपों और शैलियों का उद्भव हो गया है । यह भाषा जनपदीय संदर्भ की भाषा से उठ कर राष्ट्रीय संदर्भ की भाषा बन गई है और वैश्विक संदर्भ की भाषा बनने की ओर पूर्णतया अग्रसर है । इसलिए अब समय आ गया है कि हिंदी को केवल राजभाषा तक सीमित न रख उसे राष्ट्रभाषा के पद पर गौरवान्वित किया जाए ।

## राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी का वर्तमान स्वरूप

**- डॉ. स्वदेश भारती**

हिंदी देश तथा विदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली एवं सबसे अधिक सरल, सुपाठ्य, सुबोध एवं वैज्ञानिक, तकनीकी मानदंडों को पूरा करने वाली भाषा है। हिंदी की लिपि और शब्दों में कोई बनावट या स्वांग नहीं है। जैसी लिख्ी जाती है, वैसी ही बोली जाती है। हिंदी की लोकप्रियता केवल भारत या पड़ोसी देशों में ही नहीं है बल्कि कैरेबियाई देशों तथा अन्य देशों में है। मारिशस, फिजी, सुरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो जैसे देशों में हिंदी उनकी राजभाषा के रूप में सुप्रतिष्ठित है। ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, इन्डोनेशिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा योरोप के कई देशों-दुबई, आबूदाबी, कुवैत, कतार, येमन, ओमान, लिबिया, अफ्रीका महाद्वीप के देश इथोपिया, कीनिया, तानजानिया, युगांडा, बोत्सवाना मोजंबीक, मडगास्कर जांबिया, जिंबाव्वे, नाइजीरिया तथा पड़ोसी नेपाल, फिलीपीन, मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड, इंडोनेशिया आदि देशों में भारतीय मूल के

लोगों की जनसंख्या अधिक है। हिंदी बेहद लोकप्रिय है। इन देशों में भारतीय मूल के लोगों का आर्थिक एवं राजनैतिक वर्चस्व जबरदस्त है। विश्व की 20-25 प्रतिशत जनता हिंदी जानती है। अनेक देशों के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया में हिंदी को स्थान दिया जा रहा है। इन देशों में हिंदी सिनेमा, टीवी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। वीडियो तकनीकी और उपग्रहों के संचनरण के माध्यम से हजारों मील दूर बसे प्रवासी भारतीयों के घरों में भारतीय सिनेमा, टीवी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। विश्व के बहुत सारे देशों में लघ भारत बस गया है जहां हिंदी छाई हुई है। अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 500 मील की दूरी पर हिंदी महासागर के मध्य स्थित मारिशस व ला-रीयूनियन टापू पर भारतीय मूल के लोगों की अत्यधिक संख्या है। विशेष रूप से अमरीका, इंगलैंड में भारतीय मूल के लोगों की आर्थिक और राजनैतिक पहचान उनकी कर्मठता, अध्यवसाय, विज्ञान एवं उच्च् प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी ज्ञान वर्चस्वता उनकी सफलता का परिचायक है। वे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, भाषा और संस्कार से आत्मिक रूप से जुड़े हैं। इन देशों में भारतीय प्रवासियों का हिंदी के साथ अटूट संबंध है। वे भारतीय त्योहारों, राष्ट्रीय समारोहों को बखूबी मनाते हैं। भारत की मिट्टी की सोंधी गंध उनके रक्त में घुली मिली है।

170 वर्ष पूर्व आजीविका की खोज में भारत से विशेषकर उत्तरप्रदेश, बिहार के गांवों, कस्बों से चुनकर लाखों मजदूर, खेतिहर मारीशस, दक्षिण अमरीका, गयाना, ट्रिनडाड, सुरीनाम, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि देशों में कलकत्ता बन्दरगाह से जहाज में भरकर अंग्रेजों द्वारा भेजे गए। उन्होंने अनेक तरह की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यंत्रणाओं को सहन किया और धीरे धीरे उन देशों को अपना घर बना लिया। नए घरों में इन विस्थापितों के रहने की संघर्ष भरी, दर्द भरी कहानी है। फिर भी उन्होंने दैहिक और मानसिक पीड़ाओं को सहन करते हुए भारतीय संस्कृति के महान मूल्यों को अपनाए रखा और वे उन देशों के जागरूक, सभय नागरिक बन गए। और आर्थिक एवं राजनैतिक मंचों पर अपनी दावेदारी से उन देशों के उच्चतम पदों पर आसीन हुए। ट्रिनिडाड की मजदूर बस्ती में पले, सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल सुप्रसिद्ध साहित्यकार, नोबुल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। जिनका नाम विश्व के माहन लेखकों की सूची में

शामिल है। गयाना के डा. छेदी जगन देश के प्रधानमंत्री बने, बाद में राष्ट्रपति बने, ट्रिनिडाड के बासुदव पांडे प्रधानमंत्री बने, मारीशस के सर शिवसागर रामगुलाम देश के प्रधानमंत्री और बाद में गवर्नर जनरल बने। ये सभी देश आर्थिक राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से शक्तिशली बन गए हैं। इन देशों के साहित्कारों, विद्वानों, राजनैतिक नेताओं ने हिंदी और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि अपने देश के जनसाधारण के बीच रोचक, जनप्रिय और आत्मबोधक बनाया। आज भी हिंदी एवं भारतीय संस्कृति के प्रति अस्मिता का भाव भारतीय वंशजों के रक्त में प्रवाहित हो रहा है।

भारत के जो गरीब किसान, मजदूर गांवों से कामगार के रूप में विदेशों में भेजे गए थे, व अपने साथ रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक ग्रंथ भी लेते गए। अन देशों में उन्होंने हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का ऐसा बीज बोया जो आज फलीभूत हो रहा है। वे वहां जाकर गिरमिटिया कहनाए। ऐसे गिरमिटियाओं ने हिंदी को भेजपुरी, अवधी के रूप में अपनाया और उन देशों में उसका अधिक से अधिक विकास तथा प्रचार-प्रसार किया। बहुत सारी हिंदी की स्वेैच्छिक संस्थाओं, हिंदी माध्यम स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अन देशों में विशेष रूप से मारिशस ने अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया। आज गिरमिटिया देशों के लिए मारीशस की भाषा नीति आदर्श के रूप में विद्यमान है। मारीशस एक इंद्रधनुषी देश है। यहां की संस्कृति भी इंद्रधनुषी है और सरकार की नीतियां भी इंद्रधनुषी हैं। मारीशस ने त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया है जिसमें फ्रेंच और अंग्रेजी अनवार्य हैं। मूलभाषा हिंदी के साथ उर्दू, तमिल, तेलगू, मराठी, चीनी, क्रियोल, अरबी, भेजपुरी, भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। मारीशस में सृजनात्मक लेखन की भाषा हिंदी है। वहां का हिंदी साहित्य अत्यंत प्रभावशाली और रूचिकर, पाठक-प्रियता की कसौटी पर श्रेष्ठता की दृष्टि से सृजनात्मक हिंदी साहित्य के रूप में मान्यताप्राप्त कर लिया है। कविता, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, यात्रा विवरण आदि प्रचुर मात्रा में लिखे जा रहे हैं। अभिमन्यु अनत, रामदेव धुरंघर, बीर सेन, जागा सिंह, स्व. मुनीश्वर लाल चिंतामणि, डा. हेमराज सुंदर, राजहीरामन, इंद्रदेव भोला, प्रहलाद रामशरण, स्व. श्रीमती नागदान, धनराज शंभु, सूर्यदेव सीबोरत आदि वरिष्ठ

साहित्यकारों से प्रेरित होकर आज की युवा पीढ़ी हिंदी साहित्य सृजन से जुड़ी है।

आज आधुनिकता, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्रोद्योगिकी के परिवर्तित परिदृश्य में हिंदी का प्रयोग भारत में अंग्रेजी की अपेक्षा कम हो रहा है। यह एक दुखद स्थिति है। इसका कारण उच्च शासक वर्ग तथा प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों की अंग्रेजी मानसिकता है। उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। प्रौद्योगिकी एवं व्यापारिक प्रबंधन की शैक्षणिक संस्थानों से डिग्री लेकर नौकरियों में लगने वाले युवाओं को अंग्रेजी मानसकता आक्रांत किए हुए हैं। इसलिए कि अंग्रेजी को राजी-रोटी से जोड़ दिया गया है। उस स्थिति में हिंदी द्वितीय, तृतीय श्रेणी में रखे जाने के कारण संकुचित हो गई है। उसका व्यापक प्रचार-प्रसार अवरूद्ध होता जा रहा है।

इसके लिए हम और हमारी भाषा नीति जिम्मेदार हैं। आजादी के 70 वर्षों बाद भी सारे देश में त्रिभाषा फार्मूला लागू नहीं हो पाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। भारत में गिरजाघरों द्वारा अंग्रेजी के प्रचार-प्रसार में सरकार के शिक्षा बजट से अधिक अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार तथा धर्मान्तरण पर खर्च किया जाता है। भारतीय समाज में ऐसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की भरमार है जहां हम अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए भारी चंदा देने की होड़ करते हैं। अपने बच्चों को अंग्रेजी में बोलते देखकर हमें अधिक प्रसन्नता होती है। इससे भारतीय संस्कृति का प्रभाव धीरे-धीरे मिटता जा रहा है जो देश की सांसकृतिक अस्मिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह देखकर दुख होता है कि जहां हिंदी या मातृभाषा द्वारा बच्चों में संस्कार पैदा होता वहीं अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजियत रहन सहन को आधुनिकता से बांध दिया गया है। ऐसे में हिंदी और प्रादेशक भाषाओं का महत्व घट रहा है। भाषा पर लोभलाभी वोट खोरी राजनीति हावी है। उसमें हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को खतरा है। जिसके कारण देश के विखराव की कहानी का ताना बाना बुना जा रहा है। कोई भी देश उसकी भाषा और संस्कृति से जाना जाता है। जो राष्ट्र के लिए आर्थिक, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक प्रगति से अधिक जरूरी है। भारत की सभ्यता, संस्कृति, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत इतनी प्राचीनतम है, इतनी

महान है कि दुनिया के किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। संस्कृत आदिकाल से विश्व की देवभाषा रही है। उसी से हिंदी तथा अन्य भाषाओं का जन्म हुआ। इस अर्थ में संस्कृत से अपभ्रंश रूप में निकली हिंदी हमारी आदि सभ्यता की एक जमबूत कड़ी है जिसे देश के प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिएद्य अध्यात्म और योग साधना भारत की पवित्र मिट्टी की ऐसी सुवासित गंध है जिससे दुनिया के 175 देशों ने तथा संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। 10 जनवरी को विश्व के लगभग 180 देशों में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार हिंदीर का वर्चस्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। किंतु भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर लोग अपना मन बहलाने का काम करते हैं। हिंदी के प्रति जो उदात्त राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। उसकी कमी खटकती है।

विश्व में अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ से अधिक नहीं है। जबकि हिंदी जानने वालों की संख्या 132 करोड़ है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की चीनी भाषा के विश्वभर में जानने वाले सिर्फ 110 करोड़ ही हैं।

इस दृष्टि से हिंदी विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। और उसे विश्वभाषा का दर्जा मिलना ही चाहिए। उसे राष्ट्रसंघ की भाषा बनना ही है। परंतु यह दुखद है कि हिंदी को अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की प्राधिकृत भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिलीद्य। इसके दो कारण हैं- विश्व स्तर पर हिंदी से आर्थिक एवं राजनैतिक शक्तियां पूरी तरह जुड़ी या जोड़ी नहीं गई। सांविधिक रूप से हंदी भारत की राजभाषा है लेकिन उसे राजनैतिक कारणों से अंग्रेजी के साथ जोड़ दिया गया हैद्य इसलिए हंदी पहले नंबर की भाषा होते हुए भी दूसरे नंबर की हो गई है। अब तो हिंदी और अहिंदी प्रदेशों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। सरकारी फाइलों में नोटिंग, ड्राफ्टिंग(टिप्पण, प्रारूपण) अधिकांशत: अंग्रेजी में चल रहा है। हिंदी को स्वेच्छाचारित से जोड़ दिया जाना राष्ट्रीय अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता दर्शाता है।

नब्बे दशक और बाद के वर्षों में जब उदारीकरण, सार्वभौमिकता, उच्च तकनीकी एवं प्रौद्योगीकरण का तेजी के साथ विकास हुआ। तब यह

भय सताने लगा कि हिंदी का भविष्य खतरे में है परन्तु जिस तरह भारत में प्रौद्योगिकी और उच्च तकनीकी का विकास तेजी से हुआ और हा रहा है, अब हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाएं भी प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया में छा गइ हैं। मीडिया में हिंदी का जबरदस्त प्रयोग विश्वभर पर हिंदी को लोकप्रिय बनाने में सक्षम हुआ है। विदेशी कंपनियां अपने विज्ञापन अंग्रेजी से अधिक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उजागर कर रही हैं। खुला बाजारवाद हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2010 के बाद हिंदी के टीआरपी बढ़ाने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ा इसी तरह हिंदी का प्रचार-प्रसार विश्वस्तर पर जिस तेजी के साथ बढ़ा है उसमें अन्य भाषाएं पीछे छूट गई हैं। इस प्रकार हिंदी का वर्चस्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी अब बाजीवुड से चलकर हालीवुड पहुंच गई है। अमरीका जैसे संपन्न और विकसित देश में हिंदी का वर्चस्व बढ़ा है। अमरीका ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी हिंदी फिल्में, टीवी सीरियल लोगों के बीच मनोरंजन के मुख्य श्रोत बन गए हैं।

हिंदी की व्यापक लोकप्रिय के कारण दुनिया के 172 देशों में हिंदी के शिक्षण एवं प्रशिक्ष्द्वाण के अनेक माध्यम, केंद्र बन गए हैं। हिंदी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण विश्व के लगभग 180 विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं में चल रहा है। सिर्फ अमरीकाक में 100 से अधिक विश्वद्यिलयों, कालेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार कर छातों को उपलब कराई जाती हैं। इसके लिए अभी तक भारत सरकार द्वारा **विश्व हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र** की स्थापना नहीं की जा सकी। यह काम **विश्व हिंदी सचिवालय, मारीशस** कर सकता है परंतु इसके लिए भारत सरकार को आगे बढ़कर कुशल प्रबंधकीय भूमिका निभाना है और आर्थिक दावेदारी भी निभाना है। विश्वस्तर पर हिंदी के उन विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराना है जहां हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन, पठन-पाठन, शिक्षण-प्रशिक्षण चल रहा है। इससे हिंदी को विश्वस्तार पर प्रचार-प्रसार का व्यापक अवसर प्राप्त होगा। इस बारे में दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने हिंदी की शैक्षणिक आवश्यकता मान कर सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं।

सभ्य संसार के किसी भी जनसमुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है। जिसे देश की जो भाषा है, उसी भाषा में देश की शिक्षा, न्याय, कानून, राजकाज, विधानसभाद्व संसद का काम काज होता है। केवल भारत ही ऐसा देश है जहां आजादी के 70 वर्ष बाद भी देश अंग्रेजी का बोझ नहीं उतार पाया और सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों की भाषा न सत्ताधारी शासकों की भाषा है और ना ही जनता की।

आजादी के पहले भारत में बहुत सारी स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने हिंदी का प्रचार-प्रसार अपने अपने स्तर से प्रारंभ किया। दक्षिण में **दक्षिण भारत प्रचार सभा की** की स्थापना महात्मा गांधी ने की जिसे चलाने के लिए गांधी जी ने अपने बेटे देवदास गांधी को दायित्व सौंपा। सभा की दक्षिण भारत में कई शाखाएं हैदराबाद, बेंगलोर, धारवाड़(कर्नाटक) आदि स्थानों में स्थापित की गईं( महाराष्ट्र, वर्धा में राष्ट्रभषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना की गई। 16 जुलाई, 1893 को बनारस में **काशी नागरी प्रचारिणी सभा** की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य हिंदी को उसका वास्तविक स्थान बनाया गया जो आजीवन इस संस्था से जुड़े रहे। सभा के दूसरे वर्ष 'प्रांतीय बोर्ड आफ रेवन्यू' में हिंदी को स्थान दिलाने का आन्दोलन आरंभ किया गया जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने अपने 20 अगस्त, 1996 के ज्ञापन द्वारा हिंदी को बोर्ड रेवेन्यू में स्थान प्रदान किया।

इस बात से उत्साहित होकर नागरी प्रचारिणी सभा ने उत्तर प्रदेश के विभिनन जिलों में 60 हजार हस्ताक्षर के संकलित 16 प्रतियों का प्रतिवेदन मालवीय जी के नेतृत्व में गठित प्रतिनिधि मंडल द्वारा 2 मार्च 1898 को प्रान्तय गवर्नर लेफटिनेंट एंटनी मैकडोनल को प्रस्तुत किया गया। सभा के इस कार्य में मालवीय जी का महप्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 1897 में उन्होंने कठिन परिश्रम से 'कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजूकेशन इन नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज एंड अवध' नामक ग्रंथ अपने खर्च से इंडियन प्रेस, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित करवाया। इस ग्रंथ को भी प्रान्तीय गवर्नर को प्रतिवेदन सहित सौंपा। इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि संसार के किसी भी सभ्य समाज, जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं हो सकती। जिस देश की जो भाषा है, उसी भाषा में उस देश के न्याय, कानून, राजकाज, कौंसिल इत्यादि का कार्य होना चाहिए। केवल भारत ही एक ऐसा

देश है जहां सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों की भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न ही प्रजा की।

मालवीय जी के अथक परिश्रम से 10 अप्रैल, 1900 को सफलता मिली, जब पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध की सरकार ने अपने आज्ञा पत्र सं. 585/3-343 सी-68, 1900 द्वारा कचहरियों में नागरी अक्षरों में आवेदनपत्र दाखिल करने की आज्ञा दे दी। इस आदेश के बाद जब छोटे लाट साहब इलाहाबाद आने वाले थे, तब उनका सचिव मालवीय जी क पास आया और कहा कि छोटे लाट साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उस समय मालवीय जी बीमार थे। बुखार से पीड़ित। परंतु उस हालत में भी मालवीय जी छोटे लाट साहब से मिले और लंबी बात-चीत हुई। मालवीय जी ने एक भाषा, एक लिपि की जोरदार वकालत की। उनके तर्क से छोटे लाट साहब नेउन्हें आश्वस्त किया कि वे इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एक भाषा, एक लिपि द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से ही अक्टूबर 1910 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा में पहला **हिंदी साहित्य सम्मेलन** आयोजित किया गया जिसमें देश भर से विशिष्ट साहित्यकार, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, विद्वान सम्मिलित हुए। मालवीय जी को सम्मेलन का सभापति एक मत से चुना गया। हिंदी के वर्तमान स्वरूप पर उन्होने लंबी वक्तृता दी। सम्मेलन में सर्व सम्मति से जो स्वीकृत किए गए उनमें उच्च शिक्षा में हिंदी को माध्यम बनाने, अैकस्टबुक कमेटियों में हिंदी विद्वानों को रखे जाने, भारतीय भाषाओं के सम्मेलनों के प्रतिनिधियों का एक संघ स्थापित करने तथा सरकारी स्टैम्पों एवं सिक्कों पर नागरी अक्षरों को स्थान देने की सिफारिशें थीं। जि महात्मां गांधी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से अपमानित होकर भारत लौटे और राजनीति में सक्रिय हुए तो उन्हें हिंदी से जोड़ने का काम मालवीय जी ने ही किया। गांधी जी ने सारे भारत में घूमकर आजादी का विगुल हिंदी में ही बजाया और यह व्रत लिया कि वे सारे देश को हिंदी के माध्यम से एकता के सूत्र में जोड़ेंगे। उर्दू के राष्ट्रवादी कवि अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज्म में इस बात का उल्लेख किया है-

**गांधी ने मान ली है मदनी मोहनी सलाह।**
**हिंदी तो थे ही, अब मदानी हो गए।**

गांधी जी द्वारा हिंदी पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही 1976 में इंदौर में आयोजित **8वें हिंदी साहित्य सम्मेलन** का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी के प्रयासों से 1918 में **दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा** की स्थापना हुई। 19-20 अप्रैल 1919 को बंबई में आयोजित **9वें हिंदी साहित्य सम्मेलन** का अध्यक्ष पुन: मालवय जी को बनाया गया। 1925 के बाद हिंदी और हिंदुस्तानी के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। ऐसे समय में मालवीय जी ने हिंदी का जोरदार समर्थन किया। उनका मत था कि भाषा में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। काशी में आयोजित **28वीं अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन** के स्वागत भाषण में उन्होंने कहा था-हिंदी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उसके प्रारंभिक काल में **महाकवि तुलसीदास ने दशाश्वमेघ घाट पर बैठ कर रामचरित मानस(रामायण) की रचना की जो विश्व का अद्वितीय महाकाव्य है।** काशी ने ही हिंदी के महान रचनाकारों जैसे महाकवि जय शंकर प्रसाद, खड़ी बोली के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा कई कवियों, विद्वानों , लेखकों को पैदा किया। मालवीय जी ने हिंदी भाषा के स्वरूप और नागरी लिपि पर ऐतिहासिक और महप्वपूर्ण भाषण द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि नागरी लिपि के साथ षडयंत्र किया जा रहा है। गांधी जी ने मालवीय जी की बहुत सारी बातों को माना और जीवन में अपनाया। विशेष रूप से हिंदी को सरल भाषा के रूप में व्यवहार किए जाने पर बल दिया और हिंदी के व्यापक स्वरूप को उजागर किया। मालवीय जी और गांधी जी एक दूसरे को भई मानते थे और वे'भाई' के संबोधन द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते थे। हालांकि भाषा और लिपि के प्रयोग पर दोनों में मतभेद रहे। मालवीय जी बनावटी भाषा के विरोधी थे। वे हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। हिंदी को आगे बढ़ाने में मालवीय जी का अद्वितीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। उन्होंने हिंदी को सरकारी तंत्र की भाषा के रूप में कार्यान्वित करने के लिए सार्थक कार्यक्रम बनाए। उन्हीं में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1905 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से उन्होंने उद्घोषणा की । हिंदी भारत की अस्मिता की पहचान है । वह देश की जनभाषा है । हिंदी के प्रचार-प्रसार को गति देने के लिए 1907 में हिंदी में '**अभ्युदय**' नामक साप्ताहिक पत्र, 1926 में **'भारत'** और **'हिंदुस्तान'** नामक दैनिक पत्र प्रकाशित कर हिंदी की सेवा की।

काशी से प्रकाशित **'सनातन धर्म'** और लाहौर से प्रकाशित **'विश्वबंधु'** नामक पत्रों के परामर्शदाता, प्रेरणाश्रोत मालवीय जी ही थे। इन पत्रों के द्वारा मालवीय जी ने हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए सहाहनीय कार्य किया है जो भारतीय स्वतंत्रता और हिंदी का इतिहास युगों तक स्मरण रखेगा। मालवीय जी महान स्वप्नदर्शी थे। उनके महत्वाकांक्षा के अनुरूप 4 फरवरी 1916 को जब **काशी हिंदी विश्वविद्यालय** की स्पापना हुई तो उन्होंने शिक्षा का माध्यम हिंदी को रखा परंतु तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इसकी इजाजत नहीं दी। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या किसी भी अन्य भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का प्रश्रय नहीं दिया। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय को दो भागों में बांट दिया। एक में अंग्रेजी तो दूसरे में हिंदी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य कर दिया। इससे हिंदी भाषी छात्रों की संख्या बढ़ती रही। 1916 में मुजफ्फरपुर में आयोजित हिंदी प्रचारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में मालवीय जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हिंदी की उपयोगिता और महत्ता तथा विश्व की समस्त लिपियों में नागरी लिपि की विशिष्टता, श्रेष्ठता और सरलता को व्याख्यापित किया। उच्च शिक्षा के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन के लिए हिंदी ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य तेज करने के लिए उन्होने विश्वविद्यालय में **हिंदी प्रकाशन मंडल** की स्थापना कराई। जब गांधी जी विश्वविद्यालय में 1927 में पधारे तो उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। महात्मा गांधी ने इस को दृढ़ता के साथ कहा कि हिंदी के द्वारा ऊंची से ऊंची पढ़ाई हो सकती है तब मालवीय जी ने गांधी जी को विश्वास दिलाया कि ''मैं अपने विश्वविद्यालय में हिंदी में उच्च शिक्षा प्रदान कराऊंगा। इसके लिए सारे आवश्यक संसाधन जुटाऊंगा।' उस समय हिंदी में पाठ्यपुस्तकें तैयार कराने के लिए घनश्यामदास बिड़ला ने 5000 रुपए दिए थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि सभी मानते हैं कि पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा ही हो परंतु हम पर अंग्रेजी ने ऐसा जादू कर दिया है कि अंग्रेजी का माह छोड़ नहीं पा रहे हैं। भविष्य में हिंदुस्तान की उन्नति हिंदी को अपनाने से ही हो सकती है। मालवीय जी की 1946 में मृत्यु के पश्चात् आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो. बच्चन सिंह, पं. शिवप्रसाद मिश्र काशिकेय, प्रो. चौथीराम यादव

जैसे सुप्रतिष्ठित विद्वानों ने हिंदी को विश्वमंच पर प्रतिष्ठित करने में असाधारण योगदान दिया। आज भी बनारस हिंदु विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग तभारत तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों में स्थापित हिंदी विभागों की तुलना में सबसे अधिक सक्रिय एवं प्रतिष्ठित हिंदी विभाग है जहां लगभग 40 प्राध्यापक एवं अनुसंधान वैज्ञानिक हिंदी की सेवा में लगे हैं। मालवीय जी और बनारस हिंदु विश्वविद्यालय ने हिंदी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उस समय के सुप्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर इलाहाबादी ने लिखा है-

**हजार शेख ने दाढ़ी बढ़ाई सन-की-सी।**

**मगर वो बात कहां मालवी मदन-की-सी।**

मालवीय जी ने गांधी जी के अनुयायी बनकर आजादी की लड़ाई, राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। जिसके कारण **अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन** ने उन्हें **'साहित्य वाचस्पति'** की उपाधि द्वारा सम्मानित किया और भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च अलंकरण **'भारत रत्न'** से अलंकृत किया।

हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के कार्यों में गांधी जी ने मालवीय जी से प्रेरणा ली और सारे देश में राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां स्थापित कर हिंदी को जनजन की भाषा बनाने का कार्य किया। मालवीय जी ने गांधी जी से आजादी के लिए समर्पण की भावना और हिंदी प्रचार के लिए राष्ट्रीय एकता अखंडता के आदर्श को सीखा और जीवन पर्यन्त हिंदी-प्रचार के अध्येता, प्रहरी और मार्गदर्शक बने रहे। इसी दौर में 1930 से 1947 के बीच नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी को **'आजाद हिंद फौज'** की भाषा बनाया जो एक अभूतपूर्व घटना थी। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने **जनगण मन राष्ट्रगीत** की रचना की। वंकिमचंद्र चटर्जी ने **'वंदेमारतम'** राष्ट्रीय गीत लिखा। मो. इकबाल ने **'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा'** लिखा। प्रथम सत्याग्रही **आचार्य विनावा भावे** ने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रहों, विचार चर्चाओं, भाषणों की भाषा हिंदी हो, इसका जोरदार समर्थन किया। और विनोवा जी, गांधी की द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम जीवन दानी बने। उन्होंने **भूदान-यज्ञ आंदोलन** की भाषा हिंदी को बनाया। माहात गांधी और आचार्य विनोवा भावे गुजराती थे परंतु उन्होंने हिंदी को

जिस प्रकार सारे देश में प्रचारित प्रसारित किया, वह हिंदी का एक गौरवशाली इतिहास है। **गांधी जी का दृढ़ अभिमत था कि "हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है समूचे राष्ट्र और जाति की उन्नति, अगर हमें हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है।"** बंगाल के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शारदाचरण मित्र, महाराष्ट्र के हिंदी सेवी श्री गोविन्द मधुसूदन दाभोलकर, दक्षिण के सुप्रसिन्द्ध विद्वानों, देशभक्तों जैसे सुव्रहमण्यम् भारती, टी माधव राव, के आर नारायण राव, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री कृष्ट स्वामी अरूयर, महाकवि शंकर कुरुम आदि हिंदी के प्रबल समर्थक थे और चाहते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने। विश्वकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा है- **'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी है।'** स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन, गोविन्द बल्लभ पंत, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि ने हिंदी को व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित किया और हिंदी का ऐसा अक्षयवट लगाया जिसकी हरित भरित शाखाएं तेजी के साथ सारे विश्व में फैल गयीं।

यह निर्विवाद स्वत: सिद्ध है कि हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली, समक्षी जाने वाली अत्यधिक लोकप्रिय भाषा है। इसके बाद चीनी है। एक ताजा आंकड़े के अनुसार विश्व में चीनी तथा हिंदी जानने वालों की स्थिति निम्नलिखित है-

| **वर्ष** | **हिंदी जानने वालों की संख्या** | **चीनी जानने वालों की संख्या** |
|---|---|---|
| 2005 | 102.20 करोड़ | 90 करोड़ |
| 2007 | 102.30 करोड़ | 90.20 करोड़ |
| 2009 | 11000 करोड़ | 90.70 करोड़ |
| 2012 | 120.00 करोड़ | 100.50 करोड़ |
| 2015 | 132.00 करोड़ | 110.00 करोड़ |

हिंदी जानने वालों की संख्या चीनी, अंग्रेजी तथा विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक है। प्रसंगवश अंग्रेजी जानने वाले सारी दुनिया में लगभग 100 करोड़ ही हैं। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ से हिंदी को

प्राधिकृत भाषा के रूप में अभी तक नहीं अपनाया गया। इसका प्रमुख कारण है आर्थिक शक्ति और राजनैतिक शक्ति जो हिंदी के साथ अभी तक नहीं जुड़ सकी जबकि अपने देश में अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी का आधार राजनैतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति रही है। और इन दोनों शक्तियों के बल पर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में शीघ्र मान्यता दिलाया जाना है।

विश्व में हिंदी की लोकप्रियता को देखते हुए 152 देशों में हिंदी शिक्षण, प्रशिक्षण के अनेक माध्यमों के द्वारा हिंदी का पठन-पाठन व्यापक रूप से हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भी हिंदी अध्ययन हेतु हिंदी शिक्षण योजना चलाई जा रही है। इस दिशा में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा भारतीय एवं विदेशी छात्रों को हिंदी के अध्ययन के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं और पाठ्यक्रमों को आद्यतन बनाया जा रहा है। विश्व के अनेकों विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन तेजी के साथ चल रहा है। देश में केंद्र सरकार तथा हिंदी स्वयंसेवी, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हिंदी पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिंदी सीखने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार हिंदी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा हिंदी सीखने वालों की संख्या निम्नलिखित हैं:-

| **क्षेत्र** | **कुल जनसंख्या** | **हिंदी जानने वाले** |
|---|---|---|
| 'क' क्षेत्र (हिंदी भाषी क्षेत्र) | 61,73,20,843 | 61,72,26,843 |
| 'ख' क्षेत्र(हिंदी तथा प्रांतीय भाषी का समान स्तर) | 20,82,78,328 | 18,74,50,495 |
| 'ग' क्षेत्र(हिंदीतर भाषी राज्य) | 44,86,85,821 | 20,74,54,095 |
| **कुल संपूर्ण भारत** | **1,27,41,90.992** | **1,01,21,31,433** |
| भारत को छोड़कर अन्य देश | 5,94,64,09,008 | 28,64,86,562 |
| विश्व की कुल जनसंख्या | 7,,22,06,00,000 | 1,29,86,995 |
| पूर्णांकित | 7,22,06,00,000 | 1,30,00,000 |

यह अत्यंत खेद और आश्चर्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत की आजादी के सत्तर वर्षों बाद भी लोक भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वभाषा बनाई गई। संयुक्त

राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं और अनाधिकृत हिंदी पर दृष्टिपात करें तो निम्नलिखित आंकड़े सामने आते हैं:-

| **भाषा** | **मातृभाषा** | **अर्जित भाषा** | **कुल भाषा भाषी** |
|---|---|---|---|
| अंग्रेजी | 35 करोड़ | 65 करोड़ | 100 करोड़ |
| चीनी | 95 करोड़ | 15 करोड़ | 11 करोड़ |
| अरबी | 23.5 करोड़ | 22.5 करोड़ | 46 करोड़ |
| फ्रेंच | 70 करोड़ | 60 करोड़ | 130 करोड़ |
| रूसी | 14.8 करोड़ | 11.2 करोड़ | 26 करोड़ |
| स्पेनिश | 33.2 करोड़ | 6.3 करोड़ | 39.5 करोड़ |
| **कुल** | **203.5 करोड़** | **126 करोड़** | **334.5 करोड़** |
| **हिंदी (आद्यतन स्थिति)** | **61.9 करोड़** | **70.1 करोड़** | **132 करोड़** |

राष्ट्रसंघ की भाषाओं को अधिकृत किए जाने का कारण यह है कि इन भाषाओं के प्रथम भाषा (मातृभाषा), द्वितीय भाषा के रूप में बोलनेवालों की संख्या लगभग 335 करोड़ है । यह संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का प्रायः आधा भाग है तथा विश्व के 50 प्रतिशत से अधिक देशों में प्रयुक्त होती है एवं प्रचलित है । यदि इन भाषाओं में हिंदी को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग 467 करोड़ हो जाएगी ।

इस दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की भाषा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा संयुक्तराष्ट्र संघ की आधिकारिक विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अधिकारिणी है ।

आजादी के बाद भी अंग्रेजी प्रशासन और नीति विषयक विमर्श और कार्यालयीन भाषा के रूप में अंग्रजी चल रही है । इन सत्तर वर्षों में हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी का प्रभुत्व उत्तरोत्तर बढ़ा है । 1990-91 में आर्थिक उदारीकरण ने ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया और उनके दिमाग को अंग्रेजी के प्रति अधिक जागरुक किया गया कि आर्थिक उदारीकरण, समृद्धि, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रगति अंग्रेजी द्वारा ही संभव है । ऐसी पीढ़ी के दिमाग पर इस बात को भी जबरन लादा गया कि अंग्रेजी में ही उनका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित है । सामाजिक और राजनैतिक विकास में भी अंग्रेजी की वर्चस्वता को मान लिया गया और हिंदी को पिछड़ेपन की भाषा कह कर उसके

सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व को नकारा गया । रोजगार के संसाधनों पर अंग्रेजी की शक्ति हावी हो गई है । इसके चलते हिंदी भाषी आज अपनी हीनभावना से ग्रस्त हैं । इंटरनेट और मोबाइल के इस युग में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ा है । यद्यपि इंटरनेट के लिए हिंदी के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। लेकिन हीन मानसिकता, राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति अरूचि के कारण और अपने को उच्चवर्ग की भाषा अंग्रेजी से जोड़ने की मानसिकता ने भारतीय समाज के मस्तिष्क को दिवालिया बना दिया है । इससे उनके संस्कार में मिलावट आ रही है, उनके रहन-सहन में दिखावटीपन है । उनकी सामाजिकता स्वच्छन्दवादिता से ग्रस्त है । राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह शुभकर नहीं और न ही हिंदी के बढ़ते वर्चस्व के प्रति उनके नागरिक कर्तव्यों तथा उनकी आस्था का कोई अवदान है । अंग्रेजियत मानसिकता के इस दौर में आज की पीढ़ी में राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने की की खास दिलचस्पी नहीं है । वे अंग्रेजी द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के राष्ट्रवादी तत्वों को नष्ट कर रहे हैं । यह राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है । किन्तु निराशाजनक स्थिति से आगे बढ़कर आज 20-25 भारतीय प्रशिक्षित उपभोक्ता हिंदी में इंटरनेट सर्फिंग चाहने लगे हैं । इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट पर हिंदी में सॉफ्टवेयर की उपलब्धता 95 प्रतिशत हो गई है । जबकि हिंदी की विषयवस्तु की उपलब्धता सिर्फ 20 प्रतिशत ही है । इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि लगभग 12 हजार ब्लागर जहां अत्यधिक सक्रिय है,उसके अनुपात में 20 से 25 हजार ब्लागर केवलमात्र सक्रिय की श्रेणी में है । 2005 के बाद इंटरनेट पर हिंदी के विस्तार में केंद्र और राज्यों की सरकारों का काफी बड़ा योगदान रहा है । 2015 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केंद्र तथा राज्य की सरकार के विभिन्न विभागों की हिंदी में लगभग 9 हजार बेवसाइटें उपलब्ध है । इसके फलस्वरूप 70-ई-पत्रिकाएं देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं । महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की बेवसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हिंदी समय डॉट कॉम पर अब तक हिंदी के एक हजार से अधिक रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त कई ई-बुक हिंदी प्रकाशक भी सक्रिय हैं । इस समय हिंदी के अपने सर्च इंजनों की संख्या 20 के लगभग हो गई है जिसके द्वारा हिंदी के तमाम सारे शब्दों पर आधारित सर्च तुरन्त उपलब्ध हो जाते हैं । इसके साथ ही किसी भी वेबसाइट पर हिंदी अनुवाद भी सहज हो गया है । गूगल के आंकडे कहते हैं कि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक है, विकिपीडिया पर करीब एक लाख से

अधिक लेख, रचनाएं उपलब्ध हैं । विश्वभर में हिंदी जानने वालों की संख्या इस समय 132 करोड़ से अधिक है जो राष्ट्रसंघ की किसी भी प्राधिकृत भाषा की तुलना में सबसे अधिक है । उदारीकरण और बाजारवाद के इस माहौल में हिंदी के पांव स्वतः ही विश्वभाषा बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं ।

भारत की आजादी के 70 वर्ष बीत गए फिर भी अभी तक हिंदी को राजभाषा , कार्यालयीन भाषा संघ की भाषा आदि नामों से व्यवहृत किया जाता रहा है । राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया और इस बात को गहराई के साथ नहीं समझा गया कि किसी भी स्वतंत्र, गणतांत्रिक, सार्वभौम राष्ट्र के चार मूलभूत संवैधानिक अधिकार होते हैं । 1- संविधान, 2- राष्ट्रध्वज, 3- राष्ट्रगान, 4- राष्ट्रभाषा। स्वतंत्रता के बाद हमें तीन संवैधानिक गणतांत्रिक अधिकार प्राप्त हुए; चौथा अभी तक नहीं मिला । इसलिए अभी तक हमारी आजादी पूर्णतयाः स्थायी नहीं हुई ।

यह कदापि भूलना नहीं चाहिए कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की मेरुदंड होती है और संस्कृति उसका हृदय । भाषा और संस्कृति द्वारा ही राष्ट्र की अस्मिता और सर्वांगीण विकास व्यापक रूप से अनुप्राणित होते हैं । इसी के आधार पर देश अपने आर्थिक विकास, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, तकनीकी एवं राजनैतिक वर्चस्व की कहानी विश्व पटल पर स्वर्णाक्षरों में लिखते हैं और भारत भी लिखेगा ।

स्वदेश भारती
उत्तरायण
331, पशुपति भट्टाचार्य रोड
कोलकाता-700 041

## बाजार की हिंदी और हिंदी का बाजार

**डॉ. संदीप रणभिरकर**

भाषा महज अभिव्यक्ति का साधन ही नही है | भाषा में मनुष्य की अस्मिता स्वर पाती है | उसमें सामाजिक-साँस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है | समय के साथ होने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों की अनुगूँज उसमें सुनाई पड़ती है | अतः भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम, संस्कृति का सेतु, अस्मिता का प्रतीक और संपर्क का साधन है | भाषायी अस्मिता का संबंध हमारे स्वाभिमान से है | अपनी भाषा के बिना कोई भी समाज सांस्कृतिक दास ही समझा जाएगा | इसीलिए अपनी भाषा की संभावनाएँ तलाशते रहना उस

भाषा-भाषी वर्ग का उत्तरदायित्व है | इन अर्थों में भाषा साधन ही नहीं, स्वयं साध्य है | समाज और संस्कृति के अतिरिक्त बाज़ार और व्यापार से भी भाषा का गहरा संबंध है | भाषाओं के भी अपने बाज़ार-भाव होते हैं जो नित नए समीकरण रचते हैं | जैसे औपविनेशिक दौर में अंग्रेज़ों का बाज़ार जिन सीमान्तों तक पसरा उनकी भाषा का सिक्का वहाँ चल पड़ा |

बाज़ार में भाषा चीज़ों को परिभाषित करती है, चीज़ें भाषा को परिभाषित करती हैं | गाँव की हाट से जिले की मंडी तक, जिला मंडी से प्रांतीय बाज़ार तक और वहाँ से राष्ट्रीय बाज़ार और अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक बाज़ार के विकास के साथ-साथ मनुष्य संबंधों की अनेक स्तरीय यात्राएँ भी हैं | ये यात्राएँ बोलियों के परम्परागत रूप से प्रांतीय भाषाओं तक की यात्राएँ हैं | बाज़ार बदलते रहते हैं और भाषा भी | मनुष्य व्यवहारों के साथ भाषा हर क्षण बदलती रहती है | उसकी यह गतिशीलता ही उसकी जीवंतता है | सामान्यतया भाषा का विकास उसके बोलने वालों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप होता है | मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी ही नहीं है | उसके सामाजिक, नैतिक और सौंदर्यबोध के मूल्यों को भी भाषा अभिव्यक्त करती है | राष्ट्र के उत्थान में भारतीय भाषाओं की विशेषकर हिन्दी की आज़ादी के पहले जो भूमिका रही है वह सर्वविदित है | आज़ादी के संघर्ष में यह साधारण और मेहनतकश जनता की मुक्ति की आकांक्षाओं की भाषा थी | इस भाषा में व्यापक जनता के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक आशय व्यक्त होते थे | अंग्रेजी के बरक्स यह भाषा एक काउंटर-फोर्स का रूप ले रही थी | स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हिन्दी भाषा संख्या की दृष्टि से संसार के समृद्ध देशों की भाषाओं के बीच एकाएक खड़ी तो हो गयी लेकिन नये ज्ञान-विज्ञान से उसका सार्थक रिश्ता कभी बनाया नहीं गया | यह भाषा अधिक से अधिक केवल साहित्य, पत्रकारिता और मनोरंजन की भाषा बनकर रह गयी है | इस भाषा को बोलने वालों की व्यापक आकांक्षाओं को हमारे यहाँ शक्ति केन्द्रों ने हमेशा ही दबाया है |

भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में सीमाएँ टूट रही हैं, प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं | बीसवीं सदी के अंतिम दशक में बदली हुई राजनीतिक स्थितियों और संचार उपकरणों में आयी क्रांति ने देशों के बीच भौगोलिक दूरियों और राष्ट्रीय सीमाओं को अप्रासंगिक बना दिया है | नयी बाज़ार संस्कृति इस आर्थिक भूमंडलीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है | भूमंडलीकरण से वर्तमान जीवन का

कोई पहलू, कोई कोना इससे अछूता नहीं है. 90 के दशक में भारत में उदारीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रकिया ने अपने साथ संचार क्रांति लायी, या कहना चाहिए कि संचार माध्यमों के रथ पर चढ़ कर ही भूमंडलीकरण ने भारत में अपना पाँव फैलाया | 'भारत में परिदृश्य इतनी तेजी से बदल जाएगा - यह बहुत से लोगों ने शायद सोचा भी नहीं था | समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टीवी और फ़िल्में हमारे यहाँ की सूचना, शिक्षण और मनोरंजन के सबसे सुलभ और असरदार साधन माने जाते रहे हैं | इन माध्यमों से इन्सान जहां अपनी संवाद सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण उनसे जुड़ाव महसूस करता है, वहीँ इन माध्यमों के जरिये प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री से प्रभावित भी होता है |'[1] वर्तमान में इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से एक नई हिंदी गढ़ी जा रही है | यह हिंदी फिल्मों, सिरीयलों, विज्ञापनों, समाचार पत्रों और खबरिया चैनलों के माध्यम से तेजी से फैल रही है | सच है कि देश-विदेश में हिंदी की पहुँच इससे काफी बढ़ी है | 'विज्ञापन की हिंदी' सहज ही लोगों के दिल में जगह बना लेती है, लेकिन यह भाषा भूमंडलीकरण के साथ फैल रही उपभोक्ता संस्कृति की है, विमर्श की नहीं | इस भाषा में लोक-राग और रंग नहीं है जहाँ से हिंदी अपनी जीवनीशक्ति पाती रही है |

यह सर्वविदित है कि हिंदी भाषा बोलने और समझने की दृष्टि से मंदारिन के बाद दूसरे नंबर पर आती है और जिस अंग्रेजी भाषा का डंका भारत में बज़ रहा है उसका स्थान तीसरा है | अभी हालिया अनुसन्धान के अनुसार यह तथ्य भी सामने आया है कि चीन में मंदारिन बोलने वाले सभी लोग नहीं है जबकि इसके विपरीत हिंदी भाषा केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश-विदेश में भी बोली-समझी जाती है जिसको बोलने और समझने वालों की संख्या लगभग सौ करोड़ के आसपास है | कारण, आज विभिन्न देशों में हिंदी का अध्ययन करवाया जा रहा है ताकि वह हिंदी संस्कृति को समझकर अपने माल की अधिकाधिक खपत भारत में कर सके | इस लिहाज़ से हिंदी को विश्व में सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली भाषा कह सकते हैं | भविष्य में हिंदी भाषा के इस विस्तार के बढ़ने की भी अनेक घोषणाएं की जा चुकी हैं जिन्हें नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है | हिंदी भाषा की लिपि की अगर बात की जाए तो कहना होगा कि यह विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है | इस भाषा में जो जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है | यह मंदारिन भाषा की लिपि

की तरह कोई चित्र लिपि नहीं है कि जिसे समझने में ही सालों-साल लग जाए | हमें यह भी ज्ञात है कि तुर्किश और इंडोनेशियन भाषा को अपने प्रसार के लिए रोमन लिपि को अपनाना पड़ा लेकिन हिंदी भाषा न केवल भारतीय परिवेश में भावों को अच्छी तरह से व्यक्त करने में समर्थ रही है बल्कि तकनीकी स्तर पर भी हिंदी भाषा ने अपार सफलताएं अर्जित की हैं | इसी के चलते विभिन्न इन्टरनेट एक्सप्लोरर, ऑपेरा ब्राउज़र, नेटस्केप, मौज़िला के साथ-साथ सबसे बड़ा सर्च इंज़न माने जाने वाला गूगल भी हिंदी को स्वीकार करता है |

मार्केट ने अपनी नजर हिंदी पर गड़ाई है मजबूरी में ही सही पर हिंदी को बढ़ावा दे रही है | जब से विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजारों में जगह और अनुमति दी गयी है तब से हिंदी भाषा का देश के ही नही विश्व के स्तर पर भी विकास हो रहा है | मार्केटिंग की गूढ़ सूझ और अनुभव रखने वाली इन कंपनियों को ये मालूम है कि किसी भी देश में वहां की भाषा, संस्कृति, खानपान, मानसिकता जाने बगैर वहां व्यापार करना और जमाना आसान नहीं है | ऐसे में इन कंपनियों ने अपने उत्पादों को भारतीय भाषा, मानसिकता और जरूरतों के हिसाब से पेश किया | अपने उत्पादों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को चुना क्योंकि उनके बाजार से ताल्लुक रखने वाले ६० प्रतिशत मध्यवर्गीय भारतीय हैं |

संचार माध्यम की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने पर हिंदी समस्त ज्ञान-विज्ञान और आधुनिक विषयों से सहज ही जुड़ गई है | वह अदालतनुमा कार्यक्रमों के रूप में सरकार और प्रशासन से प्रश्न पूछती है, विश्व जनमत का निर्माण करने के लिए बुद्धिजीवियों और जनता के विचारों के प्रकटीकरण और प्रसारण का आधार बनती है, सच्चाई का बयान करके समाज को अफ़वाहों से बचाती है, विकास योजनाओं के संबंध में जन शिक्षण का दायित्व निभाती है, घटनाचक्र और समाचारों का गहन विश्लेषण करती है तथा वस्तु की प्रकृति के अनुकूल विज्ञापन की रचना करके उपभोक्ता को उसकी अपनी भाषा में बाज़ार से चुनाव की सुविधा मुहैया कराती है | आज व्यवहार क्षेत्र की व्यापकता के कारण संचार माध्यमों के सहारे हिंदी भाषा की भी संप्रेषण क्षमता का बहुमुखी विकास हो रहा है | हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ही नहीं, विविध अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में हिंदी आज सब प्रकार के आधुनिक संदर्भों को व्यक्त करने के अपने सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रमाणित कर रही है | अत: कहा जा सकता है कि

वैश्विक संदर्भ में हिंदी की वास्तविक शक्ति को उभारने में संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है |

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में प्रवेश से परस्पर प्रतिस्पर्धा का रूप अत्यंत आक्रामक हो गया | मोबाइल फोन, गाड़ियाँ, इलैक्ट्रोनिक उपकरण, घरेलू उत्पाद, खान-पान में कोला, चॉकलेट आदि बनाने वाली कंपनियों के लिए भारत की एक अरब की आबादी उपभोक्ता संख्या की दृष्टि से लुभावना सौदा है | जब पेप्सी भारत आया तो उनका लक्ष्य था कि यदि भारत के पाँच प्रतिशत लोग भी हमारे उपभोक्ता बन जाते हैं तो हमारे लिए काफी होगा | आज पेप्सी, कोका कोला और अन्य सभी शीतल पेय से आगे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया है | बैंकों और बीमा के क्षेत्र में भी इन बड़ी कंपनियों में आपस में होड़ लगी हुई है | बाज़ार की इस स्थिति का सीधा संबंध भाषा से भी है | इन कंपनियों का उद्देश्य केवल भारत के संभ्रांत वर्ग को ही संबोधित करना नहीं था बल्कि उसे यहाँ के आम-आदमी से बात करनी थी जिस तक उसकी भाषा के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता था | हिन्दी-क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है | भारत के अन्य हिस्सों में भी जो भाषा बोली और समझी जाती है, वह हिन्दी ही है | हिन्दी की इस लोकप्रियता को विज्ञापन उद्योग ने सही समय पर समझा और अपनाया |

बाज़ार और हिंदी की इस अनुकूलता का एक बड़ा उदाहरण यह हो सकता है कि पिछले पाँच-सात वर्षों में संचार माध्यमों पर हिंदी के विज्ञापनों के अनुपात में सत्तर प्रतिशत उछाल आया है | इसका कारण भी साफ़ है | भारत रूपी इस बड़े बाज़ार में सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग मध्य और निम्नवित्त समाज का है जिसकी समझ और आस्था अंग्रेज़ी की अपेक्षा अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा से अधिक प्रभावित होती है | 'दम लगा के हssयशा --- यह फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं/ फेविकोल ऐसा जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा न तोड़ पाए/ फर्नीचर का साथी जिसकी निशानी है हाथी', राष्ट्रीय एकता के लिए, 'मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा', कैडबरी चॉकलेट के लिए, 'कुछ खास है हम सभी में' और एशियन पेंट्स के लिए, 'हर घर कुछ कहता है', सीधी-सादी भाषा में लिखी गई इस विज्ञापन कॉपी ने अपने भावनात्मक काव्यात्मक अंदाज़ में हर दिल को छू लिया | 'ठंडा मतलब कोका कोला', 'पियो सिर उठा के', 'सच दिखाते हैं हम', 'ये दिल मांगे मोर', 'दाग अच्छे हैं',

'ये प्यास है बड़ी' जैसी पंक्तियों ने हिंदी की लोकप्रियता बढ़ा दी | आज 'मीडिया की भाषा एक ऐसी हिंदी है जिसके पास 'मिक्सिंग कैपिसिटी' मिलाकर पचा लेने की क्षमता है | भाषा में एक लचीलापन (Flexibility) है | यह अंग्रेजी के साथ-साथ प्रांतीय भाषाओँ को अपने में मिलाकर, उसे अपना रंग और स्वाद देकर अपना बना लेती है | मीडिया की भाषा अब व्यवहार की भाषा है |'[2] आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने विशेषतः मध्यवर्ग में एक नया भरोसा जगाया है | औपनिवेशिक जकड़बंदियों को तोड़कर अपनी अस्मिता और अपनी भाषा के प्रति वे आज अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं |

'बाजार का मिजाज बदलता है तो विज्ञापनों की थीम प्रस्तुति के तरीके भी बदलते हैं | विज्ञापनों के लिए कापी तैयार करने का अभ्यास करने वालों के लिए ऐसे विज्ञापनों का पढ़ना बड़े महत्त्व का काम है |'[3] पिछले एक दशक में साबुन और टूथ पेस्ट जैसी सस्ती सामग्री से कहीं आगे जाकर अब उपभोक्ता विज्ञापन मोटर साइकिल, कार, फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन, महंगी प्रसाधन सामग्रियों, कीमती वस्त्रों, बचत और निवेश की योजनाओं आदि के लिए भी हिन्दी में बन रहे हैं | छोटे-छोटे गाँव में किसी सड़क के चौराहे पर अब आप वाशिंग मशीन या फ्रिज के हिन्दी में बनी होर्डिंग्स देख सकते हैं | भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के बाज़ार का विस्तार हो रहा है | उपभोक्ता वस्तुएँ प्रांतीय राजधानियों और प्रथम श्रेणी के शहरों से आगे निकलकर मध्यम दर्जे के शहरों, नींद में अलसाये कस्बों और दूर-दराज के गाँवों तक पहुँच रही हैं | छोटे-छोटे कस्बों में ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं | रेबेन के चश्मे पहने कस्बाई युवक इतरा रहे हैं | दूसरे दर्जे के रेल यात्रियों के लगेज की शक्लें बदल रही हैं | दूर-दराज के इलाकों में बैंकों के क्रेडिट कार्ड और 'एटीएम' सेंटर खुल रहे हैं | आज उपभोक्ता सामग्री बनाने वाली बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वस्तुओं के साथ दिये जाने वाला लिटरेचर हिन्दी में भी छाप रही हैं | पर यह तस्वीर का एक पहलू है | विश्व बाज़ार की शक्तियों द्वारा भारत में एक माध्यम के रूप में हिन्दी का यह इस्तेमाल भारतीय समाज में परिवर्तन की मूलगामी शक्तियों के बारे में हमें आश्वस्त नहीं करता | बल्कि इस सारी प्रक्रिया में हिन्दी भाषा की एक विडम्बनात्मक स्थिति को ही हमारे सामने उजागर करता है | यह बाज़ार शक्तियों द्वारा हिन्दी भाषा की सामाजिक सम्प्रेषण की अन्तर्निहित क्षमताओं का अपने ढंग से अनुकूलन करना है | यदि वास्तव में बाज़ार शक्तियों के साथ

हिन्दी का विकासपरक संबंध बन रहा होता तो हिन्दी भाषा बाज़ार के तकनीकी पहलुओं के साथ भी उतनी ही तीव्रता से जुड़ रही होती | बाज़ार में हिन्दी की वास्तविक प्रगति तो तभी देखी जा सकती है जब वह सम्प्रेषण, कार्यकुशलता और लाभप्रदता की तमाम कारपोरेट योजनाओं का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग हो | वह आर्थिक कारोबार की समूची संस्कृति और संस्कार को अभिव्यक्त करने वाली भाषा हो | आज केवल माल बेचने और गाँव-कस्बों में नये बाज़ार बनाने के लिए हिन्दी का जो प्रयोग हो रहा है, वह एक तदर्थ और व्यावहारिक उद्देश्य के लिए है, किसी व्यापार आदर्श, राष्ट्र निर्माण या मूलगामी परिवर्तन के लिए नहीं | कारोबार में किसी उच्च प्रशासनिक बैठक का वार्तालाप हिन्दी में नहीं होता, कोई रिसर्च पेपर या व्यावसायिक रिपोर्ट हिन्दी में नहीं लिखी जाती, कोई कार्य-प्रशिक्षण हिन्दी में नहीं दिया जाता, कोई कार्यालय नोट याव्यावसायिक विश्लेषण हिन्दी में तैयार नहीं होता | कॉरपोरेट संस्कृति में हिन्दी के लिए कोई जगह नहीं है |

इसी प्रकार फ़िल्म के माध्यम से भी हिंदी को वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त हो रहा है | आज अनेक फ़िल्मकार भारत ही नहीं यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के अपने दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे हैं और हिंदी सिनेमा ऑस्कर तक पहुँच रहा है | दुनिया की संस्कृतियों को निकट लाने के क्षेत्र में निश्चय ही इस संचार माध्यम का योगदान चमत्कार कर सकता है | यदि मनोरंजन और अर्थ उत्पादन के साथ-साथ सार्थकता का भी ध्यान रखा जाए तो सिनेमा सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हो सकता है | इसमें संदेह नहीं कि सिनेमा ने हिंदी की लोकप्रियता भी बढ़ाई है और व्यावहारिकता भी | अहिन्दी भाषी प्रदेशों में भी हिन्दी फिल्में सुपरहिट रहती हैं | हमें यह स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हिन्दी प्रसार में बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है | बॉलीवुड में बनी हिन्दी फिल्में सिर्फ़ भारत में ही प्रदर्शित नहीं होती, अमरीका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व एशियाई देश सब जगह बड़े पैमाने पर रिलीज़ की जाती हैं | कई फिल्मों के प्रीमियर, अवार्ड फंक्शन, इन अलग-अलग देशों में होते हैं | बड़ी-बड़ी फिल्में विदेशों में फिल्माई जा रही हैं | अधिकांश फिल्मों के निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्च होता है और उसी सफलता की कसौटी भी बॉक्स-ऑफिस पर होने वाली कमाई है | बॉक्स-ऑफिस पर सौ करोड़ कमाने वाली फिल्मों की संख्या निरंतर बढ़ रही है | इस

सौ करोड़ का एक बड़ा प्रतिशत विदेशी बॉक्स-ऑफिस की खिड़कियों पर इकट्ठा होता है | शाहरुख, सलमान, ऋतिक दुनिया के बड़े सितारे हो गए हैं | कई विदेशी अभिनेत्रियाँ हिन्दी सिनेमा के रूपहले पर्दे पर अपनी किस्मत आज़माने को लालायित हैं | कटरीना कैफ़ को मिली सफलता ने औरों को भी इस ओर प्रेरित किया है | किन्तु यह गौरतलब है कि 'बाजार की शक्ति का ऐसा आलम है कि वह मनोरंजन और अपसंस्कृति को किसी नशे की तरह समाज को पिला रहा है और कहा यह जा रहा है कि यह जनता की माँग है |'[4]

सॉफ्टवेयर क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अब नए बाजारों की तलाश में हैं, क्योंकि अंग्रेजी का बाजार ठहराव बिंदु के करीब पहुँच गया है | अंग्रेजी भाषी लोग सक्षम हैं और कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि का क्रय कर चुके हैं | अब उन्हें नए कंप्यूटरों की जरूरत नहीं | लेकिन हम हिंदुस्तानी अब कंप्यूटर खरीद रहे हैं, और बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं | हम हिंदुस्तानी अब इंटरनेट और मोबाइल तकनीकों को अपना रहे हैं और बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं | आज संचार के क्षेत्र में हमारे यहां कितने अधिक उपभोक्ता मौजूद हैं | हमारे यहां उपभोक्ताओं के वृद्धि के आंकड़े दुनिया के मार्केटिंग दिग्गजों को चौंका देते हैं | वहां तकनीकी कंपनियों के उपभोक्ता कुछ हजारों में बढ़ते हैं और हमारे यहां सीधे करोड़ों में वृद्धि होती है | जो भी तकनीक आम आदमी से संबंधित है, उसमें असीम वृद्धि के लिए हमारे यहां अनन्त संभावनाएं हैं | हमारी अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है | हमारे यहां की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार आया है | हमारे यहां तकनीक का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में जैसे विस्फोट सा हुआ है | इन सब पर उनकी निगाहें हैं.. उनकी, यानी अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनियों की | क्योंकि इन सब तथ्यों में इस बात की संभावनाएं छिपी हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा आईटी बाजार बनने वाले हैं | क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया, हम सीधे करोड़ों में बढ़ते हैं | कंप्यूटर लेने हैं तो करोड़ों लिए जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन लेने हैं तो करोड़ों लिए जाएंगे, मोबाइल लेने हैं तो करोड़ों लिए जाएंगे | इन हालात में दुनिया का कोई बाजार–दिग्गज या मार्केटिंग मेजर हमारी उपेक्षा करने की गलती नहीं कर सकता | और वह हमारी भाषा की उपेक्षा करने की गलती भी नहीं कर सकता | यदि उसे भी करोड़ों में बढ़ना है, तो उसे हिंदी को अपनाना होगा, हमें अंग्रेजी को नहीं |

पिछले दस सालों में किसी अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनी ने हिंदी इंटरनेट के क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं दिखाई | लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि अब जब हम सब संघर्ष के मार्ग से आगे बढ़कर आर्थिक लाभ की स्थिति में पहुँच रहे हैं तो यकायक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी के बाजार में कूद पड़ी हैं | उन्हें पता है भारतीय कंपनियों ने अपने परिश्रम से बाजार तैयार कर दिया है... अब हिंदी में इंटरनेट आधारित या सॉफ्टवेयर आधारित परियोजना लाना फायदे का सौदा है | तो उन्होंने भारत आना शुरू कर दिया है | चाहे वह याहू हो, चाहे गूगल सब हिंदी में आ रहे हैं | माइक्रोसॉफ्ट के डेस्कटॉप उत्पाद हिंदी में आ गए हैं, आई. बी. एम. से लेकर सन माइक्रोसिस्टम और ओरेकल तक ने हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया है | लिनक्स और मैकिन्टोश पर भी हिंदी आ गई है | यही हाल टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स का है | इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला, ओपेरा जैसे इंटरनेट ब्राउजर हिंदी को समर्थन देने लगे हैं तो ब्लॉगर से लेकर वर्ड प्रेस तक ब्लॉगिंग के क्षेत्र में भी हिंदी आ गई है | आम कंप्यूटर उपयोक्ता के कामकाज से लेकर डेटाबेस तक में हिंदी उपलब्ध हो गई है | यह अलग बात है कि अभी भी हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन एक बड़ी शुरूआत हो चुकी है और वह अवश्यंभावी थी |

हिंदी के इस रूप विस्तार के मूल में यह तथ्य निहित है कि गतिशीलता हिंदी का बुनियादी चरित्र है और हिंदी अपनी लचीली प्रकृति के कारण स्वयं को सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आसानी से बदल लेती है | इसी कारण हिंदी के अनेक ऐसे क्षेत्रीय रूप विकसित हो गए हैं जिन पर उन क्षेत्रों की भाषा का प्रभाव साफ़-साफ़ दिखाई देता है | ऐसे अवसरों पर हिंदी व्याकरण और संरचना के प्रति अतिरिक्त सचेत नहीं रहती बल्कि पूरी सदिच्छा और उदारता के साथ इस प्रभाव को आत्मसात कर लेती है | यही प्रवृत्ति हिंदी के निरंतर विकास का आधार है और जब तक यह प्रवृत्ति है तब तक हिंदी का विकास रुक नहीं सकता | बाज़ारीकरण की अन्य कितने भी कारणों से निंदा की जा सकती हो लेकिन यह मानना होगा कि उसने हिंदी के लिए अनुकूल चुनौती प्रस्तुत की | बाज़ारीकरण ने आर्थिक उदारीकरण, सूचनाक्रांति तथा जीवनशैली के वैश्वीकरण की जो स्थितियाँ भारत की जनता के सामने रखी, इसमें संदेह नहीं कि उनमें पड़कर हिंदी भाषा के अभिव्यक्ति कौशल का विकास ही हुआ | अभिव्यक्ति कौशल के विकास का अर्थ भाषा का विकास ही है | यहाँ यह भी जोड़ा जा

सकता है कि बाज़ारीकरण के साथ विकसित होती हुई हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता भारतीयता के साथ जुड़ी हुई है | यदि इसका माध्यम अंग्रेज़ी हुई होती तो अंग्रेज़ियत का प्रचार होता | लेकिन आज प्रचार माध्यमों की भाषा हिंदी होने के कारण वे भारतीय परिवार और सामाजिक संरचना की उपेक्षा नहीं कर सकते | इसका अभिप्राय है कि हिंदी का यह नया रूप बाज़ार सापेक्ष होते हुए भी संस्कृति निरपेक्ष नहीं है | विज्ञापनों से लेकर धारावाहिकों तक के विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि संचार माध्यमों की हिंदी अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत की छाया से मुक्त है और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है | अनुवाद को इसकी सीमा माना जा सकता है | फिर भी, कहा जा सकता है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं ने बाज़ारवाद के खिलाफ़ उसी के एक अस्त्र बाज़ार के सहारे बड़ी फतह हासिल कर ली है | अंग्रेज़ी भले ही विश्व भाषा हो, भारत में वह डेढ़-दो प्रतिशत की ही भाषा है | इसीलिए भारत के बाज़ार की भाषाएँ भारतीय भाषाएँ ही हो सकती हैं, अंग्रेज़ी नहीं | और उन सबमें हिंदी की सार्वदेशिकता पहले ही सिद्ध हो चुकी है |

स्पष्ट है कि बाजार ने हिन्दी भाषा के मानचित्र का अभूतपूर्व विस्तार किया है लेकिन यह भी सच है कि यह हिन्दी वह नहीं हैं जो साहित्य और संस्कृति की भाषा है या फिर जिसे हमने राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था | इस प्रक्रिया में हिंदी के साथ जो खेल खेला जा रहा है वह रोंगेटे खड़े करने वाला है, उसे ज्ञान-विज्ञान-संस्कृति-सृजन से काटकर बाज़ार की भाषा के रूप में ढालने के प्रयास में उसके भीतर जो मिलावट की जा रही है, जितनी तरह से उसे भ्रष्ट किया जा सकता है, किया जा रहा है, वह हिंदी की जड़े काट रहा है | रतन कुमार पाण्डेय के शब्दों में - "भाषा में बदलाव की चालक-शक्ति, आज सूचना और प्रौद्योगिकी है यही बदलाव सारी व्यवस्था एवं वातावरण को बदल देता है | कहा जाता है कि राजनीतिक स्वत्व और तलवार जहां परास्त हो जाते हैं, वहां सृजनात्मक शब्द समाज को जागृत कर उसमें चेतना का संचार करते हैं | आज कला, नाटक, भाषा-भूषा भोजन सभी को भूमंडलीकरण ने भुनाया है | एक भाषा, एक संस्कृति, एक ही जीवन-शैली इसका लक्ष्य होता है | यह एक तानाशाही व्यवस्था है और तानाशाही व्यवस्था में सिर्फ भाषा को भ्रष्ट किया जाता है |"[5] इस बाज़ारू भाषा से हिंदी का कोई भला नहीं हो रहा है, बल्कि बाज़ार को ही लाभ मिल रहा है, जो उसका लक्ष्य है भी | भाषा तो तभी

लाभान्वित होती है, जब वह अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी सांस्कृतिक-बौद्धिक-सर्जनात्मक संपदा का संरक्षण करती हो और उसे बढ़ाती हो | परंतु बाजार ने अपने उपयोग के लिए हिंदी को सबसे पहले उसके लिखित रूप से अलग किया, उसे उसने सिर्फ़ बोलचाल की भाषा में बदल दिया, फिर उस बोलचाल की भाषा को अपनी उपभोक्ता संस्कृति से जोड़ने के लिए तोड़-मरोड़कर अनेक तरह की मिलावटों से बाजार की भाषा में बदल डाला | 'हालत यह है कि यह समूची प्रक्रिया एक तरह के मीडिया बाजार में तब्दिल हो गयी है और स्वयं मीडिया इकाइयां उस बाजार तंत्र का हिस्सा मात्र होकर रह गई हैं |'[6]

विश्व बाज़ार की नयी स्थितियों में यही हिन्दी भाषा की सबसे बड़ी विडम्बना है | हिन्दी भाषा को उसके मूल स्वभाव और आकांक्षा से दूर किया जा रहा है | हिन्दी केवल माल बेचने की भाषा बन रही है | वह केवल लालसाओं और मरीचिकाओं की भाषा बन रही है | वह एक ऐसे चमकीले संसार का हिस्सा बन रही है, जिसका भारत की करोड़ों की संख्या में अल्पशिक्षित और मूक जनता से कोई संबंध नहीं | जनता इस स्थिति को केवल मुँह बाये खड़े देख रही है। भाषा को उसके बुनियादी संस्कार से काट देने में मीडिया की यह भूमिका भविष्य में और अधिक बढ़ते ही जाने की संभीवना है | भाषिक प्रयोग में जनता की अपनी स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं | भारत की विशाल अल्पशिक्षित और साधनहीन जनता खाते-पीते वर्ग की मस्ती, उपभोग अय्याशी और हिंसा को प्रतिदिन टेलीविजन पर अपनी भाषा के माध्यम से प्रकट होते देख रही है | यही विश्व बाज़ार में आज हिन्दी की कुल भूमिका है | हमें इससे निपटने और बाहर आने के रास्ते खोजने हैं |

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
बान्दरसिंदरी, किशनगढ़ - 305801
जिला-अजमेर (राजस्थान)

**<u>संदर्भ सूची :</u>**

1. नन्द भारद्वाज: संस्कृति, जनसंचार और बाजार, सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2007, पृ. 54

2. रतन कुमार पाण्डेय: मीडिया का यथार्थ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2008, पृ. 21
3. सुधीश पचौरी: मीडिया, समकालीन सांस्कृतिक विमर्श, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं.2011, पृ. 243
4. मधुकर लेले: भारत में जनसंचार और प्रसारण मीडिया, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, सं.2011, पृ. 191
5. रतन कुमार पाण्डेय: मीडिया का यथार्थ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2008, पृ. 22
6. नन्द भारद्वाज: संस्कृति, जनसंचार और बाजार, सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2007, पृ. 55

## जनभाषा हिन्दी को समर्थ बनाने की चुनौती

-डॉ0 सुशीलकुमार पाण्डेय 'साहित्येन्दु'

भाषा अपनत्व की संवाहिका होती है। अपनी भाषा की बात कुछ और ही होती है। अपनी भाषा के प्रति लगाव होना ही चाहिए। गाँधीजी का कथन है कि- ''किसी भाषा के शब्दों को अपना लेने में शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म तो तब है, जब हम अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों को न जानने के कारण दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे घर शब्द को भुलाकर 'हाउस' कहें, माता को 'मदर' कहें, पिता को 'फादर' कहें, पति को 'हसबैंड' और पत्नी को 'वाइफ' कहें।''1

अपनी भाषा में जो गौरव-बोध और आत्म विश्वास है वह दूसरी भाषा में नहीं है। अपनी माँ कितनी कुरूप क्यों न हो ? वह अपने बच्चे के लिए सुन्दर होती है, क्योंकि वही अपने बच्चे को बोलना सिखलाती है। ''जो लोग फारसी के शब्दों को इस्लामी संस्कृति के अभिन्न अंग समझकर अपनी भाषा में सजाते हैं, वे अक्सर अनजान में काफिर शब्दों को ही यह सम्मान देते हैं। जब वे हफ्ते को उच्च शब्द और सप्त या सात को नीच शब्द समझते हैं तब वे यह सिद्ध करते हैं कि वे इस्लाम नहीं, ईरानी संस्कृति के गुलाम हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 का कथन है कि हिन्दी-भाषा की शब्द सम्पदा को समृद्ध करने

के लिए प्रमुख रूप से संस्कृत-भाषा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। संस्कृत भारतीय परिवेश के सर्वथा अनुरूप है। डॉ0 रामविलास शर्मा का कथन है कि- ‘‘उर्दू में जो संस्कृत शब्दों से परहेज है, उसे कम होना है। भारत की भाषाओं के लिए अरबी, फारसी का वही महत्व नहीं है जो संस्कृत का है। व्याकरण और मूल शब्द भण्डार की दृष्टि उर्दू से संस्कृत परिवार की भाषा है, न कि अरबी परिवार की। इसलिए अरबी से पारिभाषिक शब्द लेने की नीति गलत है, केवल अरबी से शब्द लेने और संस्कृत शब्दों को मतरूक समझने की नीति और भी गलत है। भारत की सभी भाषाएँ प्रायः संस्कृत के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली बनाती है। उर्दू इन सब भाषाओं से न्यारी रह कर अपनी उन्नति नहीं कर सकती।3

अपनी भाषा में जो सहजता, सरलता और तरलता है वह अन्यत्र नहीं। अज्ञेय का कथन है कि- किसी भी समाज को अनिवार्यतः अपनी भाषा में ही जीना होगा, नहीं तो उसकी अस्मिता कुंठित होगी ही होगी और उसमें आत्म-बहिष्कार या अजनबियत के विचार प्रकट होंगे ही।4 हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रो0 करुणाशंकर उपाध्याय लिखते हैं कि-‘‘दरअसल हिन्दी का इतिहास वैदिक काल से ही प्रारम्भ होता है। वैदिक का साहित्य रूप ऋग्वेद है। इसे लौकिक से भिन्न तथा पूर्ववर्ती शाखा माना जाता है। भारतीय परम्परा के अनुसार वैदिक संहिताएँ अपौरुषेय हैं। ये मूलतः छन्दों में निर्मित हैं। इसलिए इस भाषा को छांदस्य अथवा वैदिक कहते हैं। लौकिक संस्कृत में छन्द का सर्वप्रथम प्रयोग महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रन्थ ‘रामायण’ में किया। यही कारण है कि इस ग्रन्थ को आदिकाव्य की संज्ञा दी गयी है। संस्कृत के समानान्तर बोलचाल की लोकभाषा के रूप में प्राकृत का विकास हुआ, जिसका पूर्ववर्ती रूप पालि तथा उत्तरवर्ती रूप अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। इसी अपभ्रंश से समस्त आधुनिक भारतीय आय भाषाओं का विकास हुआ है। हिन्दी उससे विकसित होने वाली सबसे प्रभावी एवं बड़ी भाषा का नाम है। यह मूलतः फारसी शब्द है। जहाँ तक व्याकरण का सवाल है तो ‘हिन्दी’ शब्द ‘हिन्द’ का विशेषण है जिसका आशय है- ‘हिन्द का’।5

हिन्दी भाषा की गुणवत्ता और महत्ता पर अनेक मनीषियों ने बहुत लिखा है। सत्य यह है कि हिन्दी हिन्दुस्तान की पहचान है। इसमें रचा साहित्य

विलक्षण और कालजयी है। इस भाषा में उत्तम ग्रन्थों के रचने की अद्भुत क्षमता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि - ''भारतवर्ष की राजभाषा चाहे जो हो और जैसी भी हो, पर इतना निश्चित है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय भाषा हिन्दी है। लगभग आधा भारतवर्ष उसे अपनी साहित्यिक भाषा मानता है, साहित्यिक भाषा अर्थात् उसके हृदय और मस्तिष्क की भूख मिटाने वाली, करोड़ों की आशा-अकांक्षा, अनुराग-विराग, रुदन-हास्य की भाषा। उसमें साहित्य लिखने का अर्थ है करोड़ों के मानसिक स्तर को ऊँचा करना, करोड़ों मनुष्यों को मनुष्य के सुख-दुख के प्रति संवेदनशील बनाना, करोड़ों की अज्ञान, मोह और कुसंस्कार से मुक्त कराना।''6

हिन्दी भारत की आत्मा है। हिन्दी भारत की वाणी है। हिन्दी भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बाँध कर रखने की अपूर्व क्षमता से भरी है। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन ने ठीक ही कहा है कि-''मैं मानता हूँ कि भारत की आधुनिक भाषाओं में हिन्दी ही सच्चे अर्थ में सदैव भारतीय भाषा रही है, क्योंकि वह निरन्तर भारत की एक समग्र चेतना को वाणी देने का चेतन प्रयास करती रही है और सभी भाषाओं में प्रदेश बोला है, कई बार बड़े प्रभावशाली ढंग से बोला है, हिन्दी में आरम्भ से ही देश बोलता रहा है, भले ही कभी-कभी कमजोर स्वर में भी बोला है।''7

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी के योगदान को विस्मृत नहीं किया सकता है।

प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ''नेताजी'' के सम्मान से सम्मानित सुभाषचन्द्र बोस का कहना था कि-'हिन्दी के विरोध का कोई भी आन्दोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है।' हिन्दी की शब्द सम्पदा निराली है जिसमें विविध भावों के बोधक शब्दों का अकूत भण्डार है। हिन्दी की भाव-सम्पदा की भव्यता पर रीझकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि-''प्राचीन हिन्दी कवियों के ऐसे-ऐसे गीत मैंने सुने हैं कि सुनते ही मुझे ऐसा लगा है कि वे आधुनिक युग के हैं। इसका कारण यह है कि जो कविता सत्य है, वह चिरकाल ही आधुनिक है। मैं तुरन्त समझ गया कि जिस हिन्दी-भाषा के खेत में भावों की ऐसी सुनहरी फसल फली है, वह भाषा भले ही कुछ दिन यों ही पड़ी रहे, तो भी उसकी स्वाभाविक उर्वरता

नहीं मर सकती, वहाँ फिर खेती के सुदिन आयेंगे और पौष मास में नवान्न उत्सव होगा।''8

हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना प्रत्येक भारतवासी का उत्तरदायित्व है। प्रख्यात लेखक और राजनेता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का मत है कि- 'विद्या की कोई भी संस्था वास्तविक अर्थ में भारतीय नहीं कही जा सकती जब तक उसमें हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन का प्रबंध नहीं हो।''9 हिन्दी भाषा राष्ट्रीय एकीकरण का मूलमंत्र है। उसका क्षेत्र किसी प्रान्त तक सीमित नहीं है, उसे भारती कहा जाता है। वह भारत की गौरव, आन, बान तथा शान है। हिन्दी की श्रीवृद्धि कर हम अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य को पुष्ट करते हैं। हिन्दी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारत की 'भारती' के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए।10

संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषा है पर भारत की संस्कृति के अनुसार वह साझी संस्कृति की वाणी है। अपनी भाषा की उन्नति में देश का उज्ज्वल भविष्य निहित है। महात्मा गाँधी का कथन है कि-'लोगों को अपनी भाषा की असीम उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा गौरव उसी भाषा को प्राप्त होगा जिसमें अच्छे-अच्छे विद्वान जन्म लेंगे और उसी का सारे देश में प्रचार भी होगा।'11 हमारी भाषा हमें जीवन-शैली के मूल्यों को समझाती ही नहीं बल्कि उसे प्रायोगिक स्तर पर उतारने की प्रक्रिया को मूर्तरूप देती है। हम अपनी भाषा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गाँधी जी ने ठीक ही कहा है कि-'हमारे समाज का सुधार हमारी अपनी भाषा से ही हो सकता है। हमारे व्यवहार में सफलता और उत्कृष्टता भी हमारी अपनी भाषा से हो जायेगी।'12 कहा जा सकता है कि हिन्दी की प्रगति में राष्ट्र की प्रगति का शुभ सन्देश है। अतः हिन्दी के विकास में आने वाली चुनौतियों से दृढ़तापूर्वक सामना करना हम सभी का पावन कर्त्तव्य है।

भारतीय संविधान में हिन्दी के विषय में दो अनुच्छेद विशेष उल्लेखनीय है। प्रथम 343 तथा द्वितीय 351।

343. संघ की राजभाषा-

1. संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह अवधि के पश्चात विधि द्वारा- (क) अंग्रेजी भाषा का, या (ख) अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश-संघ का कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

जनभाषा के रूप में हिन्दी का महत्वपूर्ण सर्वविदित है। एस.डब्ल्यू फैलन ने कहा था कि-"अरबी या फारसी की तुलना में हिन्दी देश की मिट्टी से अधिक जुड़ी हुई है और जनता के दिल के अधिक निकट है, इसलिए हिन्दी के प्रयोग को अरबी-फारसी की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए।"13 संविधान मर्मज्ञ आर.बी. धुलेकर ने कहा है कि "कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी भाषा के साथ

रियायत की गई है किन्तु मैं समझता हूँ कि यह बात नहीं है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही हुआ है जो कई वर्षों से, वास्तव में कई शताब्दियों से प्रवर्तन में रही है। मैं निवेदन करता हूँ कि स्वामी रामदास ने हिन्दी में लिखा, तुलसीदास ने हिन्दी मं लिखा और आधुनिक काल के संत स्वामी दयानंद ने हिन्दी में लिखा। वे गुजराती थे किन्तु लिखते थे हिन्दी में। वे हिन्दी में क्यों लिखते थे ? इस कारण कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी थी। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने जब कांग्रेस में प्रवेश किया तो उन्होंने तुरन्त ही अंग्रेजी भाषा छोड़ दी और हिन्दी में बोलने लगे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखने का प्रयास नहीं किया।''14

अनेक विद्वानों ने हिन्दी प्रचार के उपाय पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार से भारत की पहचान को दृढ़ता मिलेगी। लोकमान्य तिलक का कथन है कि ''हिन्दी राष्ट्रभाषा बनने योग्य है, यह बात सत्य है पर जब तक हिन्दी भाषा-भाषी लोगों में देशभक्ति की तीव्र ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक हिन्दी भाषा में तेज का संचार नहीं होगा। जब हिन्दी प्रेमियों में खुशामद खोरी या चापलूसी की वृत्ति का त्याग कर देश के कोने-कोने में नया संदेश पहुँचाने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होगी, तभी हिन्दी भाषा समृद्ध होगी।''15 हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अहिन्दी भाषियों ने भी बहुत श्रम किया था। उसे आज और आगे बढ़ाने की जरुरत है। सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है कि-''यों 1867 में बंगाल में केशवचन्द्र सेन ने अपने समाचारपत्र में हिन्दी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है', इस विषय पर निबंध लिखा। 1882 में राजनारायण बोस ने और 1886 में भूदेव मुकर्जी ने भी भारत को एक जातीयता के सूत्र में बांधने के लिए हिन्दी की उपयोगिता के विषय पर विचार-समुज्ज्वल वकालत की। सन् 1905 से जब बंगाल में बंग-भंग के बाद स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, जिसके साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम की नींव डाली गई, उस समय काली प्रसन्न काव्य विशारद जैसे बंगाली नेताओं ने हिन्दी के पक्ष में प्रयत्न किया, जिससे हिन्दी के सहारे जनता में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आकांक्षा फैल जाए।''16

हिन्दी जनभाषा कैसे बने ? उसका विकास धरातल स्तर पर कैसे हो ? यह विचारणीय प्रश्न है। जितेन्द्र निर्मोही लिखते हैं कि-''हिन्दी की प्रगति के

लिए 1968 में पुनः राजभाषा संकल्प अन्तर्गत त्रिभाषा फार्मूला बनाया गया; 1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. इसके अतिरिक्त कोई भारतीय भाषा जैसे उत्तरवासी दक्षिण भारत की कोई भाषा पढ़ें तथा दक्षिण भारतीय उत्तर भारत की कोई एक भाषा पढ़ें। इसके लिए दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार समितियाँ भी बनीं, परन्तु तमिलनाडु में हिन्दी विद्वेष की स्थिति बनी रही। सच माना जाए तो सब कुछ प्रयास होने के बावजूद भी हिन्दी जन-जन की भाषा नहीं बन सकी अर्थात यह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकी। यह हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमजोरी या मजबूरी, जो भी कहा जाए, वह थी। संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो मूलभूत अपेक्षाएँ चाहीं, वे ये थीं-1. हिन्दी को सरल बनाना,। 2. हिन्दी को भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति बनाना। 3. हिन्दी के शब्द भण्डार को अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द भण्डार से शब्द लेकर अधिक विस्तृत करना। 4. हिन्दी का सम्पूर्ण रूप में प्रयोग करना। हिन्दी को सरलीकृत करने के लिए ग्यारह सदस्यीय सलाहकार समिति बनी, जिसमें सेठ गोविन्द दास, मामा वारेरकर, राष्ट्रकवि दिनकर इत्यादि थे। उनकी ओर से सुझाव आयेः 1. प्रचलित संस्कृत, फारसी, अरबी या अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिन्दी से बहिष्कृत न किया जाए। 2. तत्सम शब्दों के बदले तद्भव शब्दों को तरजीह दी जाए। 3. जिन पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची शब्द हिन्दी में नहीं हैं, उनके पर्यायवाची शब्द अन्य भाषाओं या ग्रामीण अंचल से लिए जा सकते हैं।''17

जितेन्द्र निर्मोही ने हिन्दी के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को दूर करने के लिए आगे जो कहा है वह भी उद्धरणीय है-''हिन्दी को अपना गौरव दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहल कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने 2 अक्टूबर, 2014 को देशभर में स्वच्छता अभियान चलाकर, जोरदार प्रारम्भ किया है। उसी तरह वे 14 सितम्बर, 2015 को हिन्दी के संवर्द्धन के लिए अपनी कैबिनेट व उत्तर भारत के शासित राज्यों को दक्षिण भारत की कोई एक भाषा सीखने की पहल करें तथा दक्षिण के राजनीतिज्ञों को व कैबिनेट सचिवों को हिन्दी सीखने की पहल करावें। कुछ जरूरी स्लोगन जैसे ''स्वच्छ भारत, सुन्दर भारत'', ''सबका साथ, सबका विकास'' सारे देश में हिन्दी में प्रचारित करावें। दक्षिण भारतीयों को ऐसा न लगे कि हिन्दी हम पर थोपी जा रही है, इसलिए एक नारा ''आओ ! हम हिन्दी को लेकर चलें साथ'' दिया जा सकता है, जिसे पूर्वांचल भी आसानी से आत्मसात कर लेगा। तमिल ने संस्कृत के पचास

प्रतिशत शब्दों को अपनाया है, शेष पचास प्रतिशत शब्दों की सुगमता की ओर हमारा ध्यान जायेगा तो समाधान निकल आयेगा। इस इन्टरनेट युग में हमें विदेशी विद्वानों को भी समझाना होगा। उनके प्रभाव से विश्व सहस्त्राब्दि के लिए एक नये हिन्दी के साहित्य का द्वार खुलेगा।

नई सहस्त्राब्दि में हिन्दी को उच्च स्तरीय द्विभाषी, त्रिभाषी एवं बहुभाषी कोषों की आवश्यकता है। लोग सीखने को आतुर हैं, आज सुविधाओं का अभाव भी नहीं, इसलिए नई शुरुआत की जाये। माइक्रोसॉफ्ट 2000 अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी तैयार हो, इसे अधिक सहज, सरल और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिससे दूरगामी परिणाम हमारे सामने आये, इससे हिन्दी विश्वस्तर पर प्रतिष्ठित होगी।

आज आवश्यकता है हिन्दी को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत करने की, जिससे नई सहस्त्राब्दि में हिन्दी नये रूप में दिखाई दे। इसके लिए वर्तनी और उच्चारण की आवश्यकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और दूसरी संस्थाएँ इस ओर अग्रसर हैं। आई.आई.टी. कानपुर, केन्द्रीय निदेशालय, रिजर्व बैंक आदि भी इस ओर प्रयासरत हैं। नई शताब्दि को ''कम्प्यूटर युग'' या ''डिजिटल युग'' कहा जा रहा है, जिसकी चमत्कारिक शक्ति ने देश को प्रभावित किया है। हमारे साफ्टवेयर इंजीनियर और अन्य वर्ग विकास में लगे हुए हैं। यदि इनका सम्मान भी अपने कार्य के साथ हिन्दी के प्रचार व प्रसार की ओर हो जाए तो हमें बड़ी शक्ति मिलेगी। अब भाषावाद, प्रान्तवाद भी धीरे-धीरे गौण होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के युग में हम नई हिन्दी की ओर आशान्वित हैं।18

विनोबा भावे मात्र एक संन्यासी या प्रबुद्ध दार्शनिक ही नहीं थे वे मराठी भाषी होते हुए भी हिन्दी के गम्भीर समर्थक थे वे लिखते है ''जहाँ तक हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का संबंध है, यह कार्य हिन्दी प्रान्तों में जल्दी से जल्दी होना चाहिए। किंतु अहिन्दी भाषी प्रान्तों में धीरे धीरे चलना चाहिए। हिन्दी प्रान्तों के विश्वविद्यालयों, सचिवालयों और न्यायालयों- सभी जगह हिन्दी का तुरन्त प्रयोग आरम्भ होना चाहिए, किंतु मेरा अनुरोध है कि अहिन्दी प्रान्तों के लिए इस विषय में आग्रह न किया जाए और हिन्दी भाषी सहनशीलता और सब्र से काम लें; तभी इसका प्रचार जल्दी होगा। असहनशीलता और जल्दबाजी से देश का अहित होने की सम्भावना है।''19 समाजवादी चिन्तक डॉ0 राम मनोहर

लोहिया का कथन है कि ''हिन्दी के शब्दों का प्रयोग न होने के कारण इन पर काई जम गई है जो निरन्तर प्रयोग से ही दूर हो सकती है। भाषा शब्दकोशों तथा सम्मेलनों से शक्तिशाली नही बनती, बल्कि प्रयोग से बनती है।''20 हिन्दी के उत्थान का पथ प्रशस्त हो रहा है। उसके समक्ष खड़ी चुनौतियों का हमें डटकर मुकाबला करना है। डॉ मिर्जा हसन नासिर का विचार है कि हिन्दी निरन्तर विकास होता रहा है। आज की हिन्दी पहले जैसी नही रही। इसमें अनवरत परिवर्तन रहा है, विशेषकर अंग्रेजी की शब्दावली इसमें अपना दायरा विस्तृत करती जा रही है। यही नहीं, अंग्रेजी के वर्चस्व के फलस्वरूप अब हिन्दी रोमन लिपि में भी लिखी जाने लगी है। हिन्दी वास्तव में एक प्रकार से अपना मूल स्वरूप खोती तथा हिंग्लिश का रूप धारण करती जा रही है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसे हवा दे रहा है। सिनेमा एवं टी0 वी0 धारावाहिक भी प्रायः इसे क्षति पहुँचाने से बाज नही आ रहे हैं। उधर अनेक हिन्दी बोलियाँहिन्दी से किनारा करके पृथक भाषा बनने के निमित्त संघर्षरत हैं। इसमें राजनीति का हस्तक्षेप भी जारी है। यदि मैथिली आदि की भाँति भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण हिन्दी बोलियाँ (यथा भोजपुरी, अवधी आदि) भी हिन्दी से विलग हो जाती हैं तो फिर अन्ततः हिन्दी मात्र खड़ी बोली तक ही सीमित होकर ही रह जायेगी और वह खड़ी बोली भी हिन्दी कम, हिंग्लिश अधिक हो जायेगी जिससे हिन्दी के एक विकृत रूप से हमें सामना करना पड़ सकता है। ऐसी विषम परिस्थिति में कदाचित् यह राष्ट्रभाषा तो क्या, राजभाषा कहलाने का दावा करने की स्थिति में भी न रह सके।''21 डॉ मिर्जा हसन नासिर आगे कहते है कि ऐसा कदापि घटित न होने पाये, इसके निमित्त हमें अविरल चिंतन-मनन, विचार-विमर्श एवं गहन-मंथन करके कोई समुचित मार्ग खोजना होगा तथा तद्नुसार कारगर कार्रवाई करनी होगी। हमें देशवासियों को जागरूक करना होगा तथा उनमें हिन्दी के प्रति रूचि, अनुराग एवं निष्ठा उत्पन्न करने हेतु कुछ ठोस कार्य करने होगें। हिन्दी राष्ट्र की एकता, अस्मिता एवं संस्कृति की पहचान है। इसमें विपुल मूल्यवान साहित्य का भण्डार समाहित है। अतएव, इसे राजभाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठापित करने का सुनहरा स्वप्न हमें अन्ततोगत्वा साकार करना ही होगा। उसका भविष्य बहरहाल उज्ज्वल होना ही है। यह आवश्यक भी है, समय की पुकार भी है और हमारे समाज के साथ समग्र देश के हित में भी है। वैसे, हिन्दी बड़ी सख्त भाषा है

और स्वयं अपने दम पर भी फूलने-फलने में काफी हद तक सक्षम है।"22 हिन्दी की प्रतिष्ठा विश्वस्तर पर बढ़ रही है। हिन्दी में अनेक ऐसे आयाम है जो विश्वपटल की आवश्यकताओं के अनुरूप है। प्रो0 करूणाशंकर उपाध्याय के शब्दों में "हिन्दी को वैश्विक सन्दर्भ प्रदान करने में विश्व-भर में फैले हुए साढे चार करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीयों का विशेष प्रदेय है। वे हिन्दी के द्वारा अन्य भाषा-भाषियों के साथ सांस्कृतिक संवाद कायम करते हैं। अब हिन्दी विश्व के सभी महाद्वीपों तथा राष्ट्रों-जिनकी संख्या एक सौ से भी अधिक है- में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त हो रही है। इस समय वह विश्व की तीन सबसे बड़ी भाषाओं में से है। वह विश्व के विराट फलक पर नवलचित्र के समान प्रकट हो रही है। वह बोलने वालों की संख्या के आधार पर मन्दारिन (चीनी) के भी ऊपर आकर विश्व की पहली सबसे बड़ी भाषा बन गई है। जबकि वह जिन राष्ट्रों में प्रयुक्त हो रही है उनके संख्या बल की दृष्टि से वह अंग्रेजी के बराबर पहले स्थान पर है। अब विश्व स्तर पर उसकी स्वीकार्यता अनुभव की जा सकती है और उसका सर्वतोन्मुखी जागतिक उन्नयन देखा जा सकता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनने के लिए उसके द्वार पर दस्तक दे रही है और मॉरिशस में बनाए गए विश्व हिन्दी सचिवालय में प्रतिष्ठा सहित आसीन है। वह अपनी विपुल शब्द-सम्पदा तथा प्रयोग वैविध्य के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सन्दर्भों, सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक चिन्ताओं तथा आर्थिक विनयम की संवाहक बनकर विश्व मन की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने के क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है। हिन्दी को वैश्विक परिदृश्य प्रदान करने में फिल्मों, पत्र-पत्रिकाओं ,प्रकाशन संस्थानों, भारत सरकार के उपायों, उपग्रह-चैनलों, विज्ञापन-एजेंसियों, बहुराष्ट्रीय-निगमों, यांत्रिक सुविधाओं तथा साहित्यकारों का आधारभूत प्रदेय तो सर्वविदित है। ऐसी स्थिति में विश्व व्यवस्था को परिचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रयुक्त होने वाली विश्वभाषा के ठोस निकष एवं प्रतिमान पर हिन्दी का गहन परीक्षण सामयिक दौर की अपरिहार्य माँग है।"23 हिन्दी के समक्ष खड़ी चुनौतियों का डटकर सामना करना और उन्हें दूर करने से ही भारत का भला हो सकता है। यह रास्ता कॉटां भरा जरूर हो सकता है पर गुलाब भी तो कॉटों में ही खिलता है। हमें हिन्दी रूपी गुलाब की सुगंन्ध विश्वस्तर पर फैलाने के लिए परिश्रम करना ही पडेगा। जन-भाषा हिन्दी के

समक्ष खड़ी चुनौतियों से टकराकर उन्हें चूर-चूर करना ही पड़ेगा। प्रसाद जी की अग्रलिखित पंक्तियों की लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा।

इस पथ का उद्देश्य नही है श्रान्त भवन में टिका रहना।

किन्तु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं।।

मु0 पटेलपगर पो0 कादीपुर

जि0 सुलतानपुर उ0प्र0 228145

सन्दर्भ

1. महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन 7-11-1929)

2. शर्मा रामविलास, भाषा और समाज पृ0 326

3. शर्मा रामविलास, भाषा और समाज पृ0 332

4. अज्ञेय-अद्यतन पृ0 24

5. उपाध्याय (डॉ) करुणाशंकर, हिन्दी का विश्व सन्दर्भ पृ0 29 (राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली)

6. द्विवेदी-हजारीप्रसाद (अशोक के फूल,पृ0 47-48

7. अज्ञेय-सच्चिदानन्द वात्स्यायन-अद्यतन।

8. ठाकुर-रवीन्द्रनाथ रवीन्द्र साहित्य :भाग 24'चयन' निबन्ध,पृ0 128

9. मुंशी कन्हैयालाल मणिकालाल (स्पार्क्स फ्राम ए गवर्नर्स एन्विल, खंड 1,पृ0 80)

10. मुंशी क0 मा0 भारतीय हिन्दी परिषद के खुले अधिवेशन के समापति पद से भाषण 1953

11. महात्मा गॉधी-भाषण, काशीनागरी प्रचारिणी सभा में 5 फरवरी 1936

12. महात्मा गॉधी-सूरत में भाषण 3 जनवरी 1916

13. फैलन एस0 डबलू-जर्नर आफ दी एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 1867 भाग एक पृ0 147

14. धुलेकर आर0वी0 भारतीय संविधान सभा की सरकारी रिपोर्ट 13.09.1949

15. तिलक लोकमान्य-यांच्या आढ़वणी आख्यायिका पृ0 109

16. चटर्जी सुनीति कुमार-विशाल भारत मार्च 1950 पृ0 185

17. निर्मोही जितेन्द्र-मानस संगम (2016 संपादक पं0 बद्रीनारायण त्रिपाठी) पृ0 130,

18. निर्मोही जितेन्द्र-मानस संगम (2016 संपादक पं0 बद्रीनारायण त्रिपाठी) पृ0 133

19. भावे विनोबा-जबलपुर में भाषण 29.08.1965

20. लेहिया (डॉ0) राम मनोहर, भाषा, त्रैमासिक नवम्बर 1961 पृ0 136

21. नासिर (डॉ0) मिर्जा हसन नासिर,मानस संगम 2016 पृ0 135

22. नासिर (डॉ0) मिर्जा हसन नासिर,मानस संगम 2016 पृ0 136

23. उपाध्याय (डॉ0) करुणाशंकर हिन्दी का विश्व सन्दर्भ पृ0 5.6

डॉ.सीमा शर्मा

‘‘भारत जननी एक हृदय हो

भारत जननी एक हृदय हो

एक राष्ट्र हिन्दी में

कोटि कोटि जनता की जय हो

जाति, धर्म, भाषा, विभिन्न स्वर

एक राग हिन्दी में सजकर

झंकृत करे हृदय तंत्री को

स्नेह भाव प्राणों में लय हो

भारत जननी एक हृदय हो’’1

हिन्दी कहने को मात्र एक भाषा है, पर वास्तव में गुजरात से लेकर आसाम तक और कश्मीर से लेकर केरल तक फैले हुए भारत के जनमानस में राष्ट्र के प्रति भावात्मक एकता, राष्ट्रीय व्यवहार का एक ऐसा साधन है जो सब का मेल मिलाप कराती है तथा समस्त भारतवासियों के हृदय में एक्य का भाव जाग्रत कराती है।

पुराणों में लिखा है कि सब देवों ने मिलकर जब अपना अपना तेज एकत्रित किया तो उस संचित तेज ने दुर्गा का रूप धारण करके महिषासुर, चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार किया।

भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज आदि के सुमेल से बनी हिन्दी भी उस दुर्गा की भांति ही है जो लोक सुलभ सर्वमान्य सर्वसमन्वयकारी और समृद्ध भाषा है।

पहले तो इसका संसार केवल भारतीयों के भीतर था लेकिन समय के प्रवाह ने इसकी सीमाओं को चरणबद्ध रूप में परिवर्तित कर विस्तृत कर

दिया जिसके प्रांरभिक चरण से जार्ज ग्रियर्सन का नाम आता है। जिन्होंने पराधीन भारत में विदेशी प्रशासक के पद पर कार्यरत होते हुए भी सर्वप्रथम सबसे बड़ा भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, जो तेरह खंडों में लिपिबद्ध है फोर्ट विलियम कालेज में हिन्दुस्तानी विभाग के अध्यक्ष डॉ.जान गिलक्राइस्ट ने सर्वप्रथम हिन्दी की पाठ्य पुस्तक लिखी। ''फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी'' ने सर्वप्रथम हिन्दी भाषा के साहित्यिक इतिहास को ''इस्तवार द ला लितूरेत्यूर ऐन्दुई ऐ ऐन्दुस्तानी'' शीर्षक से लिखा। यहाँ तक कि हिन्दी की सबसे पहले डी.लिट् चालीस के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जे.ई.कारपेंटर ने तुलसीदास का धर्म दर्शन विषय पर की। पादरी सैमुअल कैलाग ने हिन्दी पर बहुत बड़ा व्याकरण लिखा।

तत्पश्चात् समूचे विश्व के देशों में भारतीय व्यापार नौकरी अन्य उद्योग धन्धों आदि के कारण स्थायी रूप से बस गए। इन प्रवासी भारतीयों ने हिन्दी के संसार की सीमाएँ विस्तृत करते हुए इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुकाम दिलाया। इतनी ऊचाईयों को छूने वाली हिन्दी किसी राजसी छत्रछाया में भारत व्यापी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी आन्दोलनों सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों ने इसे सर्वप्रथम भारतीय मानस के हृदय की कुंजी बनाया और प्रवासी भारतीयों ने विदेशी धरती पर अपने लेखन व सतत् प्रयासों से इसे विश्वव्यापी बनाया जिसमें प्रमुख रूप से मारीशस में अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरन्दर, फिजी में गुरुदयाल शंकर, जोगिंदर सिंह कंवल, प्रो.सुब्रमणी खाड़ी देश में कृष्णबिहारी, ब्रिटेन में ऊषा राजे सक्सेना, दिव्या माथुर, कैनेडा में सुमन कुमार घई, शैलजा सक्सेना इत्यादि। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह अपने आप में एक सुखद अनुभूति है कि आज हिन्दी पूरे विश्व में अपने अस्तित्व को आकार दे रही है।

परिणामतः विश्व के छोटे बड़े देशों को लगने लगा है कि भारत के साथ संवाद स्थापित करने के लिए व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए हिन्दी से परिचित होना भी आवश्यक है। भारतीय मंडियों और बाजारों को हिन्दी के बिना जीता नहीं जा सकता। इस लिए कई देशों में हिन्दी का अध्ययन अध्यापन विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में विदेशी भाषा के रूप में हो रहा है। मोटे तौर पर भी अनुमान लगाया जाए तो लगभग 176 विश्वविद्यालयों ने शिक्षण का कार्य चल रहा है।

अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने एम.बी.ए. के छात्रों को हिन्दी का दो वर्षीय कोर्स अनिवार्य कर दिया है ताकि अमेरिका को हिन्दुस्तान में बिजनेस बढ़ाने में भाषा संबंधी दिक्कते न आए। अमेरिका के लगभग चौदह विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्यापन की व्यवस्था है। यह प्रक्रिया यथावत् जारी है। निवर्तमान ओबामा सरकार ने तो इसके लिए ठोस कार्य किये जैसे, ''ओबामा सरकार अमेरीकी स्कूलों में हिन्दी पढ़ाए जाने के लिए जी खोल कर धन मुहैया करा रही है। उसका मानना है कि अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह भाषा खासी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सेना में इस समय हिन्दी व उर्दू भाषा के संदेशों के अनुवाद के लिए तमाम नौकरियाँ निकल रही है। इसके लिए 75000 डालर प्रति वर्ष तक भुगतान किया जा रहा है। कुछ वर्ष पिछले न्यूयार्क से सटे एडीसन नामक शहर के एक स्कूल ने पहली बार सरकारी धन के प्रयोग से हिन्दी भाषा सिखाने का काम शुरु किया था। जिसके लिए 8.97 लाख डालर का तीन वर्षीय अनुदान दिया गया था। वर्तमान में डलास व ह्मास्टन में भी हिन्दी को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है।2

''अमेरिका में बहुत पहले से हिन्दी का प्रचार है। आ.रामचन्द्र ने अपने इतिहास में लिखा है कि मध्यकाल में आसी नाम का एक इसाई पादरी अमेरिका में हिन्दी काव्य रचना करता था। अमेरिकी उद्योगपतियों में हिन्दी हितैषी के रूप में सर्वोपरि है बिलगेट्स। उन्होंने हिन्दी माइक्रोसाफ्ट का अविष्कार करके इस भाषा को विश्व भाषा बना दिया है। यहाँ ब्रिटिश कोलम्बिया, इण्डियाना, अवार्द वोस्टन, कैलीफोर्निया, शिकागो न्यूयार्क, मिशिगन, टेक्सास, वाशिंगटन मिनिसोटा, वर्जीनिया आदि विश्वविद्यालयों में शोध स्तर तक हिन्दी का प्रचलन है। सम्प्रति अमेरिका में लगभग 25 स्कूलों और कालेजों में 5550 छात्र हिन्दी पढ़ रहे है।''3

हिन्दी के बढ़ते संसार में जापान भी अछूता नहीं रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहाँ रहकर  हिन्दी में संवाद तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करना, विश्व व्यापार के प्रसार की दृष्टि से तथा भाषाई शिक्षण को ध्यानस्थकर हिन्दी यहाँ के अध्ययन की भाषा बनी और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस का प्रवेश 1908 ई. में हुआ। 1908 ई. से ही ''तोक्यो स्कूल ऑफ फारेनलेग्विजेज''

में हिन्दोस्तानी भाषा की पढ़ाई शुरू हुई और तब से निरंतर चल रही है। ''कांलातर में उसका नाम ''तोक्यो कालेज ऑफ फारेन अफेयर्स'' और फिर 1949 ई. में ''टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फारेन स्ट्डी'' हो गया। तब से अब तक इस संस्थान का यही नाम प्रचलन में है। इसी संस्थान के पैटर्न पर पश्चिमी जापान में ''ओसाका स्कूल ऑफ फारेन लेग्विजेज'' की स्थापना 1921 ई. हुई, जहाँ 1922 ई. में हिन्दोस्तानी भाषा की शिक्षण की व्यवस्था की गई। कालांतर में इस स्कूल का नाम परिवर्तन करके इसे ''ओसाका एकेडमी ऑफ फारेन लेग्विजेज'' का रूप दिया गया। अंततः 1949 ई. में इसे ''ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ फारेन स्ट्डीज'' कहा जाने लगा। इसके अलावा रेडियो जापान की हिन्दी सेवा भी अपने ढंग से जापान में हिन्दी के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभा रही है। यह सेवा जून 1940 ई. से सक्रिय है''4 हिन्दी के वरिष्ठ कवि अज्ञेय ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास करते हुए जापानी हाइकु संपदा का हिन्दी में अनुवाद किया।

भारत का पड़ोसी देश चीन भी हिन्दी प्रेम के रंग में काफी हद तक रंगा है। पेकिंग विश्वविद्यालय हिन्दी शिक्षण का प्रमुख केन्द्र रहा। ''यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई अध्ययन केन्द्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जियांग जिगकुंई ने कहा कि चीन के नौ विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है।''5

रूस में हिन्दी के प्रति पर्याप्त अभिरूचि है, यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान् वारान्निकोव ने तुलसी रामायण का अनुवाद किया। उनकी पत्नी ने कामता प्रसाद गुरू के हिन्दी व्याकरण का अनुवाद किया। इनके अलावा अलेक्सान्द्र, सेन्केविच, साजनोवा, एवगेनी, पेत्रोविच प्रसिद्ध हिन्दी विद्वान है। रूस ने अनेक हिन्दी विद्वानों को पुरस्कृत भी किया। हिन्दी के प्रसिद्ध रचनाकार ''राहुल सांकृत्यायन'' ने यहाँ दीर्घ प्रवास किया था। उन्होंने ''बोल्गा और गंगा'' में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है।

आस्ट्रेलिया में हिन्दी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करते हुए, ''विक्टोरिया सरकार ने संघीय अधिकारियों से हिन्दी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा है। विक्टोरिया सरकार ने यह भी कहा है कि दोनो देशों के बीच व्यापारिक और आपसी रिश्तों को मजबूती प्रदान करने और व्यापार जगत् में संचार के लिए हिन्दी की अहम् भूमिका है।''6

''इजरायल में हिन्दी को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय व्यापारियों ने कदम बढ़ाया है। उन्होंने हिन्दी सीख रहे छात्रों के लिए 35 हजार डालर (करीब 20 लाख रुपये) के अनुदान की घोषणा की है। इसकी घोषणा तेल अवीव यूनिवर्सिटी में आयोजित विश्व हिन्दी दिवस समारोह के दौरान की गई। इस अनुदान से यूनीवर्सिटी में हिन्दी भाषा सीख रहे छात्रों को आगामी पाँच सालों के दौरान मदद मिलेगी। वे भारत जाकर हिन्दी भाषा को बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। इसके लिए छात्रों का चयन लोकप्रिय टेलीविजन शो ''कौन बनेगा करोड़पति'' की तर्ज पर ''कौन भारत जाएगा'' के माध्यम से किया जाएगा।''7 इतनी ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब इजरायल दौरे पर गये तो वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष श्री नेतन्याहू ने अपने स्वागतीय भाषण में हिन्दी के वाक्य बोलकर उनका स्वागत किया, ''आपका स्वागत है मेरे दोस्त''।

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि अगर भारत को जानना पहचानना है तो हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक है, ''हिन्दी में सर्टीफिकेट, डिपलोमा, मास्टरस और पी.एच.डी.डिग्री प्रदान कराने वाली पाकिस्तान की यह पहली यूनिवर्सिटी थी। डण्न्डण्स्ण् के बाद लाहौर स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी 1983 ई. में हिन्दी भाषा में अलग अलग कोर्स शुरू किये। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और डण्न्डण्स्ण् दोनो हिन्दी विभागों का भारत के साथ गहरा संबंध है। वहाँ पढ़ाने वाली ज्यादातर महिलाएँ शादी के बाद ही पाकिस्तान में गई। इन महिलाओं ने पटना विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ जैसी अलग अलग भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल की। कुछ पाकिस्तानी तो हिन्दी का ज्ञान हिन्दी मीडिया को फालो करके लेते है।''8

मारीशस में हिन्दी प्रचार का इतिहास 1834 ई. में श्रमिक रूप में गये भारतीयों के साथ होता है। यहाँ दो दो बार विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन हो चुके है। पहली बार 1976 ई. में जिसकी अध्यक्षता वहाँ के प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम ने की थी। दूसरी बार 1995 ई. में। इस समय विश्व हिन्दी सम्मेलन का केन्द्रीय सचिवालय मारीशस में स्थापित है। इस देश में 70 प्रतिशत भारतवंशी है। उनकी राजनीतिक प्रभुता का मूलाधार है हिन्दी ।

कई विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में हिन्दी में एम.ए. और डाक्टरेट आदि की उपाधि प्राप्त करने की व्यवस्था है। रेडियो, टी.वी. में हिन्दी का काफी प्रचार है। हिन्दी फिल्में वहाँ पूरी तरह छायी हुई है। इस देश में ''महात्मा गांधी संस्थान'' हिन्दी का बहुत बड़ा केन्द्र है। आर्य पत्रिका, मारीशस मित्र, आर्यवीर, वसन्त जमाना, स्वदेशी सनातन धर्म, नवजीवन, सुमन आदि हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिकाएँ है जो मारीशस से प्रकाशित होती है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के कई केन्द्र मारीशस में चल रहे है। अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरन्धर, जागा सिंह, वासुदेवविष्णदयाल, ब्रजेन्द्र भगत, मधुकर, अजामिल माताबदल, सुचिता रामधनी, पूजानन्द आदि यहाँ के प्रमुख हिन्दी रचनाकार है।

फीजी प्रशांत महासागर में आस्ट्रेलिया के निकट स्थित है-यह देश। यहाँ 1916 ई. से कई हिन्दी पाठशालाएँ चल रही है। शान्तिदूत, फीजी समाचार, जागृति, राजदूत इत्यादि हिन्दी की लोकप्रिय पत्रिकाएँ है। भारतीय उच्चायोग ने सांस्कृतिक संबंध परिषद् के माध्यम से पत्राचार पाठ्क्रम, छात्रवृत्ति और हिन्दी शिक्षकों को सुविधा प्रदान की है। हिन्दी के बढ़ते वर्चस्व का ही सुखद परिणाम था कि अंग्रेजी के साथ हिन्दी को भी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई।

सूरीनाम में हिन्दी का आगमन गिरमिटियों के साथ हुआ। इस देश में 1977 ई. में ''हिन्दी परिषद'' की स्थापना हुई। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा की परिक्षाएँ वहाँ 1962 ई. से हो रही है। यहाँ हिन्दी बोलने वालों की संख्या भी अत्याधिक है।

हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अंग्रेजी भाषा में प्रसारित होने वाला डिजनी चैनल हिन्दी में प्रसारित होना प्रारंभ हो गया। कारण हिन्दी में आने से दर्शकों की संख्या में पाँच गुणा अभिवृद्धि होगी। हिन्दी का लोहा इस बात से भी माना जा सकता है कि मिंकी और डोनाल्ड को भी हिन्दी सीखनी पड़ी इतना ही नहीं स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बैटमैन और कंगफ पांडा जैसे हालीवुड किरदार भाषायी बाधाओं को तोड़कर हिन्दी भाषी दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा चुके है हिन्दी में डब की गई हालीवुड की फिल्मों ने भारतीय

बाजार में कमाई के मोर्चे पर भी अच्छी सफलता हासिल की है। स्टार स्पोटर्स ने भी अब खेल की कमेंट्री हिन्दी भाषा में शुरू की।

अब हिन्दी का संबंध सिर्फ आकाश और मौसम के विवरण तक नहीं है बल्कि दिग्गज खिलाड़ियों के अनुभवों से निकल तकनीकी शब्दों से समृद्ध हो रही है। इंटरनेट के आने पर लगा था कि हिन्दी टिक नहीं पाएगी। अंग्रेजी और बढ़ेगी लेकिन आज जिस तरह हिन्दी ने वापसी की है। उसकी दाद तो देनी पड़ेगी।

समय समय पर जिन विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन वैश्विक स्तर पर किया गया, उससे यह संदेश गया कि आज हिन्दी एक समर्थ भाषा है, जिसका संसार तीव्र गति से बढ़ रहा है।

हमारे संविधान में हिन्दी को अचानक राजभाषा का स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। यह सदियों से अखिल भारतीय स्तर पर अघोषित राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा रही है। देश की चारों दिशाओं में स्थित चार धामां एवं कुंभ पर्व पर आने वाले करोड़ो तीर्थ यात्री एवं संत महात्मा हिन्दी में ही अपने भाव संप्रेषित करते रहे। हिन्दी भारत के स्वाधीनता संग्राम में देश की वाणी बनी। इसकी अखिल भारतीय उपस्थिति थी। केशवचंद्र सेन, स्वामी दयानंद, तिलक, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुभाष चंद्र बोस और मालवीय जी जैसे विभिन्न भाषा भाषी दिग्गजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही इसे भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। इसी गरिमापूर्ण इतिहास के कारण ही 14 सितंबर 1949 ई. को हमारी संविधान सभा ने अनुच्छेद संख्या 343(1) में हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया। दर्भाग्य से स्वतंत्रता पूर्व समस्त देशवासियों में राष्ट्रीय एकता स्वराज, स्वदेश प्रेम, स्वभाषा की जो उत्कुट भावना थी। स्वतंत्रता के पश्चात् सत्ता की राजनीति के आगे इस कदर क्षीण हो गई कि देशवासी भाषा और क्षेत्रवाद में बंट कर रह गये। सत्ता की लिप्सा ने इस तथ्य को धूमिल कर दिया कि भाषा राजनीति से परे भावनाओं और उनकी अभिव्यक्ति से संबंध रखती है। भाषा तो प्रेम का, सेवा का और संवाद का जरिया होती है। इसका संस्कृति सें संबंध होता है - सीधे जनजीवन के साथ एकाकार होता है। शायद भाषा के इसी गुण ने समय समय पर हिन्दी विरोध को कम करके इसके संसार को बढ़ाया है जैसे, "तिहाड़ जेल में बंद द्रमुक सांसद

कनीमोरी को भाषाई परेशानी हो रही है। इस लिए उन्होंने हिन्दी सीखने का फैसला किया। उन्होंने हिन्दी वर्णमाला की किताब मंगाई है और फिलहाल अक्षरों की पहचान कर रही है।''9 इतना ही नहीं 2014 ई. में हुए लोक सभा चुनाव में, ''द्रमुक प्रमुख करूणानिधि ने हिन्दी वाक्यों का प्रयोग करके सभी को हैरान कर दिया हालांकि वह हिन्दी के धुर विरोधी रहे है। करूणानिधि के हिन्दी वाक्यों ने सैंट्रल चैन्नई में बड़ी संख्या में बसे उत्तर भारतीयों और उर्दू भाषी मुस्लिम वोटरों को काफी प्रभावित किया। इस के साथ ही चेन्नई में अन्य स्थानों पर हिन्दी भाषी प्रवासी श्रमिकों की वजह से ही हिन्दी के प्रति चेन्नई वासियों की सहनशीलता बढ़ी है। द्रमुक पर एम.के.स्टालिन के प्रभुत्व के चलते हिन्दी पर पार्टी के कड़े स्टैंड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है क्योंकि वह अन्य वर्गो को भी पार्टी के साथ जोड़ना चाहते है''10

''संसद के चालू सत्र में मिजोरम में राज्यसभा सांसद रोनाल्ड सापा तलाऊ ने जब अपने राज्य में हिन्दी शिक्षकों की बदहाली का सवाल उठाया तो कई लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि आम धरणा यह है कि मिजोरम में हिन्दी को पसंद नहीं किया जाता। पूर्वोत्तर के लोगों के बीच हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ाने और उनको हिन्दी सिखाने के लिए इन शिक्षकों का होना आवश्यक है। मिजो विद्रोही लगातार हिन्दी के खिलाफ न केवल दुष्प्रचार करते रहे है बल्कि इसको भी अपनी समस्याओं की जड़ में मानते रहे है। अब वक्त आ गया है कि हिन्दी को देश को जोड़ने वाली भाषा के तौर पर मिल रही मान्यता को और मजबूत किया जाए और मिजोरम जैसे गैर हिन्दी भाषा राज्यों में हिन्दी की स्वीकार्यता को और गाढ़ा करने का काम किया जाए। इस लिए और भी क्योंकि पिछले कुछ वर्षो से गैर हिन्दी प्रदेशों की यह गलतफहमी दूर होती दिख रही है कि हिन्दी उन पर जबरन थोपी जा रही है। पूरे देश में हिन्दी एक संपर्क भाषा के तौर पर धीरे धीरे अंग्रेजी को विस्थापित करने लगी है। सुदूर दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हिन्दी को लेकर एक खास किस्म का अपनापन दिखाई देने लगा है''11 यही शाश्वत सत्य है कि विभिन्नताओं से संपन्न भारत के लिए हिन्दी ही बन्धुत्व का उत्कर्ष साधन है।

कितना अद्भुत संयोग है कि अतीत में फारस और अरब से आये लोगों की भाषा में ''स'' के स्थान पर ''ह'' का उच्चारण था। इस लिए सिंधु का

रूप हिंदु हो गया तथा हिंद शब्द पूरे भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा और यहाँ प्रयुक्त होने वाली भाषा के लिए हिंद की हिंदुस्तानी भाषा शब्द का प्रयोग किया। तत्पश्चात् अंग्रेजों ने इस पर शोधकार्य किये और इसे विश्व पटल पर पहुँचाया। वर्तमान में विदेशो में बसे देशी विदेशी हिन्दी प्रेमियों ने अपनी सतत् साधना के बल पर हिन्दी को विश्व पटल पर गरिमापूर्ण स्थान पर पहुँचाया।

यह सर्वविदित सच है कि हमेशा ही विजेता विजितों पर अपने विजय चिन्ह छोड़ते है पर सत्य यह भी है कि जानदार कौमें विदेशी आक्रांताओं से अपने देश को मुक्त करवाने के एकदम बाद विदेशियों द्वारा छोड़े गए निशान मिटा कर स्वदेशी गौरव से अभिभूत होकर शासन करती है। चाहे भाषा के संदर्भ में ही क्यां ना हो।

महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी की धरा की उपज वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे व्यावहारिक कर दिखाया। उन्होंने हिन्दी को लेकर हमारे मन में पैदा होने वाली झिझक और हिन्दी बोलने से जुड़ी तथाकथित राष्ट्रीय शर्म को एक झटके में दूर कर दिया। वह विदेश में दूसरे राष्ट्र प्रमुखों के साथ होने वाली शीर्ष वार्त्ताओं में हिन्दी का प्रयोग करते है तो निश्चय इससे राष्ट्रीय अस्मिता और संप्रभुता प्रदर्शित होती है।

हिन्दी एक मात्र साधन है जो बहुभाषी भारत के अलगाव और विघटन को समाप्त कर आंतरिक एकता को मजबूती प्रदान करती है। इसके बढ़ते संसार का अर्थ है पूरे विश्व के समक्ष, मजबूत, समृद्ध, सम्पन्न विकसित राष्ट्र के रूप में भारत का स्थापित होना,

"ज्यों ज्यो यहाँ पर एक भाषा वृद्धि पाती जायगी

त्यों त्यों अलौकिक एकता सब में समाती जायगी

कट जायगी जड़ भिन्नता की विज्ञता बढ़ जायगी

श्री भारती जन जाति उन्नति-शिखर पर चढ़ जायगी"12

संदर्भ ग्रन्थ

1. मधुमती(मासिक हिन्दी पत्रिका) ओंकार श्री का लेख

"जो गूँजा लाखों कंठो में" भारत जननी एक हृदय हो"। हिन्दी जनगीत : बीजकथा मूल रूप से इस गीत की रचना पंडित रामेश्वर दयाल दूबे ने 1950 ई. में की (उद्यपुरः राजस्थानी साहित्य अकादमी, सितंबर 2010 ई.) पृष्ठ-15

2. दैनिक भास्कर (समाचार पत्र) 14 जुलाई 2009 ई. मुख्य पृष्ठ से

3. सूर्य प्रसाद दीक्षित विश्व पटल पर हिन्दी

(इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन, 2013 ई.) पृष्ठ55, 56, 57

4. दैनिक जागरण (समाचार पत्र) 4 फरवरी 2009 ई. विविध जगत् पृष्ठ से

5. दैनिक भास्कर (समाचार पत्र) 25 मार्च 2011

6. दैनिक जागरण (समाचार पत्र) 15 जुलाई 2011 देश विदेश पृष्ठ से

7. दैनिक जागरण (समाचार पत्र) 3 जून 2014 देश विदेश पृष्ठ से

8. जगबाणी (समाचार पत्र) लेख "पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है हिन्दी" लेखक : आर.के सिन्हा 19.9.2016 मूल रूप में यह पंजाबी समाचार पत्र है।

9. दैनिक जागरण (समाचार पत्र) 11 नवंबर 2011

10.सत्य स्वदेश (समाचार पत्र) 31 मार्च 2014 पृष्ठ 7

11.दैनिक जागरण (समाचार पत्र) 8 अप्रैल 2017 लेख-हिन्दी की बढ़ती स्वीकार्यता लेखक - अनंत विजय

12.मधुमती(मासिक हिन्दी पत्रिका) ओंकार श्री का लेख मूल रूप से इस गीत की रचना पंडित रामेश्वर दयाल दूबे ने

1950 ई. में की। ‘‘हिन्दी जनगीतःबीजकथा’’(उदयपुरः राजस्थान साहित्य अकादमी) पृष्ठ 15

## राजभाषा हिन्दी के प्रतिवेदन की दक्षताएं

कंचन बाला

सारांश : केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा राजभाषा अनुपालन का प्रतिवेदन भेजा जाता है। यह प्रतिवेदन नगर स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर दिया जाता है। इन प्रतिवेदनों के विभिन्न प्रारूप होते हैं जिनमें अपेक्षित जानकारियां जुटाने हेतु हमें कुछ विषिष्ट प्रयास करने होते हैं। प्रस्तुत लेख में इन प्रतिवेदनों में अपेक्षित प्रमुख जानकारियों के बारे में एवं उससे संबंधित जानकारी जुटाने के सरल उपायों के बारे में चर्चा की गई है जिससे सरलतापूर्वक सही जानकारी प्राप्त कर इन प्रतिवेदनों को तैयार किया जा सके।

मुख्य शब्द : राजभाषा अनुपालन, केन्द्रीय कार्यालय, अनुपालन प्रतिवेदन, समितियां

प्रस्तावना :

“14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और संविधान के लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 से हिंदी इस देश की राजभाषा बन गई।“1 देश में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने पर बल दिया गया। अंग्रेजी में उपलब्ध सरकारी कामकाज के दस्तावेजों के हिन्दीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। राजभाषा हिन्दी के कार्य को बढ़ाने के लिए हिन्दी के विभिन्न पदों के सृजन किया गया। कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के अनुपालन एवं मार्गदर्शन का दायित्व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपा गया।

केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्य को सुचारू रूप से बढ़ाने तथा हिन्दी में कार्य की प्रगति की समीक्षा एवं निरीक्षण के लिए विशेष समितियों का गठन किया गया है जैसे संसदीय राजभाषा समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति आदि। संसदीय राजभाषा समिति समय-समय पर कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करती है और अपने सुझाव देती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति वर्ष में दो बार छःमाही बैठकों का आयोजन करती है। इस बैठक के लिए कार्यालयों से छःमाही हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन मांगा जाता है। समिति इन प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है और प्रतिवेदनों के आधार पर कार्यालयों का मार्गदर्शन करती है। कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति प्रति तिमाही बैठकों का आयोजन कर हिन्दी कार्य की प्रगति की समीक्षा करती है और कार्यालय में राजभाषा अनुपालन सुनिश्चित करती है।

कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के अनुपालन एवं हिन्दी कार्य की प्रगति का आंकलन करने के लिए (1) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार (2) इसके क्षेत्रीय कार्यालयों (3) संबंधित नगर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा (4) कार्यालय के संबंधित मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक एवं वार्षिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन भेजा जाता है। आजकल राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को यह प्रतिवेदन ऑनलाइन भेजा जाता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के बिन्दु संख्या 13 में उल्लेख है कि “तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनां के भीतर राजभाषा विभाग को उपलब्ध करा दी जाए।”2

इस लेख में उन बिन्दुओं पर चर्चा की गई है, जिन पर इन विभाग/समितियों की विषेष दृष्टि होती है, साथ ही, इन प्रतिवेदनों के लिए आवष्यक जानकारी सहज रूप से प्राप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की गई है।

कार्यालयी प्रतिवेदन में अपेक्षित प्रमुख जानकारियां :

(1) कर्मचरियों की संख्या : सभी प्रतिवेदनों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या, प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या तथा

कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या का अलग-अलग विवरण माँगा जाता है।

सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हिन्दी में प्रवीणता तथा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान से क्या तात्पर्य है। “किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, यदि उसने :- (1) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है (2) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे ऊँची किसी परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था (3) वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।”3

“यह समझा जाएगा कि किसी कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है यदि उसने :- (1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे ऊँची परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या (2) केन्द्रीय सरकार के हिन्दी षिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विषिष्ट पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या (4) वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।”4

प्रतिवेदन तैयार करने से पहले, प्रवीणता प्राप्त तथा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, सभी अधिकरियों एवं कर्मचारियों से एक प्रपत्र (फार्म) में उनके हिन्दी ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है अर्थात उनसे यह जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए कि उन्होंने कौन सी कक्षा तक हिन्दी की पढ़ाई की है। इससे यह पता चल जाएगा कि कर्मचारी को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है या उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। इस सूचना के आधार पर प्रवीणता प्राप्त अधिकारी एवं कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों की एक सूची तथा प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों एवं कार्यसाधक ज्ञान

प्राप्त कर्मचारियों की एक अन्य सूची बनाई जा सकती है। प्रति तिमाही प्रतिवेदन बनाते समय इस सूची को अपडेट किया जा सकता है जिसमें नव नियुक्त कर्मचारी से हिन्दी जानकारी संबंधी प्रपत्र भरवाकर, उस नव नियुक्त कर्मचारी का नाम प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों या कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की सूची में जोड़ा जा सकता है। साथ ही, किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्त, स्थानांतरण या मृत्यु होने की स्थिति में उसका नाम सूची से हटाकर सूची को अपडेट किया जा सकता है।

(2) आशुलिपिक एवं टंककों की संख्या : यह पूछा जाता है कि क्या आशुलिपिक ने हिन्दी में आशुलिपि का और टंककों ने हिन्दी में टंकण करने का प्रशिक्षण लिया है। इस संबंध में संबंधित स्टाफ से जानकारी प्राप्त कर सूचना भरी जा सकती है।

(4) हिन्दी में पत्राचार : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। हिन्दी बोले एवं लिखे जाने के प्राधान्य के आधार पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों को 'क', 'ख' एवं 'ग' नामक तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। "क्षेत्र 'क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है; 5 क्षेत्र 'ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;6 क्षेत्र 'ग' से निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।"7 इस वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लिए हिन्दी में पत्राचार के लक्ष्य निर्धारित होते हैं जैसे वर्ष 2018-19 के लिए 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र को 100 प्रतिशत हिन्दी में पत्राचार तथा 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 65 प्रतिशत हिन्दी में पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः कार्यालयों द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले पत्र हिन्दी में ही भेजे जाएं। 'ग' क्षेत्र को द्विभाषी पत्र भेजे जा सकते हैं।

इस सूचना को भरने के लिए, कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से एक तिमाही के दौरान भेजे गए सभी पत्रों की एक ऐसी सूची बनाई जा सकती है जिसमें केवल उन स्थानों/शहरों के नाम लिखें जाएं, जहां पत्र भेजे गए हैं। इसके बाद इस

सूची में 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों को अलग-अलग चिह्नों से चिह्नित किया जा सकता है और फिर इन सभी क्षेत्रों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की अलग-अलग गिनती की जा सकती है। हम चाहें तो 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों की अलग-अलग सूची बना सकते हैं। इसके बाद इन सभी 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के प्रतिषत का अलग-अलग आंकलन किया जा सकता है और साथ ही हिन्दी एवं अंग्रेजी में भेजे गए कुल पत्रों के प्रतिषत का भी आंकलन किया जा सकता है और इसके पष्चात कुल पत्रों की संख्या तथा 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों को भेजे गए पत्रों की संख्या एवं उनके प्रतिशत का विवरण प्रतिवेदन में भरा जा सकता है।

(5) प्राप्त पत्रों के उत्तर राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार "हिन्दी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हों और किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिया जाए।"8 सभी पत्रों का अनिवार्य रूप से हिन्दी में उत्तर दिया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में दिया जाना वांछनीय है। इस कार्य को सरलता से करने के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के अलग-अलग रजिस्टर खोले जा सकते हैं जिनमें निम्नलिखित कॉलम (तालिका संख्या - 1) बनाए जा सकते हैं :

(1) क्रम संख्या

(2) दिनांक

(3) आवक रजिस्टर संख्या (4) पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है (5) विषय

(6) पत्र का जवाब किसको देना है (7) पत्र पर की गई कार्रवाई

तालिका संख्या - 1

आवक रजिस्टर से प्राप्त पत्रों का विवरण उपर्युक्त तालिका के अनुरूप संधारित रजिस्टर में एकत्र किया जा सकता है। इसके पश्चात पत्रों के जवाब देने वाले संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर या लिखित में पत्र पर की

गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डिस्पैच रजिस्टर से भी इस संबंध में जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ अधिकारियों ने इस संबंध में कोई रजिस्टर संधारित किया हो जिससे यह जानकारी प्राप्त की जा सके।

किसी भी प्राप्त पत्र पर मुख्यतः 3 प्रकार की कार्रवाई हो सकती है :

(1) पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया गया हो

(2) पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया हो

(3) पत्र का उत्तर अपेक्षित नहीं हो

अतः रजिस्टर के अंतिम कॉलम में उपर्युक्त में से कोई एक उपयुक्त विकल्प भरा जा सकता है। प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित पत्रों की कुल संख्या, उन पत्रों की कुल संख्या जिनका उत्तर हिन्दी में दिया गया, ऐसे पत्रों की संख्या जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया तथा उन पत्रों की कुल संख्या जिनका उत्तर देना अपेक्षित नहीं था, का आंकलन किया जा सकता है और इस विवरण से एक तिमाही का समेकित विवरण तैयार किया जा सकता है, जो प्रतिवेदन में सरलता से भरा जा सकता है।

(6) कम्प्यूटरों की संख्या एवं उनमें हिन्दी में कार्य करने की सुविधा की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्यालय में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों की एक सूची बनायी जा सकती है। इस सूची में जिन कर्मचारियों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हों, उनका नाम तथा उनके कम्प्यूटर में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा (युनिकोड और हिन्दी फोंट) के कॉलम बनाए जा सकते हैं। इससे उनकी संख्या का सरलता से पता चल सकता है और यदि किसी कम्प्यूटर में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा (युनिकोड और हिन्दी फोंट) उपलब्ध ना हो तो उस कम्प्यूटर में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। समय- समय पर सभी कम्प्यूटरों का व्यावहारिक रूप से निरीक्षण किया जा सकता हैं और सूची को अपडेट किया जा सकता है।

(7) हिन्दी में टिप्पणियों की संख्या और उसका प्रतिशत त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में तिमाही के दौरान फाइलों में हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या और उनके प्रतिशत का विवरण माँगा जाता है। इसके लिए फाइलों के संचालन को ध्यान में रखते हुए यदि संभव हो तो किसी एक या दो स्थानों पर ऐसे रजिस्टर संधारित किए जाते हैं जिनमें फाइलों में लिखी गई टिप्पणियों का विवरण दर्ज किया जा सके। उदाहरण के रूप में एक फाइल पर सबसे पहले मूल कार्यकर्ता टिप्पणी लिखता है। इसके बाद अन्य अधिकारी जैसे अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, निदेशक, आहरण एवं संवितरण अधिकारी आदि। यदि निदेषक या आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास एक कार्यकर्ता को टिप्पणियों का विवरण दर्ज करने का दायित्व दे दिया जाए तो हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की सही संख्या का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। टिप्पणियों का विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर संधारित किया जा सकता है, जिसका प्रारूप तालिका -2 में निर्दिष्ट है :

बाएं पृष्ठ पर

| (1) क्रम संख्या | (2) दिनांक | (3) फाइल संख्या | (4) फाइल का नाम | (5) मूल टिप्पणी कर्ता का नाम | (6) मूल टिप्पणी कर्ता की टिप्पणी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | हिन्दी | अंग्रेजी |
| | | | | | | |

दाएं पृष्ठ पर

| (7) अनुभाग अधिकारी की टिप्पणी | | (8) लेखा अधिकारी की टिप्पणी | | (9) अन्य अधिकारी की टिप्पणी | | (10) निदेशक की टिप्पणी | | (11) कुल टिप्पणी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिन्दी | अंग्रेजी | हिन्दी | अंग्रेजी | हिन्दी | अंग्रेजी | हिन्दी | अंग्रेजी | हिन्दी | अंग्रेजी |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

तालिका -2 प्रति फाइल में हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या जोडकर अंत में प्रति पृष्ठ और बाद में प्रति तिमाही में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या जोडकर यह विवरण सरलता से एकत्र किया जा सकता है।

(8) धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 यथा संषोधित 1967 की धारा 3 (3) में "अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही- (प) संकल्पों, साधारण आदेषों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रषासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी नियम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं, (पप) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए, (पपप)

केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रारूपों, के लिए प्रयोग में लाई जाएगी।"9

उपर्युक्त नियम को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज यथा संकल्प, साधारण आदेष, नियम, अधिसूचना, प्रषासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्तियां द्विभाषी रूप से जारी की जानी चाहिए। कार्यालयों द्वारा इस नियम के अनुपालन का विषेष ध्यान रखा जाता है। त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में तिमाही के दौरान धारा 3 (3) के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी एवं द्विभाषी रूप में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या माँगी जाती है। इसके लिए अलग से एक रजिस्टर खोला जा सकता है जिसका प्रारूप तालिका -3 में दिया गया है :

| क्रम सं. | दिनांक | फाइल सं. | नाम | प्रारूप (परिपत्र/ आदेश) | विषय | हिन्दी में जारी | अंग्रेजी में जारी | द्विभाषी रूप में जारी | प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

तालिका -3

नियमानुसार उपयुक्त दस्तावेज अंग्रेजी में जारी नहीं किए जा सकते, अतः अंग्रेजी का कॉलम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रति तिमाही इस रजिस्टर से इन दस्तावेजों की संख्या का सरलता से पता किया जा सकता है।

(9) हिन्दी, अंग्रेजी एवं द्विभाषी रूप में रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड, सीलें, पत्र ष्षीर्ष, नामपट्ट, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, विजिटिंग कार्ड, बैज/बिल्ले, लोगो, मोनोग्राम चार्ट/नक्षे का विवरण : राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड, सीलें, पत्र षीर्ष, नामपट्ट, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, विजिटिंग कार्ड, बैज/बिल्ले, लोगो, मोनोग्राम चार्ट/नक्षे आदि द्विभाषी होने चाहिए। त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन तथा राजभाषा संबंधी अन्य प्रतिवेदन में इनकी हिन्दी, अंग्रेजी एवं द्विभाषी रूप में उपलब्ध संख्या का विवरण माँगा जाता है। ऐसे में कार्यालय के विभिन्न स्थानों एवं अनुभागों में जाकर कार्यालय में उपलब्ध रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड, सीलें, पत्र षीर्ष, नामपट्ट, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, विजिटिंग कार्ड, बैज/बिल्ले, लोगो, मोनोग्राम चार्ट/नक्षे आदि की एक सूची बनाई जा सकती है या संबंधित अनुभाग को इसके लिए एक रजिस्टर खोलने को कहा जा सकता है। यदि ये केवल अंग्रेजी में हों तो इस पर तुरन्त कार्रवाई करके इन्हें द्विभाषी बनवाया जाना चाहिए। इस तैयार सूची से रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड, सीलें, पत्र षीर्ष, नामपट्ट, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, विजिटिंग कार्ड, बैज/बिल्ले, लोगो, मोनोग्राम चार्ट/नक्षे आदि की हिन्दी, अंग्रेजी एवं द्विभाषी संख्या गिनी जा सकती है और समय-समय पर इस सूची को अपडेट किया जाना चाहिए।

(10) हिन्दी कार्यशाला के आयोजन संबंधी सूचना राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार प्रति तिमाही हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के बिन्दु संख्या 33 के अनुसार "विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा का ज्ञान रखनेवाले सरकारी कार्मिकों की हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करना है। कार्यशालाओं में मुख्य रूप से सरकारी काम हिन्दी में किए जाने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। यह अभ्यास संबंधित कार्मिकों के रोजमर्रा के कार्य से संबंधित होना चाहिए। कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी एवं कार्यशाला में न्यूनतम दो-तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिन्दी में कार्य करने का अभ्यास करने में लगाया जाए।" 10

अतः नियमानुसार ऊपर बताए गए तरीके से प्रति तिमाही कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में तिमाही के दौरान आयोजत हिन्दी कार्यशालाओं की संख्या, उनकी तिथियां और उसमें शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या माँगी जाती है। अतः कार्यशालाओं के आयोजन के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति ली जा सकती है और बाद में उसका विवरण तिमाही प्रतिवेदन में भरा जा सकता है।

(11) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संबंधी सूचना राजभाषा नियमानुसार प्रत्येक कार्यालय में प्रति तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक आयोजित की जाती है। यह समिति कार्यालय में राजभाषा अनुपालन सुनिश्चित करती है। इसके लिए यह समिति कार्यालय में राजभाषा अनुपालन की प्रगति की समीक्षा करती है और उसकी उतरोत्तर प्रगति हेतु अपने सुझाव देती है। इस बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है और नवीन बिन्दुओं/प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में तिमाही के दौरान आयोजत इस बैठक की तिथि माँगी जाती है। अतः प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कर इसका कार्यवृत्त तैयार किया

जाना चाहिए और इस बैठक की तिथि त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में दर्शायी जा सकती है।

(12) तिमाही के दौरान आयोजित प्रशासनिक बैठकों से संबंधित सूचना कार्यालयों में प्रशासनिक कार्य से संबंधित कई बैठकों का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले हमें केन्द्र की सभी समितियों और उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद प्रशासनिक कार्य से संबंधित समितियों की पहचान करनी चाहिए। इन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को यह बताया जाना चाहिए कि राजभाषा नियमानुसार इन बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त हिन्दी या द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाने चाहिए। त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में इससे संबंधित विवरण भरते समय प्रत्येक समिति के अध्यक्ष या सचिव से प्रत्येक तिमाही के दौरान आयोजित संबंधित बैठक की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि प्राप्त करके यह विवरण भरा जा सकता है।

(13) हिन्दी पुस्तकों की खरीद संबंधी सूचना त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान खरीदी गई हिन्दी पुस्तकों ब्यौरा मांगा जाता है। अतः संबंधित फाइल से यह विवरण प्राप्त करके यह ब्यौरा दिया जा सकता है।

(14) वैबसाइट संबंधी सूचना किसी भी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की वैबसाइट द्विभाषी रूप में ही तैयार की जानी चाहिए। वैबसाइट में कुछ भी अपलोड करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह द्विभाषी हो। इसकी सूचना भी त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में दी जाती है।

(15) तिमाही के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे राजभाषा संगोष्ठी, हिन्दी पखवाड़ा/हिन्दी सप्ताह आदि का आयोजन। प्रत्येक तिमाही के दौरान आयोजित ऐसे कार्यक्रमों का पूर्ण विवरण तैयार किया जाना चाहिए ताकि त्रैमासिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन में मांगी गई जानकारी दी जा सके।

उपसंहार : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार; क्षेत्रीय कार्यालय; नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा मुख्यालय द्वारा प्रति तिमाही में त्रैमासिक एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन मांगा जाता है, जिनका भेजा जाना आवश्यक होता है। पहले यह प्रतिवेदन तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन भेजना होता था। संभवतः व्यावहरिक रूप में इस कार्य की कठिनाई को देखते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 से इसकी अवधि 30 दिन तक बढ़ा दी है। इस लेख में इन प्रतिवेदनों के प्रमुख बिन्दुओं हेतु जानकारी जुटाने के कुछ उपायों पर चर्चा की गई है, जो सरल हैं और सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक भी हैं। हम इन्हें अपनाकर इन प्रगति रिपोर्टों में अपेक्षित सभी सूचनाएं समय रहते एकत्र कर सरलता से भर सकते हैं।

संदर्भ :


1. हिंदी भाषा, राजभाषा और लिपि - डॉ. परमानंद पांचाल, 'राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास', संस्करण 2008, हिंदी बुक सेंटर, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 126

2. http://www.rajbhasha.nic.in/sites/default/files/ap201820193.pdf

3. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ संख्या 2

4. -वही-

5. http://rajbhasha.gov.in/hi/ol rules 1976- (2) परिभाषाएं (i)


## सोशल मीडिया और हिंदी


... डॉ. अमरीश सिन्हा


भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है एवं अभिव्यक्ति यदि अपनी भाषा (मातृभाषा या राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा) में की जाती है तो वह प्रवाहमयी तथा प्रभावशाली होती है । इस प्रकार की अभिव्यक्ति में

विरूपण *(distortion)* की संभावना काफी कम होती है । जिस भाषा का हमारी संस्कृति से संबंध न हो उसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने पर न सिर्फ अर्थ में विरूपण का जोखिम रहता है, वरन उच्चारण, वर्तनी एवं उपयुक्त शब्द चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है । चूंकि सोशल मीडिया सर्वाधिक गतिशील एवं तात्कालिक माध्यम है, जहां स्पीड प्रमुख होती है । सबसे पहले संदेश संप्रेषण के ललक ने ही सोशल मीडिया की भाषा के लिए अनर्गल संक्षेपाक्षरों को गढ़ लिया है जो न तो अधिकृत है, न ही व्याकरण संगत । जैसे, “ओह माई गॉड' के लिए 'ओएमजी', 'गुड मॉर्निंग' के लिए सिर्फ 'जीएम' आदि ।

भारत में कुछ सालों पूर्व तक सोशल मीडिया पर अंग्रेजी भाषा का एकधिकार था । हिन्दी लिखने के लिए भी रोमन लिपि का प्रयोग होता था । सोशल मीडिया के अलावा कंप्यूटर, लाइफ टॉप, टैब, मोबाइल आदि उपकरणों पर देवनागरी लिपि में लिखने की सहजता नहीं थी । लेकिन हिन्दी भाषा के व्यापक प्रसार के आगे इन उपकरणों के निर्माताओं और सोशल नेटवर्किंग साइट के सृजकों (*Creators)* ने देवनागरी लिपि समर्थित तकनीक को स्वीकारा । आज अत्याधुनिक स्मार्टफोन सहित टैब, लैपटॉप आदि उपकरणों में सारे इनपुट देवनागरी लिपि में दर्ज की जा सकती हैं एवं फाइलें आदि तैयार की जा सकती हैं । सिर्फ हिन्दी ही नहीं, विश्व की पचास से अधिक भाषाओं में सोशल मीडिया में कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं जिनमें फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, अरबी, मंदारिन, स्वाहिली (अफ्रीकी देशों की भाषा) व फारसी शामिल हैं । भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी बाइस भाषाओं में कार्य संचालित करने की सुविधा है ।

वस्तुत: आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्यों-ज्यों नवीनतम तकनीक का आगमन हो रहा है, अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त हो रहा है तथा अन्य तमाम भाषाओं का बोलबाला बढ़ रहा है । भारत के प्रौद्योगिक क्षेत्र में यदि वैश्विक कंपनियों को अपना बाजार तलाशना होगा तो उन्हें हिन्दी का दामन पकड़ना ही

होगा । भाषा विज्ञान कहता है कि किसी भाषा का प्रसार तथा चरित्र उस भाषा का उपयोग करने वाले लोगों द्वारा लगातार परिभाषित एवं पुन: परिभाषित होते रहने में निहित है । भारत के साथ भी ऐसा ही है । जापान, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, निकारागुआ, फ्रांस और जर्मनी आदि विश्व के कई देशों के साथ भी कुछ-कुछ ऐसा ही है । इसलिए अधिकांश देशों ने उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलते ही अपनी मूल भाषा में काम करना शुरू कर दिया और आज जब सोशल मीडिया का चलन बढ़ा तो इन देशों की मूल भाषाएं सोशल मीडिया पर प्रयोग का माध्यम बन गईं । वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक उपभोक्तावाद की स्वीकार्यता बढ़ाने से औपनिवेशिक भाषाओं का इस्तेमाल स्वभावत: कम होता गया । खरीददार की भाषा में ही विक्रेताओं को व्यापार करना पड़ेगा न ! मूल भाषा के प्रयोग से उपभोक्ताओं का आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ा है ।

<u>सोशल मीडिया की व्यापकता और हिन्दी का प्रसार</u>

इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में इन्टरनेट की बेतहाशा वृद्धि हुई और दूसरे दशक में सोशल मीडिया का चलन-प्रचलन बढ़ा । हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाई-फाई हॉट स्पॉट तथा डोंगल ने नेट और सोशल मीडिया को काफी गतिशील बना दिया है । सोशल मीडिया व्यावसायिक उपक्रमों के रूप में भी उपयोगी हो गया है । बड़ी-बड़ी कंपनियां फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग आदि के जरिये उपभोक्ताओं तक पहुंच गई हैं जहां अपने उत्पादों के बारे में हिन्दी में जानकारी विज्ञापित की जाती है । अमेजॉन (अमेरीकी सेल्स मार्केटिंग कंपनी) भी प्रोडक्ट की बिक्री हेतु हिन्दी भाषा को अपना रही है ।

<u>हिन्दी में ब्लॉग</u>

वर्तमान दौर में ब्लॉग लिखने का चलन बढ़ा है । नए सोशल मीडिया के कंटेंट में ब्लॉग की प्रमुख उपस्थिति बन गई है । ब्लॉग 'वेब लॉग' का संक्षिप्त रूप है जिसका जन्म 1997 में जॉन बारजर ने पहली बार ' वेब ब्लॉग ' लिखकर किया था । पीटर मेरहोल्ज़ ने 1999 में 'ब्लॉग' के रूप में इसका

संक्षिप्तिकरण किया । ब्लॉग लिखने में रचनात्मकता का विकास होता है, इसलिए भी कई लोग विशेषकर रंगकर्मी, रचनाकार, कलाकार, उद्यमी, शिक्षक व प्रशिक्षक आदि ब्लॉग लिखने में रूचि लेते हैं । चूंकि रचनात्मकता में व्यक्ति की मूल भाषा की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत में 60 फीसदी से अधिक ब्लॉगर हिन्दी में ब्लॉग लिखते हैं । वे ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक अपने पहुंच बनाना चाहते हैं, अत: अपनी रचनात्मक कुशलता का अधिकतम उपयोग ब्लॉग में करते हैं । ब्लॉग की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को देखते हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया यानी अखबार व टी.वी.अपने वेब संस्करणों में ब्लॉग को स्थान दे रहे हैं । इन ब्लोगों पर पाठक अपने मत-अभिमत के रूप में ब्लॉग लिख रहे हैं ।

<u>हिन्दी का प्रयोग और संवादात्मकता</u>

सोशल मीडिया इस कारण ही सोशल मीडिया कहलाता है क्योंकि इसमें संवादात्मकता की गुंजाइश रहती है । परस्पर संवाद का गुण सोशल मीडिया का अहम गुण है । चूंकि व्यक्ति अपनी मूल भाषा में ही संवाद करना पसंद करता है, अत: हिन्दी का महत्व एवं उपयोग स्वत: बढ़ जाता है । वस्तुत: संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से ही सोशल मीडिया की शुरुआत हुई है ।

<u>भाषाई एकरूपता को बढावा</u>

सोशल मीडिया ने भाषाई एकरूपता को संवर्धित किया है । हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के शब्दों का नि:संकोच उपयोग बढ़ा है । अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयोग बढ़ा है । दिमागी सक्रियता भी बढ़ी है । मसलन जितनी तेजी से आप टाइप करते जाते हैं या बोलते जाते हैं उतनी तेजी से टेक्स्ट सेव भी करते जाते हैं । एक जैसे या मिलते-जुलते शब्द (श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द) जब स्क्रीन पर चमकते हैं, तब उनमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्द आप 'सलेक्ट' करते हैं। ये सारे काम एक साथ करने होते हैं ।

अलग-अलग भाषाओं के शब्दों का उपयोग हमारी सामासिक संस्कृति *(Composit Culture)* को समृद्ध करता है ।

"लीला" सॉफ्टवेयर

भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने देश की 14 भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा अर्थात कुल 15 भाषाओं के जरिया हिन्दी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित स्व-शिक्षण ऐप जारी किया है जिसका संक्षिप्त नाम 'लीला' *(Learn Indian Language Through Artificial Intelligence)* रखा गया है । मानानीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने 14 सितंबर, 2017 को इस ऐप को शुरू किया । संस्कृत में ' लीला ' का अर्थ ' खेल ' होता है । यानी खेल-खेल में हिन्दी को आधुनिक सोशल मीडिया तकनीक के द्वारा सीखने की सुविधा इस ऐप में दी गई है । लीला पैकेज में हिन्दी का ज्ञान तीन चरणों (प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ) में प्राप्त किया जा सकता है । इस पैकेज की विशेषता है कि इसमें शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण ऑडियो सुविधा के तहत कितनी भी बार सुना जा सकता है । इससे सही उच्चारण और वर्तनी सीखी जा सकती है । आसानी से समझने के लिए प्रत्येक अध्याय में नेरेटिव खंड *(Narrative section)* के साथ उसका वीडियो भी उपलब्ध है । क्लिपिंग में बोला वाक्य अध्याय में भी विशिष्ट रूप से डिस्प्ले होता है । इस प्रकार सीखना सरल और सहज भी हो जाता है और मजेदार भी । इस ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके अंग्रेजी, असमिया, बंग्ला, बोड़ो, गुजराती, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, तमिल और तेलुगू के माध्यम से हिंदी सीखी जा सकती है ।

सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ

विभिन्न सरकारी योजानाओं का लाभ लेने के लिए तथा इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कई ऐप सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं जो हिन्दी में हैं । उदाहरण के लिए MyGov., उमंग, NAM (कृषि मंडी),

किसान, सड़क (सड़कों की दशा के बारे में सूचना देने आदि के लिए), पी एम के वी वाई - PMKVY, प्रधानमंत्री योजना, योगी आदित्यनाथ योजना (उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं हेतु) तथा उज्ज्वला योजना प्रमुख हैं । इनके अलावा बैंकों, कंपनियों, रेलवे, डाकघर सहित लगभग सभी संस्थाओं के ऐफ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और इन ऐप का उपयोग करने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है । हिन्दी में इन ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है ।

दरअसल सोशल मीडिया ने हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में तो प्रमुख कार्य किया ही है, इसने हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के यूजर्स को सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम तकनीक के साथ जोड़कर उन्हें जागरूक तथा सामर्थ्यवान बनाया है जो सशक्त भारत के निर्माण के लिए अनिवार्य है ।

**– डॉ. अमरीश सिन्हा**
**ए-103, सच्चिदानंद, रहेजा कॉम्प्लेक्स,**

**मालाड (पूर्व), मुंबई 400097.**

**इ-मेल: amrishsinhaa@gmail.com**

## राजभाषा हिंदी प्रचार प्रसार में एण्ड्राइड मोबाइल की भूमिका

**विजय प्रभाकर नगरकर**

आधुनिक तकनीकी विकास के साथ भाषा का विस्तार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। । सूचना प्रौद्योगिकी ने भौगोलिक दूरी कम कर दी है। हमारे विचार, कल्पना और जनसंपर्क में अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। सामाजिक माध्यम में अर्थात सोशल मीडिया में तीव्र गति से विकास हो रहा है। मोबाइल उत्क्रांति ने सोशल मीडिया का नक्शा बदल दिया है। एण्ड्राइड मोबाइल के लिए लाखों मोबाइल एप्प निर्माण हुए और निरंतर नए एप्प गुगल प्ले स्टोअर में उपलब्ध

हो रहे है। एंड्राइड में अनेक उपयोगी एप्स बनाए गए हैं जो मुफ्त भी है और कई सशुल्क उपलब्ध है। गुगल प्ले में सर्च करते समय हिंदी के लिए अनेक एप्स सामने आते है। हिंदी पुस्तकों की सूचि में धार्मिक, शिक्षा, कला, साहित्य, सामान्य ज्ञान,इतिहास से लेकर अनेक विषयों का भांडार उपलब्ध है। फिल्म की श्रेणी में अनेक पुराने और नए भारतीय फिल्मों का संग्रह उपलब्ध है। समाचार की श्रेणी के अंतर्गत अनेक सुप्रसिध्द समाचार पत्र जैसे नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर,दैनिक अमर उजाला आदि समाचार पत्रों की शृंखला है। सर्वाधिक लोकप्रिय एप्स श्रेणी में अनेक हिंदी व्याकरण, इंडिक की बोर्ड, शब्दकोश,हिंदी कैलेण्डर,लर्न हिंदी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शायरी, कविता, हिंदी चुटकुले, आयुर्वेद, सामान्य ज्ञान, धार्मिक साहित्य, बी.बी.सी. हिंदी, भविष्य आदि अनेक बहु उपयोगी एप्स का संग्रह आपके सामने हाजिर है।

राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए केंद्र सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एण्ड्राइड आधारित कुछ महत्वपूर्ण मोबाइल एप्प की जानकारी एवं लिंक निम्नानुसार है।

**<u>राजभाषा विभाग द्वारा विकसित राजभाषा लिला एप्प</u>**

सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रचार प्रसार हेतु राजभाषा विभाग ने लिला नामक मोबाइल एप्प विकसित किया है। अब राजभाषा हिंदी आपकी मातृभाषा या अंग्रेजी के माध्यम से सीखी जा सकती है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रबोध, प्रविण, प्राज्ञ, पारंगत, हिंदी टंकलेखन, हिंदी आशुलिपि सीखना अनिवार्य किया गया है। लिला मोबाइल एप्प में यह कोर्स आप पढ़ कर परीक्षा दे सकते है। परिक्षा उत्तीर्ण होने पर नियमानुसार एक मुश्त पुरस्कार और एक वर्ष के लिए विशेष वेतनवृद्धी प्रदान की जाती है। लिला-राजभाषा (कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से भारतीय भाषाओं को जानें) हिंदी सीखने के लिए एक बहु-मीडिया आधारित बुद्धिमान स्वयं शिक्षक उपकरण है। Lila का उपयोग करके, अपने मोबाइल पर हिंदी भाषा सीखना वास्तव में आनंददायक और आसान है। हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ आदि

कोर्स आप अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल और माध्यम के माध्यम से सीखने के लिए उपयोगी, अनुकूल और प्रभावी उपकरण हैं। हिंदी प्रबोध, हिंदी प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण वर्ग में पढाने और दूरस्थ प्रशिक्षण योजना पर आधारित हैं, जो पहले से ही केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान [सीएचटीआई], राजभाषा विभाग [डीओएल], गृह मंत्रालय, सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। यह एक पूर्णकालिक 3-स्तरीय पाठ्यक्रम है जिसे विशेष रूप से सरकार, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र और बैंक कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का ज्ञान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह प्रशिक्षण अनेक भारतीय भाषाओं (मूल भाषा) में डिज़ाइन किया गया है। शुरुआती चरण से हिंदी सीखने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए यह भी उपयोगी है।

( https://play.google.com/store/apps/details?id=lila.sample1 )

**<u>सी.एस.टी.टी. ग्लोसरी नामक मोबाइल अप्प</u>**

तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार ने सी.एस.टी.टी. ग्लोसरी नामक मोबाइल अप्प बनाया है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1 9 61 को एक समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुच्छेद 4 के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली [सीएसटीटी] के स्थायी आयोग की स्थापना की और राष्ट्रपति के आदेश 27 अप्रैल 1 9 60 जारी किया है। इस शब्दावली आयोग का मुख्य कार्य मानक शब्दावली विकसित करना , प्रचार प्रसार और वितरण करना है। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय पाठ्य पुस्तक बोर्ड / ग्रंथ अकादमियों के सहयोग से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री सहित वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का विकास किया जा रहा है । वर्तमान में सीएसटीटी उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्यालय के साथ नई दिल्ली में बीस राज्य गठबंधन अकादमियों / राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड / विश्वविद्यालय कक्ष इत्यादि

के साथ काम कर रहा है, टर्मिनोलॉजी कमीशन से भी जुड़ा हुआ है । सीएसटीटी द्वारा विकसित मानक शब्दावली के उपयोग के साथ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में यूनिवर्सिटी लेवल टेक्स्ट बुक्स / संदर्भ सामग्री का उत्पादन करने का उनका मुख्य उद्देश्य है। आज तक सीएसटीटी ने विभिन्न विषयों और विभिन्न भाषाओं में लगभग आठ लाख तकनीकी शब्दों की शब्दावली को मानकीकृत किया है। सीएसटीटी ने प्रशासनिक और विभिन्न विभागीय शब्दावली का भी ख्याल रखा है जिनका व्यापक रूप से विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्वायत्त संगठन, पीएसयू आदि द्वारा उपयोग किया जाता है।

( https://play.google.com/store/apps/details?id=matrixdev.com.csttglossary )

**श्री अखिल कुमार द्वारा विकसित राजभाषा हिंदी एप्प -**

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भारत सरकार के सभी सरकारी विभाग एवं संस्थान कार्यरत हैं । हिन्दी भाषा सशक्त एवं जीवंत तभी होगी जब जन सामान्य द्वारा इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में किया जाएगा । भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए अपने छोटे प्रयास के रूप मे इस ऐप को विकसित किया है। इस ऐप में कार्यालयों में समान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वाक्यांशों , वाक्यों, पद नाम, पर्यायवाची शब्दो, विभागों आदि के नामों एवं राजभाषा के संबंध में महापुरूषों के विचारों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 , संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश, 1960, राजभाषा संकल्प, 1968, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)नियम, 1976 को भी दिया गया है।

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devnagrisoft.ramsaranyadav.hindiphrases )

**मोबाइल पर गुगल अनुवाद एप्प -**

गुगल प्ले स्टोअर से गुगल ट्रासंलेट एप्प द्वारा अब आप टाइप करके 103 भाषाओं के बीच अनुवाद कर सकते है। गूगल ने भारतीय भाषाओं को लिए नए प्रोडक्ट और फीचर्स की घोषणा की है। गूगल ट्रांसलेट गूगल की नई न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इसके तहत गूगल अंग्रेजी और भारत की 9 भाषाओं के बीच ट्रांसलेशन की सुविधा मुहैया कराएगा। गूगल अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मलयालम और कन्नड के बीच ट्रांसलेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है। न्यूरल ट्रांसलेशन तकनीक पुरानी तकनीक से कहीं बेहतर काम करेगी । गूगल ने यह भी घोषणा की है कि वह न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन तकनीक को गूगल क्रोम ब्राउजर में पहले से आने वाले ऑटो ट्रांसलेट फंक्शन में भी मुहैया कराएगा। इसके चलते भारतीय इंटरनेट पर मौजूद किसी भी पेज को भारत की कुल 9 भाषाओं में देख सकेंगे। ये नई ट्रांसलेशन सुविधा सभी यूजर्स के लिए गूगल सर्च और मैप में भी उपलब्ध होगी। ये ट्रांसलेशन सुविधा डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर मिलेगी। यह घोषणा इंडियन लैंग्वेजेज-डिफाइनिंग इंडियाज इंटरनेट शीर्षक के साथ गूगल और के पी एम जी की साझा रिपोर्ट के जरिए की गई है।
गूगल अब 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इन भाषाओं में आप गूगल पर कंटेंट देख सकते हैं। इतना ही नहीं गूगल आपके लिए इन भाषाओं से अनुवाद भी करेगा। वो भी पूरे वाक्य, न कि टुकड़ों में। ये भाषाएं हैं हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलगु, गुजराती, पंजाबी, मलयालम और कन्नड। गूगल सर्च और गूगल मैप पर भी अनुवाद की ये सुविधा मिलेगी। मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों की फॉर्मेट में अनुवाद की ये सुविधा है। गूगल के मुताबिक इस वक्त अंग्रेजी के मुकाबले लोकल भाषाओं में के ज्यादा भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगले 4 साल में भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले भारतीय की तादाद 30 करोड़ होने की उम्मीद है। केपीएमजी के साथ गूगल ने एक रिपोर्ट की है जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा तमिल, हिंदी, कन्नड, बंगाली

और मराठी जानने वाले लोग ऑनलाइन सेवाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

अनुवाद करने के लिए टैप करें: किसी ऐप में टेक्स्ट कॉपी करें और आपका अनुवाद पॉप अप हो जाता है

• ऑफलाइन: जब आपके पास इंटरनेट नहीं है तो 59 भाषाओं का अनुवाद करें

• त्वरित कैमरा अनुवाद: 38 भाषाओं में तुरंत पाठ का अनुवाद करने के लिए अपने कैमरे का उपयोग करें

• कैमरा मोड: 37 भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले अनुवादों के लिए टेक्स्ट की तस्वीरें लें

• वार्तालाप मोड: 32 भाषाओं में दो-तरफा तत्काल भाषण अनुवाद

• हस्तलेखन: 93 भाषाओं में कीबोर्ड का उपयोग करने के बजाय स्क्रिन पर हाथ से लिखें ।

• वाक्यांश पुस्तिका: किसी भी भाषा में भविष्य के संदर्भ के लिए अनुवाद करें और अनुवाद सहेजें

निम्नलिखित भाषाओं के बीच अनुवाद किया जा सकता हैं:

अफ्रीकी, अल्बानियाई, अम्हारिक, अरबी, अर्मेनियाई, अज़रबैजानी, बास्क, बेलारूसी, बंगाली, बोस्नियाई, बल्गेरियाई, कैटलन, सेबूआ, चिचेवा, चीनी (सरलीकृत), चीनी (पारंपरिक), कोर्सीकन, क्रोएशियाई, चेक, डेनिश, डच, अंग्रेजी, एस्पेरांतो, एस्टोनियाई, फिलिपिनो, फिनिश, फ्रेंच, फ़्रिसियाई, गैलिशियन, जॉर्जियाई, जर्मन, ग्रीक, गुजराती, हैतीयन क्रेओल, होसा, हवाईयन, हिब्रू, हिंदी, ह्मोंग, हंगरी, आइसलैंडिक, इग्बो, इंडोनेशियाई, आयरिश, इतालवी, जापानी, जावानी , कन्नड़, कज़ाख, खमेर, कोरियाई, कुर्द (कुरमानजी), किर्गिज़, लाओ, लैटिन, लातवियाई, लिथुआनियाई, लक्ज़मबर्ग, मैसेडोनियन, मलागासी, मलय, मलयालम, माल्टीज़, माओरी, मराठी, मंगोलियाई, म्यांमार (बर्मीज़), नेपाली, नॉर्वेजियन , पश्तो, फारसी, पोलिश, पुर्तगाली, पंजाबी, रोमानियाई, रूसी,

सामोन, स्कॉट्स गेलिक, सर्बियाई, सेसोथो, शोना, सिंधी, सिंहला, स्लोवाक, स्लोवेनियाई, सोमाली, स्पेनिश, सुंडानी, स्वाहिली, स्वीडिश, ताजिक, तमिल, तेलुगु, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, उर्दू, उज़्बेक, वियतनामी, वेल्श, झोसा, येहुदी, योरूबा, ज़ुलू

अनुमति नोटिस

Google अनुवाद निम्नलिखित सुविधाओं तक पहुंचने के लिए अनुमति मांग सकता है:

• भाषण अनुवाद के लिए माइक्रोफोन

• कैमरे के माध्यम से पाठ का अनुवाद करने के लिए कैमरा

• पाठ संदेशों का अनुवाद करने के लिए एसएमएस

• ऑफ़लाइन अनुवाद डेटा डाउनलोड करने के लिए बाहरी संग्रहण (एक्सटर्नल मेमरी)

• डिवाइस पर साइन-इन और समन्वयन के लिए खाते की अनुमति और प्रमाण-पत्र

( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate )

**<u>संदेश पाठक</u>**

भारत सरकार ने राष्ट्रीय मोबाइल प्रशासन योजना के तहत अनेक मोबाइल एप्प प्रदान किए है। इस योजना के अंतर्गत एस.एम.एस. पढनेवाला संदेश पाठक एप्प गुगल प्ले स्टोअर पर उपलब्ध है। संदेश पाठक एक भारतीय भाषा एसएमएस रीडर है। यह आने वाले एसएमएस को कैप्चर करता है और इसे उच्च स्वर में पढ़ता है। वर्तमान में यह आठ भारतीय भाषाओं (जैसे हिंदी,

मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़) और भारतीय अंग्रेजी (अंग्रेजी-हिंदी, अंग्रेजी-तमिल और अंग्रेजी-तेलुगू) के तीन स्तर पर उपलब्ध है । भाषा का चयन करने के लिए विकल्प हैं और आवाज की गति (सामान्य, धीमी, धीमी, तेज, अधिक तेज) का चयन करें। उपयुक्तता के अनुसार उपयोगकर्ता आवाज की गति समायोजित कर सकता है।

(https://apps.mgov.gov.in/descp.do?appid=527&action=0 )

**राष्ट्रीय मोबाइल गव्हर्नेंस सेवा पहल**

**मोबाइल गवर्नेंस (एम गवर्नेंस):** मोबाइल सेवा देश में मोबाइल गवर्नेंस (एम गवर्नेंस) को मुख्य धारा शामिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक अभिनव पहल है. इसका उद्देश्य वायरलेस और नई मीडिया प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों, मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सभी नागरिकों और व्यवसायों के लिए सार्वजनिक सूचना और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए है. इसका उद्देश्य देश में मोबाइल फोन के उपयोग के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, देश के सभी नागरिकों को लोक सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने है. यह सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में मोबाइल अनुप्रयोगों की अभिनव क्षमता भी प्रदान करता है. इसकी समग्र रणनीति भारत को मोबाईल शासन की क्षमता का दोहन समावेशी विकास के लिए करने में एक विश्व नेता बनाने की है. यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है. प्रगत संगणन विकास केंद्र(सी-डैक), एक इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संगठन, इस परियोजना के लिए तकनीकी कार्यान्वयन एजेंसी है.

मोबाइल सेवा एसएमएस, यूएसएसडी, आईवीआरएस, सीबीएस, एलबीएस, और मोबाइल अनुप्रयोगों द्वारा देश के नागरिकों और व्यवसायों के लिए सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए सरकारी विभागों और एजेंसियों को एक एकीकृत मंच प्रदान करता है. इस योजना के अंतर्गत विस्तृत मोबाइल एप्प

की शृंखला एप्प स्टोअर में उपलब्ध है। इसमें अनेक एप्प हिंदी के माध्यम से तैयार किए है जो आम जनता के प्रयोग के लिए अत्यंत उपयोगी है।
(https://apps.mgov.gov.in/index.jsp )

---

**राजभाषा अधिकारी,**
**भारत संचार निगम लि., टेलिफोन भवन,**
**एस.बी.आई. चौक, अहमदनगर- 414001 महाराष्ट्र**
**मो- 09422726400**
**ईमेल- vpnagarkar@gmail.com**